खण्ड-145, अंक-5
मंगलवार, 16 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(7 दिसम्बर, 1954 ई0)

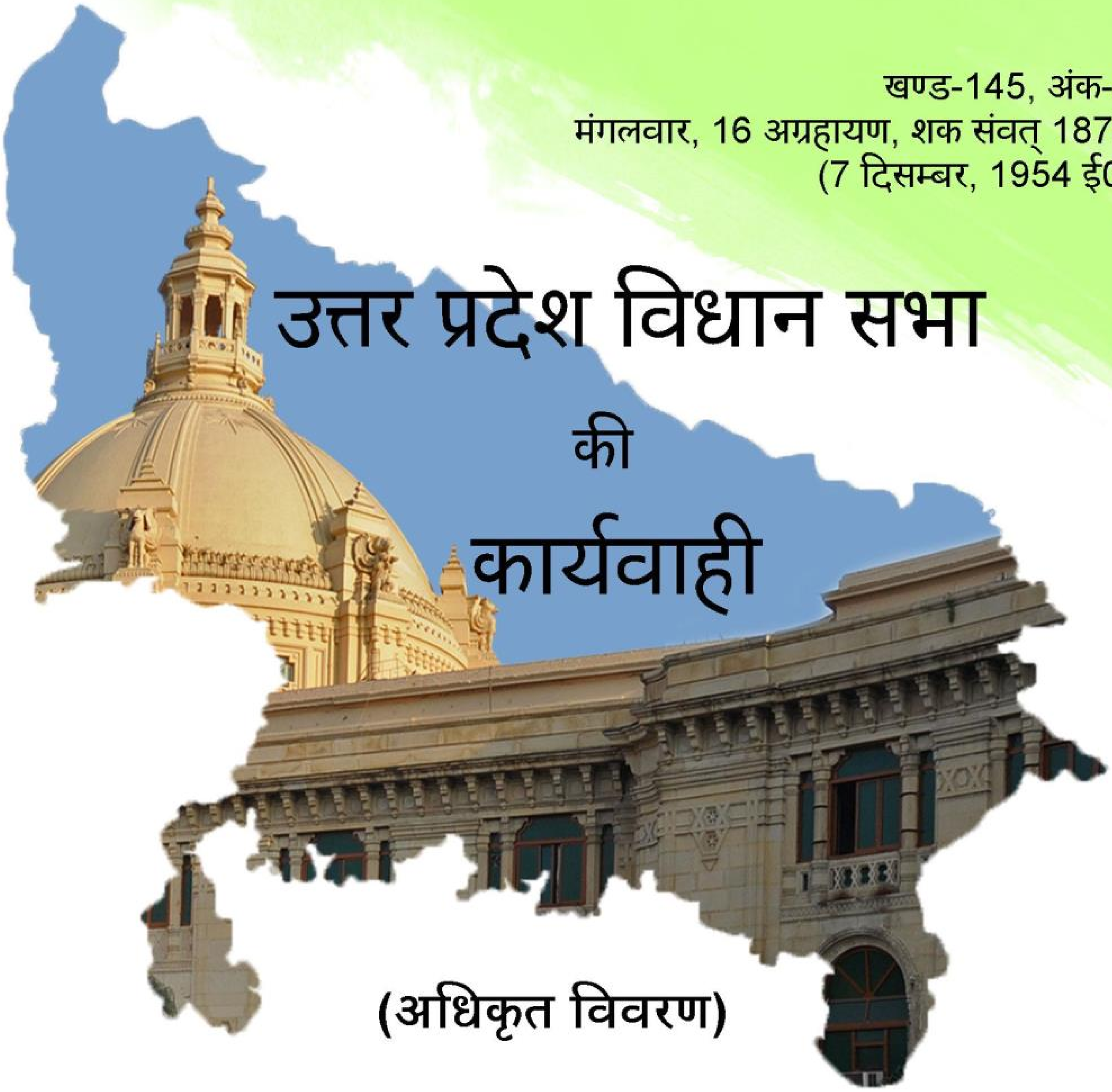

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 145 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनंतस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरणआर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चितरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद , श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी , डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री

फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन ,श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहरी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वदी, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायन, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[१२ अक्तूबर, १९५४ का स्थगित प्रश्न]

* * * *

शराब बन्दी के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*१६—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ ई० में अफीम की बिक्री बन्द कर देने के निश्चय की भांति वह प्रदेश में शराब की बिक्री बन्द कर देने की कोई तिथि निश्चित करने का विचार रखती है ?

न्यायमंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—शराब की बिक्री बन्द करने के प्रश्न पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है इसलिये कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी कर के बतलायेंगे कि इस सिलसिले में शराबबन्दी कहां तक कामयाब हुई या नाकामयाब हुई और इस सिलसिले में गवर्नमेंट आयन्दा क्या करने वाली है और जो डाटा उन्होंने फराहम किया है उसका क्या नतीजा निकला है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—अभी उस कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है वह जेरेग़ौर है और अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस रिपोर्ट के बाद माननीय मंत्री जी इस हाउस की कोई कमेटी इस सिलसिले में बैठाने वाले हैं ?

श्री सैयद अली ज़हीर—अभी तक तो कोई ऐसा ख्याल नहीं है।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कौन-कौन से ऐसे कारण हैं विशेष जिनके कारण सरकार इस विषय पर अपना निश्चित मत नहीं रख रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये तो बहुत से कारण हैं और मैं कई बार बतला चुका हूं। सब से पहला तो यह है कि जहां-जहां शराब बन्दी की गयी वहां पर नाजायज शराब बनने लगी। एक तरफ तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ और दूसरी तरफ जो असली मक़सद था वह हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा यह भी है कि करीब-करीब ६ करोड़ रुपये की आमदनी इस वक्त सरकार को इससे है। ख़याल यह है कि अगर इसको एक दम बन्द कर दिया जाय तो इसके बाद हमको कोई न कोई दूसरा टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि इस आमदनी की कमी पूरी हो सके। अभी तक गवर्नमेंट यह फैसला नहीं कर सकती है कि इसको बन्द करने के बाद कौन दूसरा टैक्स लगाया जायगा। तो इस तरह से और भी चीजें हैं जिनकी वजह से यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अफी फैसला करने में। आज के अखबार में मेम्बरान ने यह भी देखा होगा कि केंद्रीय सरकार खुद भी एक कमीशन मुकर्रर करने वाली है जो कि तमाम देश के इस मसले पर गौर करेगा। एक तीसरी चीज मैं और बतला दूं और वह यह कि कम से कम हमने तो अपने ११ जिले में ड्राई कर दिया है और वहां शराब की बिक्री बन्द है लेकिन आप बंगाल से काश्मीर तक देख जाइये और इसी तरह से और जो सूबे आसपास के हैं, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है। बाज-बाज जगह तो बरायेनाम इसकी तरफ क़दम उठाया गया है लेकिन मुस्तकिल तौर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तो हम अगर बन्द भी कर दें अपने यहां तो इसका नतीजा यह होगा कि नाजायज तौर से शराब बनेगी और यह नहीं होगा तो दूसरे सूबों से स्मगल होकर शराब यहां आयेगी। इसलिये इसके ऊपर आखिरी फैसला उसी वक्त किया जा सकता है जब कि सब सूबे हमारे आसपास के मिल कर एक मुत्तफिक तौर पर फैसला करें कि हम इसको बन्द करने का फैसला करते हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में शराबबन्दी हो चुकी है वहां नाजायज शराब को रोकने के लिये कोई ठोस कदम गवर्नमेंट उठा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—बराबर ठोस क़दम उठ रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि जो गैरक़ानूनी शराब बन रही है उसको रोकने के लिये अब तक जो कदम उठाये गये हैं उसमें सरकार को कामयाबी हुई है या नाकामयाबी हुई है?

श्री सैयद अली जहीर—कामयाबी भी हुई है और नाकामयाबी भी हुई है।

[मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४ के लिए रखे गए प्रश्न]

*१-२—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—[४ जनवरी, १९५५ के लिए स्थगित किये गए]

जिला बलिया में निर्माण विभाग की सड़कें

*३—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में कौन-कौन सी सड़कें निर्माण विभाग की हैं?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—बलिया जिले में निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ—३३३—पर।)

*४—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५-६—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले की सड़कें

*७—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में पहली पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़कें ली गयी हैं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—बस्ती जिले में पहली पंचवर्षीय योजना में ली गई सड़कों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३४–३३५ पर ।)

*८—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—इन सड़कों में से कौन-कौन कितनी बन गयी हैं तथा जो बाक़ी हैं वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन सड़कों पर कार्य की प्रगति सूची में दी हुई है। बाक़ी कार्य की पूर्ति भविष्य में धन की प्राप्ति पर निर्भर है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो काम बाकी रह गया है वह भी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक खत्म कर दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हम आशा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना का पूरा काम समाप्त हो जायगा ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—जो सड़कें बोर्ड को वापस कर दी गयी हैं और जिन की हालत खराब है, क्या सरकार उनको फिर लेकर बनवाने की कृपा करेगी ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अगली पंचवर्षीय योजना बनाते समय जो महत्वपूर्ण सड़कें होंगी उनको ले लिया जायगा और उसी समय उन पर विचार किया जायगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महदावल से बांसी तक जो कच्ची सड़क पी०डब्लू० डी० की है, क्या उसे वर्तमान पंचवर्षीय योजना में पक्का किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उस में महदावल बस्ती एक सड़क है और दूसरी बांसी नौगढ़ है—यह दो सड़कें हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती मेंहदावल रोड पर जो कंकड़ बिछा हुआ था वह क्यों उठा लिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना यहां नहीं है।

हमीरपुर में बेतवा नदी पर पीपों के पुल का निर्माण

*९—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हमीरपुर में बेतवा नदी पर पीपे का पुल बनवाने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह पुल बन गया है ? यदि नहीं तो कब बन कर तैयार हो जायेगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—हमीरपुर में बेतवा नदी पर पीपों का पुल बनवाने का सरकार ने निश्चय किया है और उपलब्ध धन के अनुसार यह काम चालू है। इस कार्य की पूर्ति भविष्य में धन की प्राप्ति पर निर्भर है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्य कब से हुआ है और उसमें अभी तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो नहीं मालूम कि ऐक्चुअल काम कब से शुरू हुआ लेकिन १९४८ में इसका प्रस्ताव आया था। सन् १९५० में इंजीनियर साहब ने इसका एस्टीमेट वगैरह मंजूर करके इस काम को मंजूर किया। मैं ठीक-ठीक तारीख तो नहीं कह सकता लेकिन सन् १९५२ से जहां तक मेरा ख्याल है कुछ काम हुआ है।

श्री जोरावर वर्मा--इस पर कितने रुपये व्यय होने का अनुमान है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसका एस्टीमेट ८ लाख ८९ हजार ७ सौ रुपये का है।

कालपी हमीरपुर रोड पर रोहाइन नाले पर पुल पर निर्माण

*१०--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कालपी-हमीरपुर रोड पर रोहाइन नाले का पुल बनवाने की स्कीम है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--रोहाइन नाले पर पुल बनवाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है इस पुल के दो वर्ष में बनने की सम्भावना है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्य कब से प्रारम्भ हो चुका है और इसमें अभी तक कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह कार्य करीब-करीब साल भर से शुरू है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने रुपये व्यय होने का अनुमान है और यह कार्य किसके द्वारा हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पी०डब्लू०डी० की देख रेख में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ठेकेदारों से करवा रहे हैं। आपने जो इस्टीमेट पूछा था तो २ लाख ५० हजार रुपये के करीब इसका एस्टीमेट है।

सूपा-चरखारी रोड पर पुल पुलियों के निर्माण का विचार

*११--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह सूपा चरखारी रोड को पक्का करने और उस पर पुल बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूपा चरखारी सड़क को पक्का करने तथा उस पर पुल पुलियों के निर्माण की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है और कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जायगा। इस कार्य की पूर्ति प्रायः भविष्य में धन प्राप्ति पर निर्भर है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह रोड जो है गतवर्ष श्रमदान द्वारा निर्मित हुयी है और शीघ्र कार्य इस पर न होने के कारण जनता हतोत्साहित हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह कार्य श्रमदान से हुआ था। यह सड़क बहुत जल्दी में ली गयी थी और इससे जल्दी कोई काम नहीं हो सकता था।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क का कार्य राज्य सरकार के रुपये से होने जा रहा है या केन्द्रीय सरकार के ग्रान्ट पर निर्भर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कार्य तो अपना है और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह रोड उन्हीं रोड्स में से है जो कि केन्द्रीय सरकार की ग्रांट से शीघ्र ही बनने वाली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मैं अभी सही नहीं कह सकता क्योंकि इसके सम्बन्ध में मेरे पास अभी तक कोई इत्तला नहीं आयी है ।

रिहन्द बांध के निकट खनिज पदार्थों की खोज

*१२—**श्री व्रजभूषण मिश्र** (ज़िला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध (रेणुका सरोवर) के सर्वे के सिलसिले में उस क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थों तथा उद्योग धंधों की सम्भावनाओं का भी पता चला है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की पूरी तौर से जांच पड़ताल नहीं हुयी है । मिनरालाजिकल नक्शों से यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में कच्चे माल व खनिज पदार्थ काफी हैं ।

*१३—**श्री व्रजभूषण मिश्र**—यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस सम्बन्ध में उद्योग धंधों की योजनाओं को बनाने के पहले जिलयोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के द्वारा मिनरालाजिकल सर्वे की आवश्यकता होगी ।

*१४—**श्री व्रजभूषण मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध (रेणुका सरोवर) में कितने ग्राम, कितनी जनसंख्या तथा कितनी कृषि भूमि डूब में आवेगी और उन्हें बसाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है या नहीं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—९३ गांव जिनमें ४०, १४० एकड़ खेती योग्य जमीन है और जिनकी जनसंख्या ३१,६७१ है डूब में आवेंगे इस जनसंख्या को फिर से बसाने के लिये एक योजना विचाराधीन है । दूधी तहसील में इन लोगों के लिये माडल गांव बनाने का विचार है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये मिनिरेलोजिकल नक्शे किस सन् में और किस के द्वारा तैयार किये गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सन् तो मुझे याद नहीं है मगर जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का मिनिरेलोजिकल डिपार्टमेंट रहता है वही सब जगह के नक्शे बनाता है और उसी ने ये नक्शे भी बनाये हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यहां कौन से मिनिरल्स का याने कच्चे माल का पता चला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब से अर्ज करूं कि फेहरिस्त लम्बी है, मेरे पास मौजूद है, जिन मेम्बर साहबों को देखना होगा मैं दिखा दूंगा । यह फेहरिस्त किताब में छपी हुयी मौजूद है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं मोटे तौर से चीजों के नाम जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिये कि इस वक्त उनको सब पढ़ना पड़ेगा। उनकी याददाश्त में नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या कोई योजना इसकी विस्तार रूप से जांच करने के लिये बनायी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—याने वहां के मिनिरल्स वगैरह को यूटिलाइज करने के लिये ?

श्री व्रजभूषण मिश्र—छानबीन करने के लिये, तहकीकात करने के लिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने वहां पर और खनिज पदार्थों का विस्तार रूप से पता लगाने के लिये कोई विभाग कायम किया है या करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसके लिये सरकार को कोई अलग मुहकमा कायम करने की जरूरत नहीं होती है। मिनिरेलोजी के मुताल्लिक स्टाफ रहता है गवर्नमेंट आफ इंडिया में, जहां कहीं जरूरत होती है उनको इत्तला दे दी जाती है, वह लोग खुद ही आ कर देख भाल करते हैं उसकी।

श्री शिवनारायण—सरकार ने बताया है कि वह वहां के लोगों को बसाने वाली है तो क्या वह योजना अगले मार्च तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसके अगले मार्च तक पूर्ण होने की जरूरत ही नहीं है।

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, सरकार ने जवाब दिया था कि लोगों को जो उसमें पड़ जाते हैं अलग बसाया जायगा, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन आदमियों को कबतक बसाया जायगा क्या आप उन्हें अपने बजट में रूपया रख कर बसावेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह लोग उस जगह के हैं जो कि रिहन्द डैम के रिजर्वायर की जगह है। वह जगह आजसे तीन साल बाद काम में लाई जायगी और तब उन आदमियों को दूसरी जगह हटाने की जरूरत होगी। मैं उस हाउस में इसका जवाब दे चुका हूं कि इंतजाम हो रहा है और जब वक्त आयेगा तो उनको वहां से उठा कर पूरे इंतजाम से बसा दिया जायगा।

*१५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसील बागपत में यमुना नहर में पानी की कमी

*१६—श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि नहर यमुना पूर्वी के लगभग सभी रजबहे जिनके द्वारा तहसील बागपत जिला मेरठ में सिंचाई होती है जुलाई सन् १९५४ की वर्षा के बाद अगस्त में बन्द रहे ?

सचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—यमुना नहर की चैनलें जो तहसील बागपत जिला मेरठ के क्षेत्रों को सींचती हैं अगस्त, सन् १९५४ में बन्द नहीं रही, परन्तु वे रुक-रुक कर चलीं, क्योंकि ताजेवाला और कलसिया के बीच नदियों और नालों में बाढ़ आने के कारण पूर्वी नहर को हेड से बहुधा बंद कर देना पड़ा।

आजमगढ़ जिले में सलोना ताल पम्प नहर से सिंचाई

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत सलोना ताल पम्प नहर से चालू वर्ष में कितने एकड़ की सिंचाई हुयी है।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—सलोना ताल पम्प नहर से रबी १३६१ फसली, १९५३-५४ में ३८४ एकड़ की सिंचाई हुयी तथा खरीफ १३६२ फसली, १९५४ में ८२ एकड़ की आबपाशी हुयी है?

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत सलोना पम्प नहर से किस दर पर सिंचाई की गयी है?

श्री राममूर्ति—दिनांक ३१ मार्च, १९५४ की सरकारी विज्ञप्ति संख्या १५७९ डब्लू २३-६२ डब्लू १९४६ की अनुसूची संख्या १ में अंकित सिंचाई दरें सलोना ताल नहर पर लगायी जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं:—

	तोड़	डाल
गन्ना	३२ रु०	१६ रु०
गेहूं या जौ	१२ रु०	६ रु०
अन्य रबी फस्लें	९ रु०	४ २/१ रु०
अन्य खरीफ फस्लें	७ रु०	३ १/२ रु०

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि जो नहर बनाने के लिये ली गयी थी उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है?

श्री राममूर्ति—भू-अधिकरण के कागजात तैयार हो चुके हैं और लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ और ६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर मुआविजा देने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि तोड़ और डाल का क्या अर्थ है?

श्री राममूर्ति—जो पानी बहाव से खेत भर जाता है उसे तोड़ कहते हैं और जो पानी रहट वगैरह से उठाया जाता है उसे डाल कहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि ३८४ एकड़ की जो सिंचाई हुई है उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई है?

श्री राममूर्ति—आमदनी के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन रेट मैंने अर्ज कर दिया।

हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध का निर्माण

*२०—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन डैम (हमीरपुर) कब तक बन कर तैयार हो जायेगा?

श्री राममूर्ति—अर्जुन बांध का निर्माण तो पूर्ण हो चुका है। उससे निकलने वाली नहरों का निर्माण कार्य चालू है जो सम्भवतः १९५५–५६ में पूर्ण हो जायेगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अखटोंहा गांव के निवासियों से इस प्रकार की शिकायत मिली है कि अर्जुन डैम की रिझन से बड़ा नुकसान हो रहा है और उनको खतरा है कि वह गांव किसी समय बह सकता है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई शिकायत आयी नहीं है अभी। लेकिन अगर मेम्बर साहब लिख कर दें तो उसकी जांच करायी जा सकती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी इसका इस्केप और इस्केप के पास लगभग २ फर्लांग बांध बनने को पड़ा हुआ है, वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—काम लगा हुआ है बहुत जल्दी पूरा हो जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि अर्जुन डैम पर सरकार ने कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब इस वक्त इसका आंकड़ा तो नहीं है। अगर नोटिस दें तो बता दिया जायगा। वैसे मेरा खयाल है कि ८० लाख और १ करोड़ के बीच में है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय सूचना मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बांध से केवल पानी का ही काम लिया जायगा या बिजली पैदा करने का भी काम लिया जायगा और कितनी जमीन को इससे पानी मिलेगा ?

श्री राममूर्ति—इससे पानी का ही काम लिया जायगा। लेकिन यह सूचना इस वक्त नहीं है कि कितनी जमीन इससे सिंचित होगी।

अर्जुन-बांध निर्माण में मृतक रामदीन की विधवा को मुआवजा

*२१—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अर्जुन बांध पर मशीन द्वारा मारे गये बेलदार रामदीन की विधवा पत्नी को मुआवजा (compensation) मिल गया ? यदि हां, तो कब और कितना ?

श्री राममूर्ति—कलक्टर हमीरपुर ने कुल मुआवजा ३,५०० रु० निर्धारित किया है, जिसमें से ३०० रु० स्वर्गीय बेलदार रामदीन की विधवा को मिल चुका है। शेष ३,२०० रु० के भुगतान के लिये कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार चरखारी को बेलदार के वैधानिक उत्तराधिकारियों को दे देने का आदेश दे दिया है।

*२२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि अर्जुन बांध का कम्पेन्सेशन बांटने वाले अधिकारी ने दस प्रतिशत रुपया काट कर लोगों को मुआवजा बांटा है ? इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस प्रकार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुयी थीं। संबंधित अधिकारी को पदच्युत कर दिया गया है। तथा मामले की पूरी-पूरी छान बीन की जा रही है।

सई तथा गंगा के बीच शारदा सागर जलाशय योजना

*२३—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सई गंगा के बीच की भूमि की सिंचाई के लिये नहर बनाने की जो योजना बनायी गयी है उस पर अब तक कितनी प्रगति हुयी है और वह योजना कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गंगा और सई नदियों के बीच इलाहाबाद-प्रतापगढ़ सड़क के पूर्व में स्थित इलाहाबाद, जौनपुर तथा बनारस जिलों के क्षेत्रों की सिंचाई के लिये शारदा सागर जलाशय योजना के अन्तर्गत (जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है) नहर बनाने का प्रस्ताव है। मुख्य नहर का मार्ग निर्धारित करने तथा उसके आगणित मूल्य को जानने के लिये उक्त क्षेत्र का सर्वे कराया जा रहा है, जो आशा है, दो मास में समाप्त हो जायगा।

*२४—श्री नागेश्वर द्विवेदी (अनुपस्थित)—क्या उपर्युक्त क्षेत्र के लिये कोई दूसरी योजना भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त क्षेत्र के लिये कोई अन्य योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

बरेली-मुरादाबाद तथा बरेली-खटीमा ट्रान्समिशन लाइन्स

*२५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली से मुरादाबाद व बरेली से खटीमा को जो हाई वाल्टेज ट्रान्समिशन लाइनें बनायी जा रही हैं उनकी पृथक्-पृथक् क्या लम्बाई है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—बरेली-मुरादाबाद १३२ के० वी० लाइन ५८ मील लम्बी है और बरेली-खटीमा लाइन ५५ मील।

*२६—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ट्रान्समिशन लाइनों को बनाने का ठेका किन फर्म्स को दिया गया है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—बरेली-मुरादाबाद लाइन का ठेका सर्व श्री एलेक्ट्रिकल मशीन्स कार्पोरेशन को और बरेली-खटीमा लाइन का सर्व श्री कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन को दिया गया है।

*२७—श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रान्समिशन लाइनों के बनाने में पृथक्-पृथक् कितना खर्च पड़ेगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—बरेली-मुरादाबाद लाइन की लागत का तखमीना ३२.३१ लाख रुपया और बरेली-खटीमा लाइन का ३०.६३ लाख रुपया है।

मुजफ्फरनगर जिले में सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता

*२८—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में अनावृष्टि के कारण फसल को हानि पहुंच गयी है ?

श्री राममूर्ति—खाकी क्षेत्रों में फसल को वर्षा की कमी के कारण कुछ हानि हुयी, परन्तु सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल की दशा संतोषजनक रही और कोई विस्तृत हानि नहीं होने पायी। वर्षा के अभाव के काल में नहरें तथा राजकीय नलकूप लगातार सिंचाई की मांग की पूर्ति के लिये चलते रहे।

*२९—श्री बलवन्त सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार रबी की बुआई तक नहर के रजबहे और ट्यूबवेल्स को बराबर जारी रखने का आदेश फौरन जारी करेगी ?

श्री राममूर्ति—रबी के पलेवा के लिये पानी की मांग समाप्त हो चुकी है। अब रबी कोर की सिंचाई के लिये नहरें तथा राजकीय नलकूप किसानों की मांग तथा ओसराबन्दी के अनुसार चलाये जा रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बरसात में कितनी औसत वर्षा मुजफ्फरनगर जिले में होती है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसका तो आंकड़ा नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि करीब २० इंच पानी बरसता है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि विटनेस का जैसा क्रास एग्जामिनेशन होता है वैसे एक-एक टुकड़ा करके आप प्रश्न न पूछें। आप कृपा करके पूरा प्रश्न जो उद्देश्य है उसके हिसाब से पूछें तो जवाब अच्छा मिल सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में वर्षा ऋतु में वर्षा भी कम हुयी और नहर जमन भी १८ दफा बन्द करनी पड़ी ?

श्री राममूर्ति—नहर जमन तो इसलिये बन्द करनी पड़ती है कि उसके ऊपर ४ नाले ऐसे हैं कि जब वह ज्यादा तेजी से वर्षा होने से भर जाते हैं तो फिर नहर को बन्द करना पड़ता है और नालों के पानी को पास करने दिया जाता है। तो वह हमेशा ही बन्द हुआ करती है और हर मानसून में २०-२५ दफे बन्द हुआ करती है। लेकिन वर्षा का जहां तक ताल्लुक है वह अगस्त में सारे प्रदेश में कम हुयी थी। लेकिन फसल के वक्त में काफी वर्षा हुयी थी और मुजफ्फरनगर में भी काफी वर्षा हुयी थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ध्यान है कि जिस समय नहर जमन १८ दफा बन्द हुयी और वर्षा भी कम हुयी उस समय माननीय मंत्री जी से यह शिकायत की गयी थी कि वर्षा के न होने की वजह से काफी नुकसान फसलों को पहुंचा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। वर्षा कुछ कम हुयी थी और शिकायत भी की गयी थी लेकिन लाचारी है। वर्षा के ऊपर तो कुछ कंट्रोल है नहीं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है कि जमन नहर बरसात में बन्द न करनी पड़े ?

श्री राममूर्ति—जी हां। एक ऐसी योजना हमारे सामने है और उसकी लागत करीब ६ लाख रुपये होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष में गालिबन उस पर कार्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी के सम्मुख ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन है कि वह जो क्षति फसल को पहुंची है उसमें आबपाशी में कुछ छूट देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फसल को जरूर क्षति पहुंची है। उस पर अमूमन जो कानूनी कार्यवाही है वह की जाती है और जहां कहीं भी क्षति पहुंची है वहां वह कार्यवाही की जायगी।

विधान सभा के सदस्यों को रेलवे पास देने से इन्कार

*३०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि विधान सभा के सदस्य को प्रदेश भर के लिये रेलगाड़ियों के पास देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर—हमारी कुछ बातचीत इस विषय में केन्द्रीय सरकार से हुयी थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार पास देने की किसी योजना में सहमत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आपने शायद कुछ ज्यादा पढ़ दिया है। मेरे पास तो यह उत्तर आया है कि इस विषय में प्रादेशिक सरकार तथा भारतीय सरकार के बीच लिखा पढ़ी हो रही है, इतना ही है ।

श्री सैयद अली जहीर—जो जवाब मैंने पढ़ा वह दो दिन हुये जब भेजा गया था ।

श्री अध्यक्ष—आप करेक्टेड जवाब मेरे पास भेज दें। इस समय आप इसको फिर से पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर—हमारी कुछ बातचीत केन्द्रीय सरकार से हुयी थी किन्तु, केन्द्रीय सरकार पास देने की किसी योजना से सहमत नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो इंक्वायरी का जवाब दिया है उसके कारण लिखे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं कोई कारण नहीं दिये । अगर आप कहें तो मैं खत पढ़ कर सुना दूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने के लिये कुछ माननीय सदस्य दिल्ली भेजे जायें ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में किसी माननीय सदस्य पर कोई नियंत्रण नहीं है जो चाहे बात चीत करे ।

श्री गेंदा सिंह—क्या राज्य सरकार फिर एक बार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेगी कि ऐसे पासेज दे दिये जायं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें दो दफा लिखा जा चुका है और इंकार आ गया है । इसलिये फिर से लिखना जरूरी नहीं मालूम होता है ।

शारदा पावर हाउस की एक पावर चैनल और पुल का बेकार हो जाना

*३१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि शारदा पावर हाउस कीएक पावर चैनल और पुल जो बेकार पड़े हैं उनके बनाने में २० लाख रुपया व्यय हुआ था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक पावर चैनेल और पुल जिस पर १२,७९,७८८ रुपया खर्च हुआ था पावर चैनल का मार्ग बदल जाने की वजह से छोड़ देने पड़े ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पावर चैनल का मार्ग किन कारणों से बदलना पड़ा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो चैनल मार्ग पहले से था जब वह ज्यादा गहराई पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि इसकी नीचे की मिट्टी पानी की कुब्बत को बरदाश्त नहीं कर सकती । इस पर गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट की एक टेक्नीकल कमेटी बैठायी और उन्होंने इसको जांचा और उसके बाद रिपोर्ट दी कि इसको छोड़ दिया जाय । इसके साथ-साथ फारेन एक्सपर्टस ने भी इसको जांचा और उन्होंने भी यही राय दी कि यह ठीक नहीं हो सकता है । लिहाजा इसको छोड़कर दूसरा भाग बनाया गया है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली पावर चैनल को बनाने से पहले क्या इंजीनियरों ने इसका सर्वे नहीं किया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐसी बात पैदा हुयी कि ऊपर से देखने वाला समझ नहीं सकता था। बहुत मुश्किल है जमीन की गहराई के अन्दर मालूम करना ।

*३२-३३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[८ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न सं० ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

करवी-राजापूर रोड के निर्माण का ठेका

*३४—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि करवी राजापुर रोड में कितने मील तक का काम करने का ठेका हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ठेका अभी नहीं हुआ है परन्तु शीघ्र होने की सम्भावना है।

*३५—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह काम कब से शुरू होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ठेका हो जाने पर कार्य प्रारम्भ होने की सरकार आशा करती है।

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ठेका अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके टेंडर मांगे गये हैं और कार्यवाही हो रही है।

श्री जगपति सिंह—क्या पहले कोई टेन्डर कम कीमत पर दिये गये थे और कैंसिल किये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

ट्यूबवेल व नहर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में १९५२-५३ में ट्यूबवेल व नहर विभाग के कितने पदाधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुयीं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—१९५२-५३ ई० में ट्यूबवेल व नहर विभाग के २ स्थानापन्न एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों तथा १ अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। इनमें से दोनों एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया गया और असिस्टेंट इंजीनियर का मामला अभी विचाराधीन है।

उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त २१८ नान गजेटेड कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। इनमें से ८ को कोर्ट से सजा मिली तथा ३४ को बरखास्त अथवा नौकरी से अलग कर दिया गया। ९८ कर्मचारियों को विभागीय कार्यवाहियों के द्वारा हल्की सजायें दी गयी और ५३ कर्मचारी कोर्ट अथवा विभागीय कार्यवाहियों द्वारा बरी कर दिये गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर महोदय का जो मामला ढाई या तीन साल से विचाराधीन है तो इतनी देरी का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला अलीगढ़ के ट्यूबवेल डिवीजन से सम्बन्ध रखता है। काफी छानबीन हुयी, काफी उलझा हुआ सा मामला था और अब असिस्टेंट इंजीनियर के इन्क्रीमेंट रोक दिये गये हैं। उनको जो सजा देनी तजवीज हुयी है पब्लिक सर्विस कमीशन को कायदे के अनुसार लिख दिया गया है। उनकी स्वीकृति शीघ्र ही आ जाय तब अंतिम रूप से उसका फैसला हो सकता है। अभी उनकी राय नहीं आयी है। इसी लिये कहा गया है कि मामला विचाराधीन है। अन्यथा सारा मामला फैसल हो चुका है जहां तक सरकार का ताल्लुक है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि २१८ नान गजेटेड कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुयी थीं, उसमें जो आंकड़े सजा या छूट वगैरह के दिये हैं उसमें जो २५ आदमी अभी तक शेष हैं उनके ऊपर क्या हुआ ? क्या सरकार यह बतलायेगी ?

श्री राममूर्ति—उनके खिलाफ भी गालिबन जांच हो रही होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूची जो उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थित की है इसमें नहर विभाग के कर्मचारी अधिक हैं या ट्यूबवेल विभाग के ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवेल और सिंचाई विभाग सब मिलते जुलते ही विभाग हैं। कभी इसके अफसर उधर चले जाते हैं कभी उधर के अफसर इधर आ जाते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—मेरा मंशा था नहर विभाग और ट्यूबवेल विभाग से।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह विभाग ही, न नहर विभाग है और न ट्यूबवेल विभाग है। जो विभाग है वह सिंचाई विभाग है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि इन कर्मचारियों में ट्यूबवेल आपरेटर्स कितने हैं ?

श्री राममूर्ति—इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। आप नोटिस दें तो मालूम करके फिर बतला दूंगा।

गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में नहर निकालने की योजना

*३७—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में कोई नहर और रेगुलेटर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां और कब तक इनका निर्माण होगा ?

श्री राममूर्ति—रामगढ़ पम्प केनाल तहसील मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर में निर्माण हो रही है। यह रामगढ़ के पास टोंस नदी से निकलती है और सिघागढ़ के पास तक जाती है। इसके अतिरिक्त असावार और गोशलपुर ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये छोटी सरजू के किनारे बांध बनाने के प्रस्ताव हैं। यदि ये बांध बनाये गये तो उनके साथ कुछ रेगुलेटर भी बनेंगे जो ऐसे स्थानों पर होंगे जहां कोई नाला प्रस्तावित बांध को काटता हो। मंगई नदी पर बने बांधों को हटा कर उनकी जगह पक्के रेगुलेटर बनाने का विचार भी है। हाठा और गरौरे के बीच में इनको बनाने का प्रस्ताव है। उक्त योजनाओं की जून १९५५ तक बन जाने की आशा है।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि रामगढ़ से जो नहर सिघागढ़ गयी है उसमें कितने रुपये खर्च हो गये हैं और होने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—इसकी अनुमति लागत करीब ३ लाख रुपये होगी।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपा करेगी कि हाटा में जो पुल टूट गया है वहां सरकार रेगुलेटर बनाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति—यह तो उत्तर में ही कहा गया है कि उसके बीच में भी रेगुलेटर बनेंगे । ।

*३८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

हिण्डन नदी पर जलाशय निर्माण योजना

*३९—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में बांध बनाकर आगरा नहर से मथुरा व आगरा की पानी की कमी पूरी करने की जो योजना है उस पर कब से काम शुरू होगा तथा वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—हिन्डन नदी पर जलाशय बनाने की योजना का प्राक्कलन सरकार के विचारधीन है । इस पर व्यय की व्यवस्था कैसे हो इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । धन का आयोजन होने पर, आशा है कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा और दो वर्ष में पूरा हो जायगा ।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है जैसा कि उन्होंने खुद मथुरा जिले में जा कर मौके पर देखा है उसको ध्यान में रखते हुये कब तक धन की व्यवस्था करके काम शुरू कर दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिंडन के जलाशय के सम्बन्ध में प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । ऐसे तो इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है और इरादा यह था कि अगर भारत सरकार से पैसा मिल जाय तो इसी योजना में हम आरम्भ भी कर दें लेकिन इस बीच में वहां के निवासियों की ओर से जिनकी जमीन बहुत बड़ी तादाद में डूबती है सरकार के पास यह अनुरोध किया गया कि उसे फिर से देखा जाय । अभी हाल ही में स्वयं, माननीय कृषि मंत्री और उपमंत्री कृषि उस स्थान को देखने के लिये गये थे । हम लोगों ने काफी घूम फिर कर यह देखा कि जहां यह स्थान बनने वाला है वहां कितनी जमीन डूबेगी और यह मामला सरकार के विचाराधीन है, पैसे का मामला भी सरकार के विचाराधीन है और बांध का पूरा नक्शा जिस तरह से वह बना है, वह भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितने गांवों की कितनी भूमि अफेक्ट होगी ?

श्री राम मूर्ति—इस सिलसिले में बहुत डिटेल्स में पिछली मर्तबा चीजें बतलायी जा चुकी हैं ।

रहटों के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*४०—श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुफ्त अथवा आधे दामों पर रहटें, किसानों को किन-किन शर्तों तथा किसकी स्वीकृति पर दी जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—मुफ्त अथवा आधे दामों पर रहट बांटने की कोई योजना नहीं है । अतः किसी शर्त अथवा किसी की स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद के जज की अदालत में हरिजन उम्मीदवारों की परीक्षा

*४१--श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद के जज के कोर्ट में गत माह जो पेड अपरेंटिस रक्खे जाने के लिये उम्मीदवारों की परीक्षा हुयी उनकी संख्या कितनी थी ?

श्री सैयद अली जहीर--फर्रुखाबाद के जज की अदालत में पेड अपरेंटिस (Paid apprentice) रक्खे जाने के लिये उम्मीदवारों की परीक्षा पहली अगस्त, १९५४ को हुयी थी और उसमें ११ उम्मीदवार बैठे थे ?

*४२--श्री पातीराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने गैर हरिजन उम्मीदवार और कितने हरिजन उम्मीदवार उस परीक्षा में सम्मिलित हुये थे ?

श्री सैयद अली जहीर--१० हरिजन और १ गैर हरिजन थे।

श्री पातीराम--क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह परीक्षा केवल हरिजन उम्मीदवारों के लिये ही थी या औरों के लिये भी ?

श्री सैयद अली जहीर--केवल हरिजनों के लिये निकाली गयी थी।

श्री पातीराम--तो एक गैर हरिजन उम्मीदवार कैसे इसमें शामिल हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर--वह खास एक सूरत थी। उसका बाप पहले से नौकर था। उसको दिक की बीमारी हो गयी थी। उसने कहा कि मैं नौकरी से रिटायर हुये जाता हूं, मेरे लड़के का इम्तहान ले लिया जाय, अगर वह पास हो जाय तो उसे ले लिया जाय। जगह सब हरिजनों के लिये थीं लेकिन उनमें उसे बैठने की इजाजत दे दी गयी और वह बैठा।

श्री पातीराम--क्या सरकार को इस बात का पता है कि जो टाइप की परीक्षा हुयी उसके लिये हरिजन उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि यह गैरहरिजन उम्मीदवार इसमें शामिल किया गया है ? तो क्या वहां के कर्मचारियों ने उस टाइप की परीक्षा की व्यवस्था की थी ?

श्री सैयद अली जहीर--मुमकिन है ऐसा हुआ हो इसके मुताल्लिक कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है।

मैनपुरी जिले में ईशन नदी पर पुल निर्माण योजना

*४३--श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार मैनपुरी जिले में श्यामपुर नौरेर ग्रामों के निकट स्थित ईशन नदी का पुल निर्माण करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रस्तावित पुल के निर्माण का विचार जिला मैनपुरी की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय किया जायगा।

*४४--श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि जिले की जनता ने भी इस कार्य के लिये कुछ रुपया एकत्रित किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं पर विचार करने और निश्चित करने में अन्दाजन कितना समय लगेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कोई विशेष समय नहीं लगेगा। पहली पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते ही उस पर विचार होगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता द्वारा कितना रुपया एकत्रित किया गया है और कुल खर्च का तखमीना कितना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तखमीना ५० हजार रुपये का है और डेवलपमेंट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसका कहना है कि जनता द्वारा जो रुपया इकट्ठा किया गया है वह नहीं के बराबर है।

खटीमा पावर हाउस से नलकूपों के लिए बिजली

*४५. —श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खटीमा पावर हाउस से वह इस वर्ष रबी की आगामी फस्ल के लिये खीरी, सीतापुर इत्यादि जिलों के नलकूपों को बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री रामभजन शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खटीमा पावर हाउस से नलकूपों के लिये बिजली कब तक मिल सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगले मार्च के बाद मिल सकेगी।

*४६—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बांदा जिले में नरैनी-कालिंजर रोड को पक्का करने की योजना

*४७—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की नरैनी तहसील से कालिंजर तक जो सरकार का पक्का रोड बनाने का विचार है उस पर कब से काम शुरू किया जायेगा और वह कब तक पूरा हो जायगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—नरैनी से कालिंजर तक की सड़क को पक्का बनाने हेतु आवश्यक धन केन्द्रीय सरकार ने प्रदान करना स्वीकार किया है और विस्तारित आगणन उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जा चुका है जिसकी प्राप्ति पर काम शुरू किया जायेगा। कार्य की पूर्ति भविष्य में धन की प्राप्ति पर निर्भर है।

*४८—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार का इरादा इस रोड को विन्ध्य प्रदेश की उस रोड से मिला देने का है जो बाम्बे तक का पथ मार्ग बनाती है और जो अपने प्रदेश की उपर्युक्त सड़क से केवल ५ मील की दूरी पर है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*४९—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

उपमंत्री की कोठी के लिए प्राक्कलन

*५०—श्री श्रीचन्द्र—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीफ इंजीनियर पी० डब्लू०डी० ने उपमंत्री की एक कोठी के लिये कितना एस्टीमेट दिया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—चीफ इंजीनियर पी० डब्लू०डी० ने २३,००० रु० का एस्टीमेट दिया था।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एक-एक कोठी पर क्या-क्या खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---एक-एक कोठी पर अलग-अलग जो खर्च हुआ है वह यह है:---

नम्बर एक पर	रु०	२३,२९०	आ०	११	पा०	३
नम्बर दो पर	,,	२३,४१०	,,	८	,,	०
नम्बर तीन पर	,,	२२,२४६	,,	४	,,	०
नम्बर चार पार	,,	२५,०७०	,,	१	,,	०

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इन कोठियों का एस्टीमेट १ बार बनाया गया या २ दफा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हर ऐस्टीमेट २ बार बनता है ।

गोरखपुर जिले में नारायणी पोखरा नहर से सिंचाई की योजना

*५१---श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की पनियरा और रोहिन नदी के बीच के क्षेत्र में जो लगभग १५० मील है कोई सिंचाई का साधन प्रस्तुत करने का वह आयोजन कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---इस क्षेत्र में सिंचाई नारायणी पोखरा नहर द्वारा होगी । इस योजना पर कार्य आरम्भ हो रहा है और आशा है कि दो वर्ष में यह कार्य समाप्त हो जायगा ।

श्री शुकदेव प्रसाद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति---काम शुरू हो गया है, २ साल में पूरा हो जायगा और इस पर करीब ५० लाख रुपया खर्च होगा ।

श्री शुकदेव प्रसाद---इससे कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति---३० हजार एकड़ ।

गोरखपुर से निचलौल तक बिजली ले जाने की आवश्यकता

*५२---श्री शुकदेव प्रसाद---क्या सरकार आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर से महाराजगंज होते हुये निचलौल की ओर बिजली की लाइन ले जाने का विचार रखती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं ।

श्री शुकदेव प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कोई खास वजह तो नहीं है । स्टेट भर में काम हो रहा है, होते-होते इसका भी किसी दिन नम्बर आजावेगा ।

सीतापुर जिले के परगना गोलदामऊ में सिंचाई का कष्ट

*५३---श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सीतापुर के परगना गोलदामऊ में गोमती नदी के पूर्व ओर सम्पूर्ण आधे परगना में सिंचाई के लिये पानी का अभाव है ?

श्री राममूर्ति—सीतापुर जिले में परगना गोलदामऊ का यह भाग, जो कि लगभग ४ मील की चौड़ाई लिये हुये गोमती नदी के किनारे फैला हुआ है, इस समय नहर कमान्ड से बाहर है तथा वहां सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार इस भूभाग में ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गंगाधर शर्मा—कब तक यह निश्चित हो सकेगा ?

श्री राममूर्ति—नये कामों के लिये अभी कोई निश्चित बात कहना मुश्किल है।

सलोनताल पम्प्ड कैनाल के लिए ली गई भूमि का मुआवजा

*५४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ ताल सलोना से जो नहर निकली है उसमें खेतिहरों की कितनी जमीन ली जा चुकी है ?

श्री राममूर्ति—सलोना ताल पम्प्ड केनाल निर्माण हेतु लगभग ३० एकड़ भूमि अब तक ली जा चुकी है।

*५५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो जमीन नहर तथा रास्ता में ली गई है, उसका मुआवजा खेतिहरों को दिया जायगा ? अगर हां, तो कितना ?

श्री राममूर्ति—मुआवजा अवश्य दिया जायगा जो अनुमानतः १५,००० रुपया होगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि यह ३० एकड़ जमीन कितने किसानों से प्राप्त की गई है ?

श्री राममूर्ति—किसानों की संख्या तो इस समय मेरे पास नहीं है, टोटल।

श्री झारखंडे राय—यह मुआवजा देने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—मेरे ख्याल से जल्दी ही होगा चूंकि इसका एस्टीमेट बन चुका है।

पीलीभीत में मुन्सिफ की आवश्यकता

*५६—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत में मुन्सिफ कितने समय से नहीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला पीलीभीत में ७ अक्तूबर, १९५२ से मुन्सिफ नहीं हैं।

*५७—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि वहां सैकड़ों मुकदमें अब तक पेंडिंग हैं और इससे वहां की जनता को तकलीफ है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*५८-५९—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर को बिजली देने की योजना

*६०—श्री रामबली मिश्र—क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर शहर में बिजली की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सुल्तानपुर शहर के वास्ते बिजली का इन्तजाम आने वाली पंच वर्षीय योजना में करने पर विचार हो रहा है।

श्री राम बली मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि शहर सुल्तानपुर के निकट जो बिजली के खंभे लग रहे हैं वे किस योजना के अन्तर्गत हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बात यह है कि सुहावल एक जगह है जहां एक पावर स्टेशन है । उस पावर स्टेशन में बिजली बढ़ाई जा रही है और उस बिजली के बढ़ने की वजह से , उस एरिया में जहां-जहां वह पहुंच सकेगी वहां वहां बिजली की लाइन बिछाई जा रही है, यहां भी वही लाइन पड़ रही है।

शीरे के वितरण की व्यवस्था

*६१—**श्री अब्दुल मुईज खां** (जिला बस्ती)—क्या मादक-कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे प्रदेश की चीनी मिलों के शीरे को जो सरकार के काम से शेष रह जाता है वह किस आधार पर किसको देती है ?

श्री सैयद अली जहीर—उत्तर प्रदेश में वह शीरा जो डिस्टिलरीज की आवश्यकता से अधिक होता है, मोलेसेज कन्ट्रोलर द्वारा या संबंधित चीनी मिलों द्वारा जैसी परिस्थिति हुई, शीरे के व्यापारियों को दिया जाता है। मोलेसेज कन्ट्रोलर साधारणतः टेन्डर मंगा कर शीरा देते हैं।

*६२—**श्री अब्दुल मुईज खां**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो वर्षों में कितना शीरा इस तरह शेष रहा और इसको किस प्रकार प्रयोग में लाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—पिछले दो वर्षों में १९५२-५३ व १९५३-५४ में क्रमशः ६०,१९,४५० मन (इसमें सन् १९५१-५२ का ३८,६९,४४६ मन शीरा सम्मिलित है) व ६,४९,८३७ मन शीरा डिस्टिलरियों की आवश्यकता से अधिक था। सन् १९५२-५३ ई० के ६०,१९,४५० मन शीरे में से ४,४८,५८० मन शीरा, टेन्डर मंगाने के पश्चात् परमिटों पर दिया गया तथा ५५,७०,८७० मन शीरा चीनी मिलों को उनके ही द्वारा बेचने के लिए दिया गया।

इसी प्रकार १९५३-५४ के ६,४९,८३७ मन शीरे में से ५९,३७० मन शीरा परमिटों पर दिया गया और ५,९०,४६७ मन शीरा चीनी के मिलों द्वारा बेंचने के लिये दिया गया।

जिला प्रतापगढ़ के लिए बिजली के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*६३—**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि Martin & Co. Electric Supply Co., Allahabad जिला प्रतापगढ़ को इस शर्त पर बिजली देने पर तैयार है कि सरकार अपने खर्चे से इलाहाबाद व प्रतापगढ़ के मध्य रिहंड डैम को दी जाने वाली बिजली के खम्भे लगवा दे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*६४—**श्री राजाराम किसान**—यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त सुविधा देने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सवाल ही नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में परतावल बाजार-कम्पियरगंज रोड को पक्का करने का विचार

*६५—**श्री रामप्रसाद सिंह** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार गोरखपुर जिले में परतावल बाजार से कम्पियरगंज जाने वाली सड़क को पक्की बनवाने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क को पक्की बनवाने के प्रस्ताव पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

ब्रिज ऐण्ड प्लानिंग डिवीज़न पर व्यय

*६६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिज एन्ड प्लानिंग डिवीजन से सम्बन्धित कर्मचारियों के सामने इस समय क्या कार्य है ?

श्री गिरधारी लाल—इस डिवीजन के कर्मचारियों के कार्य की सूची संलग्न पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३६ पर ।)

*६७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विभाग में प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री गिरधारी लाल—इस डिवीजन का वार्षिक औसत व्यय लगभग १,२१,००० रु० है।

*६८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या निर्माण मंत्री उपर्युक्त विभाग को समाप्त कर देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*६९-७०—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[२१ अक्तूबर, १९५४ को प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*७२—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—[९ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

देवरिया जिले में बेलपार पंडित ताल से नाला निकालने की योजना

*७३—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिला में धान की फसल बचाने के लिये भाटपार रानी के पास बेलपार पंडित ताल के खडेशर तक नाला बना कर भरे हुये पानी को निकालने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। इस पानी को निकालने के लिये एक नाला बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले में सिविल जज की आवश्यकता

*७४—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि सीतापुर जिले में सिविल जज की जगह पिछले कई मास से खाली पड़ी है जिसके कारण कई सौ केसेज पेंडिंग पड़े हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। सीतापुर जिले में सिविल जज की जगह पहली जनवरी से खाली है और इस समय केवल ४५ रेगुलर सूट (regular suits) और ११५ मुंसिफ अपील (munsif appeals) पेंडिंग (pending) हैं।

भारतीय विधान के तृतीय संशोधन विधेयक पर प्रादेशिक सरकार की राय

*७५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि उसने लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत भारतीय विधान के तृतीय संशोधन विधेयक पर कोई राय भारत सरकार को भेजी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। प्रदेश सरकार ने इस विषय में अपनी राय भेजी है किन्तु प्रादेशिक तथा भारत सरकार के बीच का पत्र-व्यवहार इस तरह प्रकट करना नियमानुकूल न होगा।

कार्यपरामर्श दात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—कार्य परामर्शदात्री समिति ने निम्न निश्चिय किया है जिसकी सूचना सदन को दी जाती है —

"विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५४ पर प्रथम पठन १ १/२ दिन तथा द्वितीय एवं तृतीय पठन १/२ दिन किया जाय। प्रवर समिति द्वारा संशोधित लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रथम पठन २ दिन, द्वितीय पठन २ १/२ दिन तथा तृतीय पठन १ दिन होगा।"

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मे प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, तथा प्रवर समिति द्वारा संशोधित लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक १९५४, के सम्बन्ध में कार्यपरामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। यह जो कार्यपरामर्शदात्री समिति का फैसला है और जिसको प्रस्ताव के रूप में राम नरेश जी ने प्रस्तुत किया है इसके विषय में मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशश की, लेकिन मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक, जो हमारे सामने प्रस्तुत होगा वह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन उसके लिये केवल दो दिन का समय क्यों रक्खा गया है ? वह किस प्रकार से दो दिन में समाप्त हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न करने का समय नहीं है, यदि आप कुछ संशोधन लाना चाहे अथवा विरोध करना चाहें तभी आप भाषण कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारी मनोवृत्ति सदैव विरोध करने की नहीं रहती। मैं यह चाहता था कि सुझाव दे देता और माननीय राम नरेश जी उसको स्वतः मान कर कोई संशोधन रख देते तो अच्छा होता। इसी प्रकार से लखनऊ युनिवर्सिटी विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, उसके बारे में माननीय राम नरेश जी यदि व्यापक दृष्टिकोण को अपनायें तो ठीक होगा। वैसे यदि आप की आज्ञा होगी तो विरोध में कुछ शब्द निवेदन करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक और लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक की महत्ता को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि मैंने जो संशोधित शब्दावलि अभी बनायी है, वह अधिक ठीक होगी। वह इस प्रकार से है :—

> "यह देखते हुये कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पठन के हेतु परामर्शदात्री समिति ने कम समय निर्धारित किया है, यह सदन समिति के पास अधिक समय निर्धारण के लिये प्रश्न के प्रथम भाग को पुनर्वीक्षित करता है।"

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमन्, म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल के सम्बन्ध में आप यह देखेंगे और मैं आदरणीय सदन से भी निवेदन करूंगा कि प्रथम पठन के लिये डेढ़ दिन रखा गया है लेकिन द्वितीय व तृतीय पठन के लिये आधा दिन में पूरा करदेने के लिये लिखा गया है। आप यह सोचें श्रीमन् कि म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक की कितनी महत्वपूर्ण धारायें हैं। उसमें एक तो सिद्धान्त म्युनिसिपल चैयरमैन के 'इनडाइरेक्ट' एलेक्शन के सिलसिले में है, दूसरी धारा वोट आफ नो कंफिडेंस के सिलसिले में है और तीसरी वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव के सिलसिले में है। ये तीन सिद्धांत हैं जिनके ऊपर संशोधन आये भी हैं और आज संशोधन कुछ बढ़ भी गये हैं जो कल एजेंडे पर नहीं थे। तो द्वितीय व तृतीय वाचन किस तरह से आधे दिन में पूरे हो जायेंगे यह बात हमारी समझ में नहीं आती। तो इसलिये मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करता हूं माननीय शुक्ल जी और माननीय उपनेता सदन से भी कि वे इस पर पुनर्विचार करें और कम से कम म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक के लिये अधिक समय निर्धारित करने की सिफारिश के साथ परामर्शदात्री समिति के पास अवश्य भेज दें।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि परामर्शदात्री समिति का प्रश्न था, जिन चीजों पर नारायणदत्त जी ने सदन के सामने फिर प्रकाश डाला उन पर गौर करने के बाद ही एक निर्णय सदन के सामने श्री राम नरेश शुक्ल जी द्वारा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मैं समझता हूं कि फिर से सदन की तरफ से वापस जाकर फिर परामर्शदात्री समिति में इस पर विचार हो तो उसमें समय का काफी अपव्यय होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आज शाम को बैठ सकते हैं।

श्री कालीचरण टंडन---हम लोग काफी विचार करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसके बाद अब मेरी राय है कि इस सदन द्वारा जैसा कि श्री राम नरेश जी शुक्ल का प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाय क्योंकि अगर हम फिर वापस करने के संशोधनों को स्वीकार करने पर विचार करने लगेंगे तो कोई भी निर्णय जो कि समिति की ओर से आयेगा उसे इस तरह से विचार करने के लिये वापस करेंगे तो सदन का कार्य न होने से सदन के समय का भी और जनता के पैसे का भी अपव्यय होने की सम्भावना होती है और उसे रोकना आवश्यक हो जाता है। इसलिये मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह सर्व सम्मति से इसको स्वीकार करके सदन के समय और जनता के पैसे को भी बचाने का प्रयत्न करे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब मैं समझता हूं कि मेरे विरोध करने का समय प्रस्तुत हो गया है। मैं श्री राम नरेश जी शुक्ल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध करने का मेरा एक आधार है। जो पैसे का प्रश्न श्री टंडन जी ने उठाया, जहां तक उसके ऊपर विचार विनिमय का सम्बन्ध है वहां तक तो वह ठीक जरूर कहते हैं लेकिन पैसे का कहां और किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उसकी तरफ तो सरकार का ध्यान भी नहीं जाता। अगर वे पैसे बचाने की तरफ ध्यान दें तो मैं उनको बतला सकता हूं कि किस तरह से हमको पैसा बचाना चाहिये। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जहां तक कि म्युनिसिपैलटीज संशोधन विधेयक है उसके महत्व को वे समझने की कृपा करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। अभी पहले जो हमने संशोधन किया था और उस संशोधन में जो कुछ हमने नागरिकों को दिया था उसी को फिर लेने का यह विधेयक आ रहा है कि अब चुनाव कैसे होगा। हम तो चाहते हैं कि उस पर इतना वाद-विवाद हो कि एक एक आंकड़ा सदन के सदस्यों के सामने प्रस्तुत हो कि कहां पर कांग्रेस पार्टी के कितने उम्मीदवार आये हैं और कहां पर कितने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार आते हैं? आखिर क्यों यह विधेयक संशोधन के रूप में आ रहा है? वह इसीलिये न कि जहां कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के ही चेयरमैन हों? मैं समझता

हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर इस तरह की रोक लगाना अवांछनीय होगा। अगर विवाद शुरू होता और उसमें कोई ऐसी बाधा पड़ती या रिपिटीशन होता तब फिर उसके ऊपर परामर्शदात्री समिति के फैसला करने की बात होती कि गिलोटिन के रूप में कोई रेजोल्यूशन लाकर इसको स्वीकार कराया जाता। उस समय जो कुछ बात रखनी होती रखते। मगर आरम्भ से ही जब अभी विवाद शुरू भी नहीं हुआ इस तरीके से बहस मुबाहिसा हो रहा है। हम अंधकार में हैं कि विधेयक कितनी जल्दी खत्म होना चाहिये और कितनी जल्दी नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह बात नारायण दत्त जी तिवारी के प्रस्ताव में निहित है कि परामर्शदात्री समिति के पास फिर से भेज दिया जाय तो वह सोच लेगी और देख लेगी कि किस तरह से वादविवाद चल सकता है। वह कोई तरीका नियत करे कि कितने समय तक बोलें और क्या हो। जब वह तय कर देगी तब देखा जायगा। लेकिन पहले से ही डेढ़ दिन पहले वाचन के लिये और आध दिन द्वितीय और तृतीय वाचन के लिये, इसके अनौचित्य को तो श्रीमन्, आप भी मानेंगे। अब अधिक न कह कर माननीय राम नरेश जी शुक्ल से मैं अनुरोध करता हूं कि वह कृपा करके नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को मान लें। उस समय सम्भव है कि कम समय लगे। जब हम देख लेंगे कि गवर्नमेंट उसको उदारता से और व्यापक दृष्टिकोण से समझ रही है और उसके अनुरूप कार्य करने के लिये भी तैयार है और अमेंडमेंट को मानने के लिये तैयार है तो सम्भव है कि उतना ही या उससे ही कम समय में हो जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समिति कुछ हम लोगों के साथ अन्याय करने के लिये तैयार है और उसने गिलोटिन रिजोल्यूशन रखा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समिति पर आक्षेप करने के लिये आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—मैं आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन मैंने यह तो इशारतन कह दिया है। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर रामनरेश जी ख्याल करेंगे तो सदन का उपकार होगा। और टंडन जी ने जो धन बचाने की बात कही है उसके लिये मैं कहूंगा कि चुर्क में, और जो बहुत से पुल वगैरह बंधे हुये हैं वहां कितना पैसा बरबाद हुआ है? कई करोड़ है। वह तो श्रीमन्, मैं आपको बाद में दूंगा लेकिन पैसे की दुहाई देना तो बेकार सी बात है। हम लोग विचार करें कि क्यों ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक हमारे सामने आ रहा है? वरना हमारा यहां बैठना बेकार है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने जैसा पहले कहा कि अभी वह बिल आया नहीं और गिलोटिन हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसके लिये फांसी तैयार है।

श्री अध्यक्ष—आप किस बात के लिये कह रहे हैं? इसमें संशोधन कहां है? क्या आप श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन के बारे में कह रहे हैं?

श्री जोरावर वर्मा—जी हां, मैं यह कहने जा रहा हूं कि यह जो गिलोटिव का प्रस्ताव है मैं उसका विरोध करता हूं और नारायणदत्त तिवारी जी ने जो यह संशोधन रखा है कि समिति को वापस भेज दिया जाय उसका समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह जो म्युनिसिपैलिटीज बिल के द्वितीय और तृतीय वाचन के लिये आधा दिन रखा गया है इसके लिये कम से कम तीन दिन रखा जाय। इसके बाद जो लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक है उसका समय द्वितीय वाचन के लिये ढाई दिन रखा गया है। आपको याद होगा कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पर विचार हो रहा था तो उसकी अंतिम धाराओं पर गिलोटिन हुआ है। उसकी अंतिम धाराओं पर चर्चा नहीं हुई, पढ़कर सुना दी गयी थीं और जो पहली धारायें थीं उन पर विचार हुआ था। इसलिये जिन विषयों (धाराओं) पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पर विचार नहीं हुआ है उन पर विचार इस विधेयक में हो जाना चाहिये। इसलिये इस विधेयक को भी परामर्शदात्री समिति को लौटा दिया जाय ताकि इसके समय को भी बढ़ाया जा सके। इस तरह का प्रस्ताव लाकर और फिर पैसे की दुहाई

[श्री जोरावर वर्मा]

दे कर मेरी समझ में डिमोक्रेसी का मखौल उड़ाया जा रहा है। यह एक प्रकार से डिमोक्रेसी पर विश्वास न करना है। अगर माननीय टंडन जी चाहते हैं कि रुपया पैसा बचावें तो मैं उनके सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि वे इसका समर्थन करें कि यह विधान सभा भंग कर दी जावे और माननीय टंडन जी या कोई और सज्जन इस प्रान्त के डिक्टेटर बना दिये जायं तब इस प्रांत का बहुत सा रुपया बच जावेगा और जनहित में खर्च होगा। लेकिन इस तरह से प्रस्ताव लाकर विधान सभा की आवाज बन्द करना प्रजातंत्र के लिये रिएक्शनरी भावना है। हम समझते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में भी इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया गया होगा कि वह बिल भी नहीं आया और गिलोटिन का प्रस्ताव मौजूद है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर अधिक नहीं कहना है, मैं जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी ने रखा है उस का समर्थन करता हूं। हमें केवल यह देखना चाहिये कि विवाद के लिये कम से कम हमें समय मिल जाय और अधिक समय नष्ट न हो। इन दोनों बातों को देखते हुये यह मुनासिब है कि इसको फिर कमेटी को वापस कर दिया जाय और वह समय निर्धारण के लिये फिर से विचार कर ले।

*श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय के घटाने बढ़ाने में तो इस मानी में आपत्ति नहीं होती कि अगर उसकी वाकई आवश्यकता हो, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब कोई व्यक्ति खड़ा हो कर इस तरह की बात करे कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और गिलोटीन हो गया। वह तो कार्यपरामर्शदात्री समिति है, वह कोई बहुमत की पार्टी नहीं है, उसमें तो सभी व्यक्ति वहां पर हैं और वहां हम प्रयत्न करते हैं कि सर्वसम्मति से ही कोई सिफारिश आपके सामने आये। मुझे दुख है कि मैं इस भेद को यहां नहीं खोल सकता लेकिन जहां सब सहमत नहीं होते वहां बहुमत का प्रयोग होता है। यदि आप कृपा करके देखें तो जहां तक म्युनिसिपल संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है उस में प्रथम पाठन के लिये काफी समय रखा गया है और उसी के लिये आवश्यकता मालूम पड़ती है कि लोगों को अधिक से अधिक विचार प्रकट करने का अवसर मिले। उसमें संशोधन अधिक नहीं हैं, एक दो बातें हैं जिन में विचारों का मतभेद हो सकता है और उन्हीं बातों पर विचार प्रकट किये जायेंगे। तो मैं श्रीमन्, आप के द्वारा नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर फिर से विचार करें कि इतना समय काफी होगा क्योंकि प्रथम वाचन में ही अधिकतर विचार प्रकट हो जायेंगे और क्योंकि आगे थोड़ा ही काम रह जायगा इस लिये आधा दिन उस के लिये रखा गया है।

जहां तक लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक का सम्बन्ध है उसके विषय में हम उम्मीद करते थे कि कोई और दूसरा सुझाव नहीं आयेगा क्योंकि परामर्शदात्री समिति ने ही उसमें काफी समय देने का प्रयत्न किया है। हम तो आशा करते थे कि उसका यहां कोई भी विरोध नहीं करेगा। इस विधेयक की जो मूल बातें हैं उन पर तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के समय विचार हो चुका है और उस के अलावा कोई नयी बात लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक में नहीं लायी जा रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस के लिये ५ दिन का समय भी ज्यादा ही है। मैं आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे समिति की सिफारिश को ही कृपा करके स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ तथा प्रवर समिति द्वारा संशोधित लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर समय निर्धारण से सहमत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त जी के संशोधन का खुलासा यह है कि जो समय म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक के लिये निर्धारित हुआ है वह कम है इसलिये अधिक समय निर्धारित करने के लिये पुनःविचार के लिये समिति के पास यह प्रश्न भेजा जाय।

श्री जोरावर वर्मा ने अपने भाषण में सुझाव दिया है कि दोनों विधेयकों का समय निर्धारण करने के लिये पुनः विचार के लिये भेजा जाय क्योंकि उनकी समझ में लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल के लिये भी समय कम है।

सब से पहले मैं श्री जोरावर वर्मा का संशोधन लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इन दोनों विधेयकों को इस परामर्शदात्री समिति को वापस भेज दिया जाय पुनर्विचार के लिये, इस आदेश के साथ, इस निदेश के साथ कि समय कम है, उससे अधिक समय उसे निर्धारित करना चाहिये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---दूसरा संशोधन श्री नारायण दत्त जी का है। प्रश्न यह है कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पठन के हेतु परामर्शदात्री समिति ने कम समय निर्धारित किया है। यह सदन समिति को अधिक समय निर्धारित करने के लिये प्रश्न के प्रथम भाग को पुनर्वीक्षित करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। इस बीच में निम्न कार्यवाही हुई---)

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब वाला, मैं एक इतनी सी गुजारिश करना चाहता था कि वक्त जो इसमें समिति ने तय किया है म्युनिसिपैलिटीज बिल के लिये उसमें एक दिन का वक्त और बढ़ा लिया जाय और इस मामले को वैसे ही खत्म किया जाय।

(विरोधी दल वालों की तरफ से तालियां)

श्री अध्यक्ष---इसके लिये नियम में तो यही तरीका हो सकता है कि जो संशोधन नारायणदत्त जी का है उसे स्वीकार कर लिया जाय। आप उनके साथ हां कर लीजिये और इस प्रकार कोई आपत्ति आपको इस संशोधन के अस्वीकार करने में नहीं होनी चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---एक बात यह है कि.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपको बता रहा हूं। इस नियम में यह दिया हुआ है कि किस तरह का अमेंडमेंट आ सकता है। यही अमेंडमेंट आ सकता है कि रिकंसीडरेशन के लिये भेजा जाय विद डाइरेक्शंस। मैं रूल पढ़े देता हूं "Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the committee either without limitation or with reference to any particular matter.

तो प्रस्ताव पर अमेंडमेंट यही आ सकता है कि प्रश्न को रीकन्सीडरेशन के लिये भेजा जाय और उसमें डाइरेक्टिव हो कि तीन दिन का समय कर दिया जाय या अधिक समय कर दिया जाय। इस तरह सुझाव दिया जा सकता है कि समय विधेयक के लिये तीन दिन का कर दिया जाय, इस सुझाव के साथ उसे वापस भेज दिया जाय यह मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां पर इस समय तीन दिन का समय निर्धारित करने का संशोधन (अमेंडमेंट) नहीं आ सकता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, तीन दिन का यहां पर कर देने में डिगनिटी का सवाल है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो माफी चाहता हूं। जो यहां हाउस में बहस चल रही थी उसकी एक शक्ल मैंने पेश की थी। अब अगर वह ठीक नहीं है तो मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब आपने 'औफर' दिया है तो उस औफर को वह कमेटी मंजूर कर लेगी और फिर अपना निर्णय पेश कर देगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कल ही निर्णय सदन में आयेगा। जब आपने औफर दिया है तो मैं समझता हूं कि उसको रीट्रैक्ट करना यह डिगनिटी की बात नहीं है और नारायणदत्त जी के संशोधन को स्वीकार करने में इसमें कोई डिगनिटी की बात भी नहीं उठती है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह अर्ज करूंगा कि एक दिन की सिफारिश कर दी जाय और एक दिन का इजाफा मंजूर कर दें जो उसमें तीन दिन लिखा है

श्री राजनारायण—हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं संशोधन को सदन के सम्मुख इस प्रकार रख देता हूं यदि आपत्ति न हो।

"यह देखते हुये कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पठन के हेतु परामर्शदात्री समिति ने कम समय निर्धारित किया है, यह सदन समिति के पास तीन दिन का सुझाव देते हुये इस प्रश्न के प्रथम भाग को पुनर्वीक्षित करता है।"

इस प्रकार का सुझाव दिया जा सकता है परन्तु मैं समझता हूं कि जैसा संशोधन नारायण दत्त जी का है उसी को स्वीकार कर लेना सबसे अच्छा है। उससे जो वित्त मंत्री जी ने औफर दिया है वह भी पूरा हो जायगा और समिति की डिगनिटी भी रह जायगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं हाफिज़ साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा उसी के अनुरूप आप रहने दें और एक दिन का डाइरेक्टिव आप अपने संशोधन में दे दीजिये और उसे हम लोग श्रीमान गये। एक कांस्टीट्यूशंनल प्वाइंट उठेगा कि हाउस बिगर बाडी है और वह अगर सुझाव देता है तो क्या समिति उसको टर्न आउट कर देगी?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार कर लेने में कोई डिगनिटी नहीं जाती है, इसको आप स्वीकार कर लें।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—एक तरीका यह मुनासिब हो सकता है—

श्री अध्यक्ष—तो मैं यह मान लूं कि नारायण दत्त जी का संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब इस पर राय लेने की जरूरत नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये वही समय निर्धारित रहा जो कि समिति ने निश्चित किया था। तो जो संशोधित प्रस्ताव है वह स्वीकृत हुआ यह मैं कार्यवाही में लिखवा देता हूं कि संशोधन के साथ प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस रूप में स्वीकृत हुआ:—

"यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पठन के हेतु परामर्शदात्री समिति ने कम समय निर्धारित किया है, यह सदन समिति के पास तीन दिन का सुझाव देते हुए इस प्रश्न के प्रथम भाग को पुनर्वीक्षित करता है।"

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश कृषि-आयकर (संशोधन) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ सितम्बर, सन् १९५४ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १५ सितम्बर, १९५४ ई० की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १ अक्तूबर, सन् १९५४ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन १९५४ का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन निर्मित नियमों में किये जाने वाले संशोधनों पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब यू०पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन बनाये गये नियमों में किये जाने वाले संशोधनों के आलेख पर विचार होगा। माननीय राजस्व मंत्री क्या इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, यू०पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट की धारा ५४ उपधारा (३) के मुताबिक जो नियम बनें वह नियम तभी अंतिम रूप धारण कर सकते हैं जबकि विधान मंडल के दोनों सदन जो अपना सुझाव देना चाहेंगे वह सुझाव गवर्नमेंट को दे दें और गवर्नमेंट उस पर विचार करके अगर मुनासिब समझे तो स्वीकार करे या न स्वीकार करे, और तब उनको अंतिम रूप से प्रकाशित कर दे। इस ऐक्ट में जो संशोधन हुये थे वह संशोधन अधिनियम तो लगभग दो महीने हुये लागू हो गये। लेकिन जो पुरानी नियमावली थी उस नियमावली में भी कुछ संशोधन करने जरूरी थे। तो उनका एक ड्राफ्ट यहां सदन के सामने रखा जा चुका है और रखने का आशय यही है कि इस सदन को जो कुछ सुझाव देना हो, वह गवर्नमेंट को देवे। तो बस मुझे और कुछ इस सिलसिले में ज्यादा अर्ज नहीं करना है। सुझाव कोई अब तक आया नहीं है, कम से कम एजेन्डे पर कोई लिखा हुआ नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन को ये सारे नियम स्वीकार ही हैं।

* श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल १५ (सी) में मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं:—

"U. P. Zamindars Debt Reduction Act, 1952 (U. P. Act XV of 1953)" के बाद "and in cases where the judgement debtor fails to do so" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, यह रूल १५ (सी) जो इस वक्त है वह इस प्रकार है :—

"Where the decree holder or the judgement debtor makes an application under section 4 of the U. P. Zamindars Debt Reduction Act, 1952 (U.P. Act XV of 1953), the Special Judge shall immediately issue an order for stay of the execution proceedings, and send for the record of the case for reducing the amount of debt in accordance with the provisions of the said Act."

मैं चाहता था वह यह है कि जहां पर ऐसे केसेज हैं, वहां अपने संशोधन द्वारा जहां पर डिग्री होल्डर या जजमेंट डैटर दफा ४ यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट के अनुसार अप्लाई न कर पाये हों किसी मजबूरी की वजह से या अज्ञान वश तो ऐसी परिस्थिति में स्पेशल जज स्वयं उस ऐक्जीक्यूशन को रोक दे ताकि आयन्दा चल कर और कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट हो सकते हैं, वैसी परिस्थिति में भी जो लोग एप्लाई कर चुके थे जो आज अज्ञानवश, निरीक्षरता के कारण सेक्शन ४ में एप्लाई नहीं कर सके, तो सरकार की तरफ से इसमें यह सहूलियत या सुविधा हो जो आज कुछ दिन पहले विधान सभा द्वारा यू० पी० जमींदार डेट रिडक्शन ऐक्ट के अनुसार जमींदारों को दी गई थी उसको कम कर के स्पेशल जज के पास भेज दें।

श्रीमन्, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी नहीं हो सकती क्योंकि जितने केसेज स्पेशल जज के पास हैं उनकी फाइल मौजूद हैं और एक कापी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई है जिससे लिक्वीडेशन में सुविधा हो सके। अब मैं इस संशोधन के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से किसी हक के अधिकार या किसी दावे के साथ कोई सुविधा नहीं मांग रहा हूं बल्कि उसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

स्प्रिट में जिसमें कि वह यू० पी० जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट लाये जिसमें वह अच्छी तरह से इस बात को समझते थे कि अब जमींदारों के पास उस ऋण को देने की शक्ति बाकी नहीं रही जब कि उनकी जमींदारियां सरकार द्वारा ले ली गयी हैं। उन्हीं भावनाओं को देखते हुये आज आप के द्वारा उनसे अनुरोध करूंगा कि यह सुविधायें उन लोगों को भी दे दी जायं जो कि किसी वजह से स्वयं न कर सकें। स्पेशल जज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अमाउन्ट रिड्युस करने के लिये यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट के अधीन भेज दे और उसी की बुनियाद पर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स की जायं। जहां पर मैं यह संशोधन लाया हूं मैं उन वैधानिक आपत्तियों से अनभिज्ञ नहीं हूं जो कि माननीय मंत्री महोदय अभी सम्भवतः सदन के सम्मुख रखेंगे। वह यह है कि दफ़ा ४, यू० पी० ऐक्ट डेट रिडक्शन ऐक्ट के अनुसार यह लाजिमी है कि डिक्री होल्डर या जजमेंट डेटर इस किस्म की दरख्वास्त स्पेशल जज के न्यायालय में दे तब उस कर्ज में कमी की जा सकती है और जो उस ऐक्ट को देखते हुये यह माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह संशोधन सम्भवतः तब तक उचित न होगा, तब तक यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट में भी संशोधन न करें। मैं आप के द्वारा उनसे यह अनुरोध करूंगा कि यदि उनकी भावनाओं से असंगत यह न हो जब कि एक सुविधा वास्तव में जमींदारों को देना चाहते थे तो कुछ वैधानिक आपत्तियां जो कि हल की जा सकती हैं उनको यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट के सेक्शन ४ को संशोधित कर के यह सुविधा उन जमींदारों को देनी आवश्यक है। नहीं तो उनकी जायदादें चली जाने के बाद भी, सरकार जो कि सुविधा प्रदान कर चुकी है, उसके बावजूद भी वे डेट रिडक्शन ऐक्ट का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

श्रीमन्, यह मैं कोई असंगत बात नहीं कह रहा हूं। अनुभव की बात है। जहां तक इंटरिम कम्पेंसेशन का सम्बन्ध है, यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अधीन लोगों को नोटिसें दी गयीं। बहुत से लोग अब भी देहातों में ऐसे हैं जो कि यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट या इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के रूल्स के अधीन उन जजमेंट डेटर्स को नोटिसें दी जायंगी, तब भी वह यह न समझ पायेंगे कि सरकार यह क्या सुविधा दे रही है और इस समय उनको क्या करना चाहिये जिससे भविष्य में उनका हित हो सके। इन सब बातों को देखते हुये मैं यह सुझाव सदन के सामने रखना चाहूंगा कि इस समय के यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट के सेक्शन ४ में संशोधन लाना पड़ेगा, इस भय से अस्वीकार कर दें तो मैं समझता हूं कि जिस भावना और उद्देश्य से आज यू० पी० डेट रिडक्शन ऐक्ट लाया गया था अधिकांश में वह असफल रहेगा। वह उद्देश्य कभी पूरा न होगा। जब कि यह कहा जा सकता है कि इगनोरेंस आफ ला इज़ नो ग्राउंड, जब कि कलेक्टर महोदय डिक्री होल्डर्स और जजमेंट डेटर्स को इस बात की सूचना देंगे जिसकी अवधि तीन मास से कम न होगी कि इस दर्मियान में अगर वह चाहे तो स्पेशल जज के यहां दफा ४ के अधीन दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन वास्तविकता और वस्तु स्थिति यह है . . .

श्री अध्यक्ष—आप के शब्द क्या हैं संशोधन के, जो अभी आप ने पेश किया ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—"(U. P. act XV of 1953)" के बाद "and in cases where the judgement debtor fails to do so."

श्री अध्यक्ष—इसकी कुछ लैंगुएज समझ में नहीं आई।

"Where the decree holder or the judgment debtor makes an application under section 4 of the U. P. Zamindars Debt Reduction Act, 1952 and in cases where the judgement debtor fails to do so."

नये संशोधन सहित यही भाषा होगी जिसका अर्थ जजमेंट डेटर एप्लीकेशन न करे तो भी यह वाक्य आप जोड़ना चाहते हैं ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--एप्लीकेशन न करे तब भी। जब डिग्री होल्डर्स करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। जजमेंट डेटर्स के लिये डिग्री होल्डर कोई यह नहीं करायेगा कि जा कर अपना क़र्ज़ खत्म कराये। डिग्री होल्डर का कभी कोई फायदा नहीं करायेगा। जजमेंट डेटर्स इस कानून का फायदा न समझ कर खामोश रहेंगे और कोई कार्यवाही दफा ४ के अधीन न करेंगे वैसी परिस्थिति में यह है कि जिस उद्देश्य से यह यू० पी० जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट जो सदन द्वारा पारित किया गया है वह बेमानी और निरर्थक हो जायगा। जैसा मैंने कहा मैं इससे भी अनभिज्ञ नहीं हूं कि जब तक सेक्शन ४ यू० पी० जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट का संशोधन नहीं होता तब तक यह संशोधन स्वीकार करने में सरकार को बाधा होगी। इस वैधानिक आपत्ति से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं लेकिन यह अपील करना चाहता हूं कि उस उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि यू० पी० जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट की दफा ४ में भी संशोधन किया जाय। मान्यवर, मेरा कटु अनुभव है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के एनफोर्समेंट के उपरान्त जिन जमींदारों को इंटरिम कम्पेनसेशन के लिये तहसीलों से बुलाया गया है.....

श्री चरण सिंह--कई कई बार आप एक ही बात कह रहे हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय मंत्री जी को अगर आपत्ति है और वे अपनी बुद्धि की तीव्रता के कारण सब चीजों को समझ गये हैं तो मुझे कोई आनन्द नहीं कि मैं माननीय मंत्री का और सदन का समय नष्ट करूं, वे जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं बैठ जाता हूं।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, मुझे अपने मित्र का सुझाव मंजूर नहीं है। पहली बात तो यह है कि डेट रिडक्शन ऐक्ट को पास किये हुये डेढ़ साल से अधिक हो गया। २५ मई, सन् ५३ को यह ऐक्ट लागू हुआ, उस पर बहस हुई और सारे प्रदेश के जमींदार इस ऐक्ट की धाराओं से मैं यह समझता हूं कि मोटे तौर से वाकिफ हो गये होंगे क्योंकि उनके फायदे की बात थी। क़र्ज़ा मिटाने के लिये बहुत दिनों से तकाजा कर रहे थे। डेढ़ साल बाद भी इस ऐक्ट की धाराओं से जो उनके फायदे के लिये बनाया गया था और जो ९, १० धाराओं का एक छोटा सा ऐक्ट है उससे वाकिफ नहीं हैं, और चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ डिग्री जा रही है और उसमें वे दरख्वास्त नहीं देना चाहते हैं तो अदालत अपनी तरफ से कर्जा घटा दे और इजराय बंद कर दे। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आन मैरिट्स यह सुझाव बिलकुल उचित नहीं है। इस तरह से अदालत का काम बढ़ाना कि जिसमें एक फरीक के सरासर फायदे के लिये वह काम करे बिलकुल उचित नहीं जान पड़ता है। वे पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े-बड़े जमींदार लोग हैं। यही नहीं पिछले २० साल से उस जायदाद का वह फायदा उठा रहे हैं। सन् १९३४ में वह इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट पास हुआ था तब से उसमें जो दरख्वास्त दी गई तो उनके क़र्ज़े की वसूलयाबी को रोक दिया गया। वह जायदाद उनकी ही है। २० साल से उन जायदाद का मुनाफा वह खा रहे हैं और कानून में उसके फायदे को उठाते हुये करीब डेढ़ साल हो गया। तो फिर कौन सी बात है कि उनके दरख्वास्त बिना देने पर भी अदालत खुद इजराय को रोक दे और उनके कर्ज़े को वह तकफीफ कर दे, यह मुझे उचित नहीं जान पड़ता है।

दूसरी बात जो उन्होंने खुद ही बतलायी वह दफा ४ (१) में यह है कि:

"4(1) "Notwithstanding anything in the Code of Civil Procedure, 1908 or any other law, the court, which passed a decree to which this Act applies relating to a secured debt shall, on the application either of the decree-holder or judgement debtor, proceed as hereinafter stated."

अदालत को जो इस वक्त कानून है उसके अधीन अब खुद कार्यवाही करने का उनको अख्तयार नहीं है। वहां पर तहरीक होनी चाहिये, उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र होना चाहिये, किसी एक फरीक की तरफ से दरख्वास्त होनी चाहिये, आज खुद ऐसा ऐक्ट मौजूद है।

[श्री चरणसिंह]

उन्होंने ५,६ दफा इस बात को कहा कि जिस भावना से सरकार ने इसको पास किया था उसी भावना से इस पर अमल करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार की वही भावना है। जहां तक उनका सुझाव मैरिट्स पर है वह मुझे बिलकुल नापसन्द है और नामंजूर है। और अगर गवर्नमेंट यह बात सोचे भी कि अदालत उस कर्ज को घटा दे और इजराय को रोक दे तो जिस प्रकार का ऐक्ट आज है उसके लिये यह नियम नहीं बनाया जा सकता है कि स्पेशल जज आज खुद यह कार्यवाही कर दे। लिहाजा उनका सुझाव बिलकुल नामुनासिब है। कानून की दृष्टि से वह स्वयं भी जानते हैं कि आज जिस प्रकार के रूल हैं उनको वह बदल नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर यह इन आर्डर नहीं है यानी उस ऐक्ट के अनुसार नहीं है तो इस संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री चरणसिंह--जी हां उस ऐक्ट में यह है जो कि उसकी दफा ४ (१) में दिया हुआ है कि--

"4(1) Notwithstanding anything in the Code of Civil Procedure, 1908 or any other law, the court, which passed a decree to which this Act applies relating to a secured debt shall, on the application either of the decree-holder or judgement-debtor, proceed as hereinafter stated."

इस नियम के लिये उन्होंने इसका हवाला दिया था। तो इसके अनुसार आप कहते हैं कि अगर वह दरख्वास्त न भी दे तब भी वह उसको स्टे कर दे। इस प्रकार की पावर स्पेशल जज को आप चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) आप इसको किस प्रकार से वैध समझते हैं यह कृपया बतलायें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--यह जो रूल्स फ्रेम हो रहे हैं वह इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के अन्दर हो रहे हैं। यू० पी० जमींदार्स डैट रिडक्शन ऐक्ट के यह रूल्स नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने अपनी आपत्ति में अर्ज किया था मैरिट्स पर मैं इसकी नहीं जा रहा हूं। अगर माननीय मंत्री जी को इसके बारे में आपत्ति है तो स्वयं ही इसको वापस ले लेता हूं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक सुझाव था और वह भी इसलिये कि रूल्स बन रहे हैं तो उस पर कुछ विचार हो जाय। यदि उनको आपत्ति है तो मैं इसको वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधित नियम ३२ निकाल दिया जाय। वह इस तरह से है --

"The relevant provisions of Chapter VIII of the U.P. Land Revenue Act, 1901, relating to sale of land shall, so far as they may be applicable, govern the sale of proprietor rights in the urban areas as mentioned in sub-section (1) of section 24."

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। बिल की ३ रीडिंग्स होती हैं। अभी पहली रीडिंग्स हुई नहीं, इसलिये इस स्टेज पर अमेंडमेंट मूव हो ही नहीं सकता। दूसरी रीडिंग में अमेंडमेंट आता है।

श्री अध्यक्ष--मैंने इजाजत दे दी है कि अमेंडमेंड पेश किये जा सकते हैं। नियमों में केवल नोटिस देने के समय का सवाल है कि नोटिस पहिले से देना चाहिये और इसके लिये मैंने इजाजत दे दी है कि थोड़े नोटिस में भी उस प्रश्न पर संशोधन पेश किये जा सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मुझे सचमुच अफसोस है कि मेरे लायक दोस्त को बिला वजह तकलीफ उठानी पड़ी। माननीय अध्यक्ष ने शायद बुजुर्गी के ख्याल से कुछ नहीं कहा।

मुझे इस संशोधित नियम ३२ के विरोध में कहना है कि इस समय देहाती क्षेत्रों की जमींदारी टूट चुकी है और अर्बन इलाकों को तोड़ने के लिये मंत्री जी उत्सुक हो चुके हैं। जमींदारी का नाम लेने से मंत्री जी को क्रोध आ ही जाता है और मुंह भी लाल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज जब कि अर्बन जमींदारों के लिये तलवारें तेज की जा रही हैं तो उनकी जमीन बेचने से कितना रुपया आ सकता है। एक तो डीप्रेशन चल रहा है और दूसरे लोगों में आम भावना है कि अर्बन एरियाज की जमींदारी जल्दी ही टूटने वाली है, इसलिये कोई दाम नहीं आ सकता है और उन लोगों की भूमि बगैर किसी दाम पर नीलाम की जावेगी और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके उत्तर में मुमकिन है कि मंत्री महोदय यह कहें कि अगर कलेक्टर यह समझता है कि उस भूमि की क़ीमत ठीक से नहीं आ रही है तो वह उसे रोक देगा या पोस्टपोन कर देगा। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं समझता हूं कि मंत्रियों से ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। मुझको तो कहीं अधिक काम जिले में दिखायी देता है। ऐसी हालत में यह समझना कि उनके द्वारा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा होगी, उनकी भूमि को माकूल कीमत पर बेचा जायगा, मैं समझता हूं कि यह एक नामुमकिन सी चीज है। माना कि माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि इन्कम्बर्ड में यह जायदाद पूलअप हो चुकी है, उनके पास मौजूद है लेकिन कोई कानूनी ऐसी पाबन्दी नहीं है जिससे वे बेच न सकते हों। यह ठीक है कि वह बेच सकते हैं, बिकवा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, परन्तु परिस्थिति ऐसी है कि अर्बन एरिया की जमींदारी टूट रही है तो क्या यह जरूरी है कि इसी वक्त उनके डेट में इस जायदाद को बेच दिया जाय। जब जमींदारी टूटेगी, जब उनको कंपेन्सेशन मिलेगा तो उनको यू० पी० डेड रिलीफ ऐक्ट के मातहत जो भी सुविधा होगी उसको वे ग्रहण करेंगे। इस सिलसिले में मैं यह बता दूं कि इस प्रकार की मेरी कोई जायदाद नहीं है लेकिन चूंकि जमींदारों ने जिस बूते पर क़र्जा किया था वह उनकी जायदाद या संपत्ति नहीं रहेगी तो कर्जा देने के लिये उनके पास क्या आधार होगा। जो उनको कंपेन्सेशन मिलेगा, जिसके आधार पर उनको जीवित रहना है, वह भी उनके पास नहीं बचेगा। माननीय मंत्री जी क्रोध में भले ही कह गये हों, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पर फिर से विचार करें। उनको इन बातों को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिये और हर चीज में भावुकता से काम नहीं करना चाहिये। मेरी तो आप से यह दरख्वास्त है वैसे चाहे आप माने या न मानें, यह आप का काम है, अगर आप न मानेंगे तो भी मुझे कोई शिकायत न होगी।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को अगर माकूल पैसा भी देंगे तो भी वे गालियां देंगे और न देंगे तो भी गालियां देंगे। कितनी ही माकूल बात मैं कहूं उसके बारे में पहले तो वे सोच लेते हैं कि मुझको गुस्सा आया है इसलिये कहने वाली बात नामाकूल हो जाती है। भावनापूर्ण बात तो मेरे मित्र कहते हैं मैं तो कानून से मजबूर हूं जो विधान मंडल द्वारा स्वीकृत हो चुका है। धारा २४ की उपधारा (१) के संशोधित नियम जो हम पास कर चुके हैं वे यह कहते हैं कि शहर या कस्बे के इलाके में जो जायदाद स्थित है, वह बेची जा सकती है। यह चीज हम मंजूर कर चुके हैं। अगर उनको यह बहस करनी थी तो उस समय करनी चाहिये थी जब कि यह चीज यहां से मंजूर की गयी थी और शायद उन्होंने उस समय की भी होगी और वह विधान मंडल ने अस्वीकृत कर दी और नियमावली जो उसके मुताबिक बनायी गयी उसमें शहरी इलाके की जायदाद को बेचने के लिये नियम रक्खा। मेरे मित्र अब चाहते हैं कि इस नियम को निकाल दिया जाय ताकि कोई बाधा ही न रहे, तो फिर वह कैसे बिकेगी। अब बहस यह करना कि जमीदार ऐसे थे, वैसे थे, वे सब तरह के थे। मैं तो समझता हूं कि जितना इस गवर्नमेंट के मेम्बरान ने आपके साथ हमदर्दी का बरताव किया, जैसा जमाना आ रहा है उसको देखते हुए, कोई भी

[श्री चरण सिंह]

गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। तो इसलिये बराबर उसी बात को मन में रखना कि इस गवर्नमेंट पर बड़ा गुस्सा आता है और उसको देख कर उनके चेहरे पर सुर्खी आ जाती है, बिलकुल अन्याय की बात है। इसलिये मैं मजबूर हूं और उनके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, आज यह हो सकता है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय को हम लोगों से यह शिकायत हो कि हम कृतघ्न हैं। मान्यवर, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि जो भलाई और अन्य सुविधायें हमको उनसे मिलती हैं उनको हम भूले नहीं हैं। बल्कि यह हो सकता है कि जो उनके पुराने साथी हैं वे भी कृतघ्नता के पात्र होकर उनके ऊपर किसी तरह से लदे हों। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज मुझे खुशी होती है कि दोनों हमदर्द जमींदारों के एक साथ बैठे हुये हैं गोकि उनकी सहानुभूति जो जमींदारों के साथ रही है वह कोने कोने में मालूम है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो आपने किया है वह समय के अनुसार ही किया है, और जो रियायत आपने बरती है वह भी ठीक है। इस तरह से रूस वाले भी कह सकते हैं कि अगर हम जमींदारों को नहीं मार डालते तो बजाय वैसे मरने के वे किसी तरह घुल घुल कर मरते ही। तो ऐसे तर्कों के लिये तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

मुझे हर्ष है कि माननीय हुकुम सिंह जी ने यह सुझाव दिया है और-धीरे धीरे कहते हैं कि आखिर यह जायदाद बिकेगी कैसे? इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट की प्रोसीडिंग्स जब चल रही थी तो उनके सामने कोई परेशानी या उलझन नहीं आयी। इसका तो घाटा उन जमींदारों को होगा और जब उनको बांड्स नहीं मिलेंगे तो जो उनके सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, जो उनको सूद आदि मिल सकता था और उसके ऊपर वे आधे या चौथाई दाम में बेच सकते थे लेकिन अभी वह भी नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आजकल जिस तरह का भाव चल रहा है उसको देखते हुए कोई भी इस जायदाद को किसी भाव पर भी खरीदेगा? मैं पूछना चाहता हूं माननीय चरण सिंह और माननीय हुकुम सिंह जी से कि क्या वे किसी जमींदारी को जो अरबन एरिया में हो उसे खरीदने के लिये तैयार हैं? मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि उनकी सहानुभूति हमारे साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे इस चीज को समझते हैं तो इसको स्वीकार कर लें। मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता हूं और मैं उनकी कठिनाइयों से भी अनभिज्ञ नहीं हूं बल्कि उनकी कठिनाइयों से अवगत हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां पर उनका हित हो वहां पर तो उनका रुख और रवैया यह है कि हमको यह करना है और जहां पर उनका हित नहीं हो तो फिर यह महान् सरकार चुप हो जाती है। आज जितने भी जमींदारी ऐक्ट बने हुए हैं आप देखें कि उनके बनने के एक दो महीने बाद ही संशोधन आते रहते हैं तो फिर क्या कारण है कि जब हम यह चाहते हैं कि संशोधन के रूप में यह चीज यहां हो जाय तो हम इसमें कैसे कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन करते हैं? श्रीमन्, इस तरह की बातों पर मुझे थोड़ा सा दुख होता है। वे केवल यह चाहते हैं कि जहां उनका हित हो वहां तो सब उचित है और जहां पर दूसरे का हित हो वहां यह सर्वथा अनुचित है। श्रीमन्, यही उनका सिद्धांत है। अब इसके लिये मैं क्या कहूं, श्रीमन्? एक बात और है कि जब माननीय मंत्री जी क्रोध के आवेश में होते हैं तो बहुत ही शानदार तकरीर करते हैं और बहुत सी बातें जो छिपाये हुए रहते हैं वे उनके मुखारविंद से बाहर निकल जाती हैं और इस तरह से उनकी जिह्वा द्वारा नयी बातों का प्रादुर्भाव होता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से हमदर्दी जरूर रखता हूं और उनका जो संशोधन है, जो सुझाव है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जरूर उस पर विचार करें। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नियम ३२ जो बनाया गया है श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के अनुसार उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन थोड़ी देर में अगर चाहें तो इसी सेशन में ऐसा उपाय कर सकते हैं कि नियम ३२ इस किताब से निकल जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो समझा था आप कोई सुझाव दे रहे हैं, आप तो भाषण करने लगे।

श्री गेंदा सिंह---जी हां, मैं सुझाव ही दे रहा हूं कि अगर अरबन एरिया जमींदारी विनाश ऐक्ट बन जाय और वह जमींदारी शहरों से भी खत्म हो जाय तो नियम ३२ की आवश्यकता न होगी। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द यह कानून पास हो जाय।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी किस मसले पर कब किस वक्त क्या राय जाहिर करेंगे यह कहना मुश्किल है क्योंकि किसी वक्त कोई बात उनकी समझ में आ जाती है, कभी कोई पार्टी का रिजोल्यूशन उनके सामने आ जाता है, कभी पड़ोस निभाने की बात होती है। तो इस तरह से किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस वक्त उनकी क्या राय होगी और किधर ऊंट बैठेगा। इसलिये मुझे ताज्जुब नहीं हुआ जब उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब अरबन एरिया में जमींदारी खत्म हो जायगी तो इस नियम की जरूरत न होगी। इसमें केवल लैन्डेड पार्टी का ही सवाल नहीं है। शहरों के मकान भी तो हैं वह तो फिर भी रहेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस पर विचार नहीं किया बल्कि वह भावुकता में आ गये। इसलिये मुझे उनका सुझाव मंजूर नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस सदन की राय है कि नियम ३२, यू०पी० इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---सदन ने इसके आलेख के ऊपर विचार कर लिया और सरकार ने सदन की राय जान ली। अब जो अंतिम नियम बनें उन्हें इस वाद प्रतिवाद का विचार रखते हुए सरकार जो उचित समझे बनावे यही अधिनियम की धारा का अभिप्राय है।

अब यह विचार समाप्त होता है और आगे की कार्यवाही होगी।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री के हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर इस वक्त विचार किया जाय बजाय इसके कि म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं है।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, मेरे विचार से जो वर्तमान बिल माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करना चाहते हैं वह यहां इस रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता। इसके लिये मैं सब से पहले आप का ध्यान संविधान के सातवें शिड्यूल की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें पहली यूनियन लिस्ट है, उसकी ३५ वीं एन्ट्री है 'पब्लिक डेट आफ दि यूनियन, के सम्बन्ध में अगर कोई कानून हो तो वह कानून केवल पार्लियामेंट बना सकती है। इसके बाद आपका ध्यान लिस्ट २ की एन्ट्री ५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कि राज्य विधान सभाओं को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय प्रशासन के बारे में कानून बना सकें। तो मेरा विचार यह है कि शायद माननीय मंत्री जी की इस एन्ट्री के मातहत गलतफहमी हो गयी है कि वह लोकल गवर्नमेंट का कानून नगर विकास मंडल विधेयक द्वारा ला रहे हैं। आगे चल कर मैं आपका ध्यान लिस्ट ३ जो कान्करेन्ट लिस्ट है उसकी २७वीं एन्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूं---

"Relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो यह तीसरी ऐन्ट्री आप श्रीमन् ध्यान में रखेंगे । यदि आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर ध्यान देंगे तो यह तीनों विषयों पर 'लेजिस्लेट' करता है । एक तो यह "पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के जन समूह के अत्यधिक संख्या में आ जाने के परिणाम स्वरूप प्राचीन हस्तिनापुर को उनको बसाने के लिये विकसित करना आवश्यक हो गया ।" तो इस विधेयक में उन विस्थापितों को ही मकान बनाने और पट्टे पर बेंचने का अधिकार है "और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस उपनिवेश की पर्याप्त आर्थिक सहायता की है" इसका भी जिक्र है । अगर आप इजाजत दें तो मैं इस विधेयक की धाराओं को मिसाल के लिये पेश कर दूं जिनमें दिखाया गया है कि केन्द्रीय सरकार का सारा ऋण मंडल के प्रति उत्तरदायी माना जायगा । इसके लिये मैं इस विधेयक का खंड १८ या खंड २१ आपके सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं :—

> "१८—धारा १७ में उल्लिखित इमारतों के निर्माण तथा रख-रखाव पर व्यय अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट व्यय को छोड़कर मंडल के संगठन से पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अथवा, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया हुआ सभी व्यय मंडल का व्यय समझा जायगा ।"

तो हम केन्द्रीय सरकार के किसी कर्ज या व्यय के बारे में जैसी मैंने यूनियन लिस्ट की एन्ट्री पढ़ कर सुनाई उसके बारे में लेजिस्लेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार का सारा व्यय सारा ऋण मंडल के ऊपर व्यय माना जायगा । तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि यूनियन के पब्लिक डेट्स से सम्बन्धित यह विधेयक बना दिया गया है इसलिये हमको अधिकार नहीं है ।

दूसरे मैं आपका ध्यान विधान के उस अनुच्छेद के बारे में दिलाना चाहता हूं जो 'कानकरेन्ट' लिस्ट के बारे में है । २४६ अनुच्छेद का तीसरा खंड है :

"(3) Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State specified in Part A or Part B of the First Schedule has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matter enumerated in List II in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the 'State List')."

तो आप देखेंगे कि हम जो कानून बना सकते हैं वह सबजेक्ट टु क्लाजेज वन् ऐंड टू हो । और क्लाज टू जो है वह कानकरेंट लिस्ट के बारे में है तो इसके विधान बनाने का अधिकार क्लाज टू के मातहत है और इसमें पार्लियामेंट को भी इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वह डिस्प्लेस्ड परसंस के बारे में कोई कानून बना सकती है । तो इसलिये विधान की धारा २४६ (३) के अनुसार तो हम इस कांकरेंट लिस्ट के लेजिस्लेशन को यहां नहीं बना सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—जरा आप इसको फिर से स्पष्ट कर दें । मैं सुन नहीं पाया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा कहना यह है कि कांकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एन्ट्री २७, जिसके अनुसार डिस्प्लेस्ड परसन्स के बारे में स्टेट और केन्द्र दोनों लेजिस्लेशन बना सकते हैं लेकिन स्टेट की जो पावर है कांकरेंट लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में वह सब्जेक्ट है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर की । तो इसलिये हम बिना पार्लियामेंटरी कंसेंट के यानी वहां की कोई जो एप्रोप्रीयेट अथारिटीज हैं बिना उनके कंसेंट के, हम डिस्प्लेस्ड परसन्स के बारे में कोई लेजिस्लेशन यहां नहीं ला सकते हैं । यह मेरा एतराज है । मेरा पहला एतराज, जैसा कि मैंने कहा, यह है कि हम यूनियन के पब्लिक डेट के बारे में कोई विधान नहीं बना सकते हैं । दूसरा यह है जिसका

कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया और तीसरा एतराज मेरा यह है कि मैं आपका ध्यान इस विधेयक के खंड ३८ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि...

श्री अध्यक्ष--खंड के ऊपर आप इस समय कुछ नहीं कह सकते। आप विधेयक के बारे में कहिये यदि वह अवैधानिक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह 'फंडामेंटल राइट्स' को छीन रहा है।

श्री अध्यक्ष--खंड ३८ छीन सकता है लेकिन विधेयक नहीं। अगर वह खंड ३८ फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो जिस समय क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा उस समय आप उसका विरोध कर सकते हैं, इस समय नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं मिसाल के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--जो प्वाइंट आफ आर्डर है वह बहुत शार्ट में होना चाहिये। सवाल यह है कि उस खंड के बारे में आप प्वाइंट आफ आर्डर उसी समय पेश कर सकते हैं जब कि डिस्कशन क्लाज बाई क्लाज हो। आप उस वक्त यह एतराज कर सकते हैं लेकिन इस समय आप अगर विधेयक के बारे में कोई बात हो तो उसको स्पष्ट कहें, आप किसी क्लाज के यानी किसी खंड के बारे में इस समय कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं। मैं उसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो यह मेरे दो एतराज हैं जिनके बारे में मैंने निवेदन किया।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--प्वाइंट आफ आर्डर। समय खत्म हो गया है।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। मैं और समय दूंगा।

श्री हुकुम सिंह--मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी जी ने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। लिस्ट ३ का रेफरेंस देकर के मुझे इस बात की जानकारी करा दी कि हां ऐसे अख्तियारात इस सदन को हैं कि हम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के सम्बध में कानून बना सकते हैं और वह पार्लियामेंट के कानून के मातहत होगा। लेकिन इसके यह माने नहीं हो सकते हैं कि जब तक पार्लियामेंट से कोई इजाजत हम न ले लें तब तक हम कोई कानून नहीं बना सकते हैं। अगर इस कानून के बनने के बाद पार्लियामेंट का कोई दूसरा कानून बने और वह इसके खिलाफ़ पड़े तो यह उसके सामने माना नहीं जायगा लेकिन जब तक वहां कोई कानून नहीं बनता, हमारा यह कानून लागू रहेगा। लिहाजा इससे कोई बाधा हमारे काम में पड़ती नहीं है। इसके साथ साथ मेरे मित्र ने कुछ दो एक दफाओं को भी बताने की कोशिश की कि वह कुछ संविधान के खिलाफ पड़ती हैं.....

श्री अध्यक्ष--आपको इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिये--पब्लिक डेट आफ दि यूनियन। संशोधन में यह लिस्ट एक में इन्ट्री है ३५ नम्बर पर। उसमें लिखा हुआ है कि 'पब्लिक डेट आफ दि यूनियन', यह एक्सक्ल्यूसिव जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट का।

श्री हुकुम सिंह---इसके माने यह हैं कि अगर उसमें हमको अख्तियारात नहीं हैं तो खाली एक क्लाज की बिना पर सारा बिल अवैधानिक तो नहीं हो सकता ? जिस पार्टिकुलर क्लाज के लिये उनकी शिकायत है और अगर ऐसा कानून है तो उस पर यह सदन विचार करके उसे तय कर सकता है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---यह तो उद्देश्य ही में रखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---विधेयक सिर्फ टाउनशिप विकास तथा निर्माण के लिये है और उसमें डैट का प्रावीजन सिर्फ एक ही क्लाज में है ।

श्री हुकुम सिंह---वही क्लाज है जिसको रिफर किया ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय, जो वैधानिक आपत्ति उठायी गई उसके संबंध में मुझे इतना कहना है कि मैं नारायण दत्त जी से सहमत नहीं हूं । उसका कारण यह है कि किसी एक विधेयक के एक खण्ड के कारण से सम्पूर्ण विधेयक अल्ट्रावायर्स आफ दि स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकता, अल्ट्रा वायर्स आफ दी कान्स्टीट्यूशन नहीं हो सकता । दूसरी चीज पब्लिक डैट है वह कहते हैं, उन्होंने किसी क्लाज का हवाला दिया है जब उस पर आवें और उस पर भी वैधानिक आपत्ति उठावें तो यह आवश्यक होगा और उस पर सदन में विचार करने का मौका मिलेगा । इस समय आप यह अनुमति दें तो वह वापस ले लें और सही वक्त पर लावें तो ठीक होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं आपका ध्यान केवल विस्थापित व्यक्तियों की जो परिभाषा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---श्री नारायण दत्त जी ने जो खंडों में कोई ऐसी बात आयी है जिस पर यह सदन विचार नहीं कर सकता है, उसके विषय में आपत्ति उठायी थी उसके विषय में स्पष्ट मत मैंने यह दे दिया था कि जिस वक्त खंडों पर विचार होगा तो वह खंड निकाल दिया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है । अब जहां तक, इस विधेयक पर यह सदन विचार कर सकता है या नहीं, इसका निश्चय करना है तो हमें यह देखना होगा कि आया सातवें शेड्यूल में जो फेहरिस्त दी हुई है उसके अनुसार और २४६ जो संविधान की धारा है उसके अनुसार हम उसके ऊपर विचार करने के अधिकारी हैं या नहीं । उसमें यह नारायण दत्त जी स्वयं मानते हैं कि जहां तक रिहैबिलिटेशन आफ पर्सन्स डिसप्लेस्ड के बारे में है, उनके लिये मदद करने का और उनको स्थायी रहने की गुंजायश करने का सवाल है, यह सब कांकरेंट जुरिस्डिक्शन में आता है, यह उन्होंने स्वयं माना है । उनकी आपत्ति जो हो सकती है वह यह कि यूनियन लोन के, कर्जे के बारे में यह सदन कोई कानून नहीं बना सकता । उसके बारे में एक ही सिर्फ दफा, या दो, एक दफायें हो सकती हैं वह इस विधेयक में आयी हुई है उन पर खंडों पर विचार करते वक्त विचार किया जा सकता है । लेकिन जो उद्देश्य इस विधेयक में दिये हुए हैं हस्तिनापुर के लिये कि एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है और उसमें आगे चलकर :

"Whereas it is expedient to provide for the establishment of a development board at Hastinapur in the district of Meerut for the purpose of constructing and developing the township and settling therein displaced persons and for other matters connected therewith."

ये वाक्य प्रस्तावना और उद्देश्य में लिखे हैं तो जहां तक इस नगर निर्माण के लिये "कांट्रक्शन्स" का काम करना है और बोर्ड बनाना है, मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी को उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है और "फार अदर मैटर्स" में कर्जे का प्रश्न आता है तो उसके संबंध में विधेयक में १ ही खंड है । तो जहां तक उद्देश्यों से स्पष्ट दिखाई देता है कि यह

विधेयक मुख्यतः पुरुषार्थियों की मदद के लिये जो नगर निर्माण और उसका विकास तथा कान्स्ट्रक्शन्स वगैरह बनाने हैं, उसी के संबंध में विधेयक मालूम होता है। ऐसी अवस्था में यह मानना ही पड़ेगा कि यह विधेयक कान्करेंट जुरिसडिक्शन में है। अब २४६ दफा बाधक है या नहीं, यह देखना है। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो पहली लिस्ट है वह तो केन्द्र के यानी लोक सभा के अधिकार की है। दूसरी लिस्ट है प्रदेश की सभाओं की और तीसरी लिस्ट है कांकरेंट जुरिस्डिक्शन की। तो तीसरी लिस्ट के संबंध में उसमें क्लाज २ में स्पष्ट यह कहा है कि 'सबजेक्ट टु सब सेक्शन वन' यानी केन्द्र के अधिकार में जो विषय हैं उन पर यदि हस्तक्षेप होता हो या उनमें कोई आप मदाखलत करते हों तो ऐसी अवस्था में तो वह कानून प्रदेशीय विधान सभा में नहीं बन सकता। इसी प्रकार जो विषय स्टेट के अधिकार के हैं उस पर स्टेट की विधान सभा ही कानून बना सकती है। इस धारा में सिर्फ इतना ही है कि जो केन्द्र के अधिकार की चीज है उसमें हस्तक्षेप प्रदेश की विधान सभा का नहीं होना चाहिये और जो प्रदेश के लिस्ट के विषय हैं नम्बर दो लिस्ट में, उनमें केन्द्र की लोक सभा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। कांकरेंट जुरिसडिक्टशन के जो विषय हैं उनके संबंध में कानून बनाने के प्रदेशीय विधान सभा के अधिकार धारा २४६ के अधीन उपधारा (१) से ही सीमित हैं। उनके विषय में केन्द्र से पूछ लेना पड़ेगा या राय मांग लेनी पड़ेगी, इस तरह की कोई बात संविधान में नहीं बताई गयी है। ऐसी अवस्था में मैं यह समझता हूं कि इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि इस विधेयक के ऊपर विचार करे और जो विधेयक के बारे में आपत्ति उठाई गई है वह निरर्थक है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, जो खंड विचारार्थ आयेंगे उनके विषय में यदि आपत्ति होगी तो उसके ऊपर उस स्थान पर विचार किया जायगा। मैं हर एक खंड के संबंध में निर्णय इस समय नहीं देता हूं।

(इस समय १ बजकर २८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया था कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय। इस सिलसिले में मुझे कोई बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करना है। हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के कायम होते ही पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में देहाती रकबे और शहरी रकबे से लोग अपने प्रदेश में आये इससे उस वक्त इंडियन यूनियन के सामने, हमारे हिन्दुस्तान के सामने बड़ा भारी प्रश्न था इन विस्थापित भाइयों को बसाने तथा उनको पनाह देने का। लिहाजा केन्द्रीय सरकार ने इसी विचार से यह निश्चय किया कि हस्तिनापुर जो पुरानी बस्ती थी उसका विकास करें और वहां पर यह अपने विस्थापित भाई बसाये जायं और उनके लिये वहां व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य उद्योग धंधों का ठीक तौर से प्रबन्ध किया जाय। इस उद्देश्य को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हस्तिनापुर को डेवलप करना शुरू किया। इसके लिये एक बोर्ड बना रखा था जिसके जरिये से सारे काम केन्द्रीय सरकार कराती थी। अब वह स्थिति आ गई है और केन्द्रीय सरकार की यह ख्वाहिश है चूंकि यह टाउनशिप हमारी स्टेट के अन्तर्गत है लिहाजा इसकी देखरेख हमारी स्टेट के मातहत हो। लिहाजा इस स्टेट और केन्द्रीय सरकार के बीच में परामर्श के बाद यह तय किया गया कि एक बोर्ड कायम किया जाय और उसके मातहत सारी देखरेख इस टाउनशिप की कर दी जाय और वहां पर व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य उद्योग धंधों का विकास इस बोर्ड के जरिये से कराया जाय।

म्युनिसिपल ऐक्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में जो मौजूदा प्रावीजन्स हैं उनके द्वारा व्यापार, व्यवसाय और उद्योग धंधों के विकास के कार्यों के बारे में कोई अधिकार लोकल बाडीज को नहीं हैं। लिहाजा इन ऐक्टों से जो हमारा उद्देश्य था वह पूरा नहीं होता था। नये

[श्री हुकुम सिंह]

टाउनशिप की नई-नई समस्यायें होती हैं और उनको हल करने के लिये खास अख्तियारात की जरूरत पड़ा करती है वह बातें मौजूदा म्युनिसपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट से हल नहीं होती थीं। लिहाजा यह नया विधेयक जिस शक्ल में है, सदन के सामने उपस्थित किया गया है। यह बहुत ही छोटा मोटा और सीधा सादा विधेयक है। मेरी यह प्रार्थना इस सदन से है कि इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार करे ताकि आगे विधेयक पर क्लाजवाइज विचार होकर इसको कानून की शक्ल दी जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ को इस सदन द्वारा नियत प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख पेश किया है उसके उद्देश्य और कारणों की तरफ मैंने गौर किया जिनको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं:-

"पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के जन समूह के अत्याधिक संख्या में आ जाने के परिणामस्वरूप प्राचीन हस्तिनापुर को उनको बसाने के लिये विकसित करना आवश्यक हो गया है। नये नगर के विकास की अपनी विशेष समस्यायें हैं, जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी की स्थापना से ठीक से नहीं सुलझ सकतीं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस उपनिवेश की पर्याप्त आर्थिक सहायता की है और कम से कम जब तक यह नगर पूर्ण विकसित न हो जाय केन्द्रीय सरकार का मंडल में प्रतिनिधित्व आवश्यक है। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग का उत्थान करने का अधिकार नहीं देता है जो इस स्थिति में आवश्यक है।"

तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का संबंध है उनको देखने से यह पता चलता है कि माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिये एक मंडल की स्थापना करना चाहते हैं जिसके द्वारा वह यह चाहते हैं कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के उत्थान की भी जो कुछ व्यवस्था हो, की जाय जिसके द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के मंडल को आगे बढ़ाया जाय। जब मैं इन उद्देश्य और कारणों को देखता हूं तो माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसके लिये उनको धन्यवाद देना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की पार्टी और सरकार के द्वारा ही आज हमारे विस्थापित व्यक्ति अलग-अलग मारे-मारे फिर रहे हैं और यदि हिन्दुस्तान का बटवारा न माना गया होता और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को न बनाया गया होता, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है जब कि मुस्लिम लीग चुनाव से पहले यह कहती थी कि बन के रहेगा पाकिस्तान, उस वक्त हिन्दस्तान के तमाम लोग मिल कर यह आवाज बुलन्द करते थे कि हिन्दुस्तान नहीं बटेगा और इसी इश्यु को ले कर माननीय उपाध्यक्ष महोदय देश में चुनाव लड़ा गया। उस चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और इस तरह देश में उस पार्टी की सरकार बनी जो देश को बाटना नहीं चाहती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने देश का बटवारा कबूल किया। उसके फलस्वरूप लाखों और हजारों हिन्दू पाकिस्तान में मारे गये और लाखों और हजारों की तादाद में हिन्दुस्तान में मुसलमान भाई मारे गये। इस तरह से खून की नदियां देश में बहीं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य तो पुराने इतिहास का विवरण दे रहे हैं। इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

श्री गजेन्द्र सिंह—यह इसलिये जरूरी हो जाता है कि विस्थापित व्यक्ति के बसाने पर यह विधेयक पेश किया गया है उसका खुलासा माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया। इसलिये जरूरी हो जाता है अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो आगे शुरू करूंगा।

मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह से यह व्यक्ति विस्थापित हुए और उनको बसाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। उसके लिये सरकार को विशेष प्रयत्न करने होंगे और अगर ऐसा करती है तो उनके साथ सरकार कोई अहसान नहीं करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, जब मैं इस विधेयक में मंडल के संगठन की ओर जो माननीय मंत्री जी ने बनाया है, दृष्टिपात करता हूं तो इस विधेयक की हालत वैसी ही मालूम पड़ती है जिस तरह से किसी हिन्दू बाला स्त्री जो विवाहित हो उसके जीवन के प्रभात काल में वैधव्य आकर उसके तमाम जीवन को नष्ट कर दे और उसकी जीवन धारा विकृत कर दे, उसी तरह से इस सुन्दर विधेयक को मंडल के संगठन द्वारा विकृत किया गया है। उसमें माननीय मंत्री जी कहते हैं "मंडल के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् की जायगी।"

तो मंडल का जो अध्यक्ष नियुक्त होगा वह सरकार द्वारा नियुक्त होगा। मंडल को स्वयं अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं होगा। (ख) में माननीय मंत्री जी कहते हैं— "केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी।" और आगे चल कर यह विधेयक कहता है— "(ग) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मंडल में जितने मेम्बर होंगे उनको केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार नियुक्त करेगी और इस मंडल का जो चेयरमैन होगा उसकी भी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी। तो इस तरह से जो यह मंडल बनाया जा रहा है यह बिलकुल कठपुतली होगा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के हाथ की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडल के रहने वाले जो हस्तिनापुर के व्यक्ति हैं, जो विस्थापित हैं और जो सरकार के ही कारण अपने घरों से अलेहदा किये गये हैं सरकार उन पर अविश्वास करती है। वहां के रहने वाले अपने मंडल का स्वयं चुनाव नहीं कर सकते ऐसा इस मंडल के संगठन से प्रतीत होता है। आगे चलकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ५ की उपधारा (३) में यह कहा गया है "प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार की इच्छा से पदासीन रहेगा" जो सदस्य हैं वे भी जनता की इच्छा के मुताबिक पदासीन नहीं रह पायेंगे बल्कि राज्य सरकार की इच्छा के मुताबिक पदासीन रह पायेंगे। एक तरफ तो सरकार सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात कहती है, गांधी जी के उसूलों पर चलने की बात कहती है और धीरे-धीरे सत्ता लोगों को देने की बात करती है, जनता की चुनी हुई संस्थाओं को सत्ता देने की बात करती है। लेकिन इधर मंडल की सत्ता मंडल को न दे कर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के हाथों में सत्ता दी गई है और मंडल के सदस्य और अध्यक्ष जो हैं वे मंडल के इच्छा के मुताबिक नहीं रहने दिये जायेंगे बल्कि राज्य सरकार जब चाहेगी, मंडल के सदस्यों को निकाल बाहर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे चल कर राज्य सरकार मंडल का एक प्रशासक नियुक्त करेगी नियम १० उपनियम १ में लिखा है "मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियत प्रतिबन्धों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी।" तो उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार मंडल के मेम्बर्स और अध्यक्ष को तो नियुक्त करेगी ही लेकिन साथ ही साथ मंडल अपना कोई कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकता है, वह भी सरकार ही नियुक्त करेगी। मंडल को यह भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपना कोई प्रशासक नियुक्त कर सके जिससे वह अपने कारबार को आगे बढ़ा सके। इस तरह सरकार विस्थापित व्यक्तियों पर अविश्वास करती है और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को सरकार ने मंडल

[श्री गजेन्द्र सिंह]

का अध्यक्ष और मेम्बर नियुक्त किया है उन पर भी सरकार अविश्वास करती है, उनको अपना कार्यकारी अधिकारी भी चुनने का अधिकार नहीं दिया है।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय आगे चल कर धारा २१ में ऋणों और ब्याजों के भुगतान में यह विधेयक कहता है "केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुए सभी ऋण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जैसी भी दशा हो समय-समय पर निश्चित दर देय, व्यय सहित मंडल की निधि, अन्य सम्पत्ति अथवा धन पर भार होंगे और मंडल ऐसे ऋणों का ब्याज सहित उस रीति से और किस्तों से भुगतान करेगा जिन्हें उपयुक्त सरकार अवधारित करे और प्रत्येक ऐसा भुगतान मंडल के व्यय का भाग समझा जायगा"। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार मंडल को यह अधिकार नहीं देता चाहती है कि वह अपने अध्यक्ष को चुन सके, मेम्बर्स को चुन सके। वे सरकार के द्वारा नियत किये जायेंगे। इसी तरह ऋण और ब्याज का जहां तक ताल्लुक है जो केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार द्वारा ग्रांट दी जायगी मंडल को उसको देने की जिम्मेदारी होगी और उसका जो प्रथम भार है ब्याजों और ऋणों का वह मंडल पर होगा। यानी जितना भी रुपया या ब्याज है उसकी जिम्मेदारी मंडल पर होगी लेकिन मंडल को अपने चैयरमैन और अध्यक्ष और मेम्बर चुनने का अधिकार कोई भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अगर वह कारण भी देने की कृपा करें तो अच्छा होगा जिसके लिये वह इस बिल को प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं।

श्री गजेंद्र सिंह—इसके साथ साथ जब हम बजट को देखते हैं तो उसके लिये यह कहा गया है कि मंडल प्रत्येक वर्ष ऐसे आकार में और ऐसे समय पर जो नियत किया जाय ठीक आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये उक्त वित्तीय वर्ष में होने वाली आय और व्यय के अनुमानों का बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजेगा। तो मंडल को बजट बनाने का भी अधिकार नहीं है। जब मंडल उसको बना लेगा तो उसको स्वीकृति के लिये राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजेगा। जब मंडल को बजट बनाने का अधिकार नहीं है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह त्रुटि रह गई है और इसके लिये इसका प्रवर समिति में जाना निहायत आवश्यक है। प्रवर समिति इसके ऊपर ठंडे दिल से विचार कर सकती है और इस विधेयक को ऐसा रूप दिया जा सकता है जिसके द्वारा वह मंडल वाकई में जनता का भला कर सके और मंडल की जो रहने वाली जनता है उसका प्रतिनिधित्व भी मंडल कर सकता है और उनके उत्थान के लिये भी वह कार्य कर सकता है। अगर कोई डेवलपमेंट का कार्य मंडल करना चाहता है तो वह स्वयं नहीं कर सकता है। उसको राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी होगी। उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा क्या वह काम नहीं हो सकता है। मैं आपकी आज्ञा से धारा ३२ के उपनियम को पढ़ना चाहता हूं जिसमें राज्य सरकार ने अपने हाथ में अधिक्रांतरण का अधिकार लिया है। उसमें यह कहा गया है कि यदि राज्य सरकार की राय में मंडल इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित कर्त्तव्य करने में अक्षम हो गया है, अथवा अविरत रूप से विचलित हो रहा है अथवा अपने अधिकारों का अधिक्रांत अथवा दुरुपयोग कर रहा है तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, मंडल को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिये अधिक्रांत कर सकती है तो जहां तक मंडल को सुपरसीड करने का प्रश्न है अगर मंडल सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है या किसी प्रकार से कोई काम करने में अक्षम है तो उसका सुपरसीड होना जरूरी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसी मंडल के लिये या किसी चुनी हुई संस्था के लिये सुपरसीड करने का अधिकार राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये। क्योंकि इस बात का फैसला कौन करेगा कि वह किस प्रकार से सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मंडल किसी प्रकार से अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं करता हो लेकिन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की वजह से उनका वोट हासिल करने के लिये यह साबित करे कि मंडल सरकार का जो रुपया है उसका दुरुपयोग

कर रहा है। इस प्रकार से राज्य सरकार अपने बहुमत के बल पर मंडल को सुपरसीड कर सकती है। यह निर्णय करने का अधिकार किसी अदालत को होना चाहिये जहां पर इस बात को साबित करने का अवसर मंडल को मिल सके कि वह ऐसा नहीं कर रहा है अगर अदालत के सामने साबित करने का अधिकार रहेगा तो वह इन सब बातों को अदालत के सामने रख सकता है और साबित कर सकता है कि हम सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिये इस प्रकार से सुपरसीड करने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में रहना उचित नहीं है और मंडल के अधिकारों पर कुठाराघात करना है। इसी प्रकार से मंडल को सुपरसीड करने के पश्चात् दूसरे मंडल की स्थापना की बात यहां पर नहीं कही गयी है। वे सभी अधिकार और कर्तव्य जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा द्वारा, मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होते हों राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् निर्णीत करे, पर दूसरे मंडल की स्थापना नहीं कही गई है। यह विधेयक यह कहता है कि यह सब अधिकार राज्य सरकार के पास रहेंगे। मंडल को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मेम्बरों का चुनाव फिर से कर सके और अपने मंडल के लिये नया चैयरमैन या मेम्बर को चुनने का उनको कोई अधिकार नहीं रह जायगा बल्कि सरकार सब अधिकारों को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहती है। इन तमाम वजूहात के साथ, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मजबूर होकर मुझको इसका विरोध करना पड़ रहा है और कहना पड़ा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। क्योंकि वहां जाकर जो इसमें खामियां रह गयी हैं उन पर ठंडे दिल से विचार हो जायगा। मंडल को इस तरह का रूप दिया जाना चाहिये कि जिससे मंडल के रहने वाले लोगों को अपने मेम्बर और अध्यक्ष चुनने का पूरा अधिकार हो और अपने तरीके से, अपने अधिकारों द्वारा, अपनी परिस्थिति को देखते हुए उन्हें मंडल को पूरा-पूरा विकसित करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार दिल्ली और लखनऊ में बैठकर हस्तिनापुर के विकास कार्य को सोचे। अगर ऐसा किया गया तो मंडल का विकास कार्य नहीं हो सकता। हां, यह हो सकता है कि मंडल केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के हाथों में कठपुतली बना रहे और तमाम विस्थापित व्यक्तियों के वोटों को लेकर अपनी सरकार को बनाये रखे। इस कानून द्वारा सरकार अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहती है न कि वहां के लोगों को कुछ सहूलियत देना। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सरकार ने जो पाप किया है उस पाप से मोक्ष पाने के लिये ही यह सरकार इसको करने जा रही है मैं यह नहीं कहता कि सरकार जो कुछ करना चाहती है वह ईमानदारी से नहीं करना चाहती है लेकिन मैं उससे निवेदन करूंगा कि जितने भी अधिकार इस बिल के द्वारा कन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों को वह दे रही है उनको न देकर ज्यादा से ज्यादा मंडल के लोगों को ही दिये जाने चाहिये जिससे उन लोगों को वहां के डेवलपमेंट करने का पूरा-पूरा अवसर मिल सके।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने प्रस्तुत किया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, कहा यह गया कि भारत और पाकिस्तान का बटवारा कांग्रेस सरकार ने मंजूर किया इसलिये खून खराबी की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। मैं समझता हूं कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी अपने को भूल बैठे हैं। उनको ख्याल नहीं रहा कि जिस विचारधारा को लेकर वे और उनके साथी आज उधर बैठे हुए हैं उन सबों ने मिल कर एक आवाज से ही उस बटवारे को मंजूर किया था और वे उस समय कांग्रेस में ही थे। यदि कांग्रेस सरकार पर उसकी जिम्मेदारी आती है तो वह और उनके नेता भी इससे बरी नहीं रह सकते।

इसके बाद इस विधेयक की धाराओं का हवाला देते हुए और उद्देश्य और कारणों को बतलाते हुए कहा गया कि इसके अन्दर ऐसी बातें हैं जिनमें विस्थापित भाईयों को तरक्की करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब यह देखने की बात है कि पाकिस्तान से जितने भी

[श्री बसंत लाल शर्मा]

भाई यहां इस देश में आये उनका यहां पर खुले हृदय से स्वागत किया गया और उनके लिये जो कुछ भी कांग्रेस सरकार द्वारा हुआ वह सराहनीय है, वह इतिहास की बात है जो स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी। हतिथनापुर एक ऐतिहासिक स्थान है जो बहुत दिनों से उजड़ा हुआ पड़ा था उस जगह पर विस्थापित भाइयों को बसाया गया है। जब हम उसकी सीमा निर्धारण करते हैं, उसके विकास के लिये कोई उपाय सोचते हैं, उसके लिये एक मंडल की स्थापना करते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये, उसका समर्थन करना चाहिये। मान्यवर, जब तक उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, जब तक उसका विकास अच्छी तरह से नहीं कर दिया जाता है, प्रत्येक विस्थापित को घर नहीं दे दिया जाता है, तब तक उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता जब तक उनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं कर दी जाती, उनके विकास के लिये कोई उपाय नहीं किये जाते, जब तक इलेक्शन की कोई समस्या ही पैदा नहीं होती और जब उस स्थान की सीमा को निर्धारित करना है, उसे व्यावसायिक और औद्योगिक रूप में विकसित करना है तो ऐसी स्थिति में जब सरकार अपना पूरा नियंत्रण रख कर कोई ऐसा मंडल नहीं बनायेगी तब तक वह उसमें सफलीभूत नहीं हो सकती। इसलिये जहां तक मेरी समझ में आया है मैं यह समझ पाया हूं कि यदि सरकार मंडल की स्थापना कर देती है तभी उसका काम भी चला सकता है और फिर वह मंडल हमेशा के लिये नहीं बनाया जा रहा है। जैसा कि मेरा ख्याल है वह ५ वर्ष तक के लिये बनेगा या शायद और आगे भी उसमें कुछ हो लेकिन मेरी समझ में जो कुछ आया है उसके अनुसार मैं समझ पाया हूं। अब जब सरकार मंडल बनायेगी और वहां पर कोई निर्वाचन की प्रणाली नहीं कायम की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न इस बात का है कि वहां का प्रबन्ध किस प्रकार से किया जाय? यदि सरकार, मेम्बरों को नामांकित नहीं करेगी और उन्हें नियुक्त नहीं करेगी तो आखिर कौन करेगा यह एक विचारने की बात है। इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सरकार के द्वारा ही नामांकित होंगे और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के परामर्श से ही ऐसा होगा यह तो निश्चित ही है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने काफी लम्बी रकम खर्च करके ही उन विस्थापित भाइयों को वहां पर बसाया है और अब राज्य सरकार की देखरेख में उसे देने का निश्चय किया है तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य सरकार इस संबंध में कोई काम करे तभी वह अच्छा होगा। कहा यह भी गया कि मंडल के अन्दर जो कर्जे मंडल को दिये जायेंगे उसकी जिम्मेदारी मंडल के ऊपर होगी। यह बात श्री गजेन्द्र सिंह जी को अच्छी नहीं मालूम हुई। यह सोचने की बात है कि कर्जा दिया जायगा मंडल को तो लिया जायगा किससे? जब मंडल को कर्जा दिया जायगा तो वही उसका जिम्मेदार होगा और जब मंडल उसको लेगा और उसे व्यय करेगा, उसे वितरित करेगा और उसकी व्यवस्था करेगा तो यह तय है कि उसे मंडल ही देगा। इसलिये जो बात भी उन्होंने बतलायी उसमें कोई भी बात समझ में आने वाली नहीं है जिसमें कोई खामी रह गयी हो या कोई ऐसी बात हो जिस पर विचार करने के लिये फिर से इसे प्रवर समिति के सामने भेजा जाय। इस बिल के अन्दर सभी धाराओं को आगे चल कर देखने से मालूम होगा कि जो बातें रखी गयी हैं नगर विकास के लिये वे सभी करीब-करीब इसके अन्दर आ गयी हैं और कोई भी बात बाकी नहीं रह गयी है। और यदि कोई ऐसी छोटी-मोटी बात रह भी गयी होगी तो आगे आने वाले संशोधन के द्वारा उसको ठीक कर लिया ही जायगा। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसको प्रवर समिति के सामने फिर से भेजा जाय। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, अपोजीशन की तरफ से इस प्रस्ताव को सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश करने की जो मांग की गयी है, मैं समझता हूं कि वह गलतफहमी पर मबनी है। अपोजीशन की तरफ से जिन सज्जन ने इस प्रस्ताव के सिलसिले में अपना भाषण दिया है, सेलेक्ट कमेटी में इसको रेफर करने के बारे में उनको बड़ा भ्रम है। उनकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पीच सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस उद्देश्य के लिये यह मंडल बनाया जा रहा है या बोर्ड बनाया जा रहा है, उस बोर्ड को जितने अख्तियारात इस बिल के जरिये दिये जाने वाले हैं, उन्होंने ऐसा बतलाया है कि इस बिल में वह उन अख्तियारात के ही बिलकुल खिलाफ होगा और जिस आशय को लेकर यह बोर्ड बनाया जाने वाला है इस प्रस्ताव के जरिये, उनका ख्याल यह है कि न सिर्फ वे अधिकार कम हैं बल्कि उसमें वे और कुछ अधिकार जोड़ना चाहते हैं। अगर यह बात है तो फिर किसी प्रवर समिति के सामने इस बिल के पेश करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर अपोजीशन को तो चाहिये कि इस बिल की वह मुखालिफत करे।

क्योंकि सीधे-सीधे तीन खास उद्देश्य के लिये यह बिल इस भवन के सामने पेश हुआ है। पहला यह है कि हस्तिनापुर टाउन का डेवलपमेंट किया जाय और दूसरा उद्देश्य यह है कि डेवलपमेंट किया जाय तो उसमें उद्योगधंधे कायम किये जायं। व्यवसाय उस टाउनशिप में अच्छी तरह से चालू हो जाय और जिस तरह के व्यापार और व्यवसाय की वहां जरूरत हो वह वहां डेवलप करे। यही ३ खास मनशा हैं कि जिनको लेकर यह बिल इस हाउस के सामने आया है और जब यह मनशा खास हो गई तो जाहिर है कि यह तीनों बातें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट न मिलने पर पूरी नहीं हो सकतीं। मान लीजिये कि उद्योगों के विकास का ही सवाल है तो जाहिर है कि उसके लिये हमें एक खास किस्म की सोसाइटीज बनानी होंगी और कुछ खास तरह की चीजें बनाना मकसूद होंगी और वहां के लोगों के द्वारा ही वहां कुछ खास उद्योगों को चलाने की जरूरत होगी, मारकेटिंग की सहूलियत देनी होंगी, डिजाइन्स वगैरा की सुविधा देनी होगी, छोटी मोटी मशीनें उनको देनी होंगी। यह सब वहां के लोगों के पास तो हैं नहीं बाहर से ही यह सब प्रबन्ध उनके लिये करना होगा। अगर वहां के व्यापार को डेवलप करना है तो देखना होगा कि वहां रेलवे लाइन की जरूरत तो नहीं है और है तो कहां से उसको कनेक्ट किया जाय, कहां सड़कें बनाई जायं जिससे वहां व्यापार की उन्नति हो। तो अगर इन तमाम उद्देश्यों को सामने रखकर हमें वहां के लिये कोई कानून बनाना है तो वह वहां के लोगों के इनिशियेटिव पर नहीं चल सकता, वह तो सरकार के इनिशियेटिव पर ही चल सकता है। अब सवाल यह है कि इनिशियेटिव सरकार के हाथ में दिया जाय या वहां के लोगों के हाथ में दिया जाय जिस तरह से लोकल बाडीज का म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम चलता है जिनके जिम्मे सफाई का, सड़कों का और तालीम आदि का काम होता है। यही छोटे छोटे काम हैं जो इन लोकल बाडीज के सुपुर्द हैं, लेकिन जहां तक हस्तिनापुर डेवलपमेंट बोर्ड का सवाल है उससे संबंधित बड़े-बड़े सवाल हैं। उसके सामने एक तस्वीर खींचने का सवाल है और उस तस्वीर को मुकम्मिल करने का सवाल है और वह ऐसा होना चाहिये कि जिससे एक माडल टाउनशिप तैयार हो क्योंकि नये कस्बे में आजकल के हिसाब से खास नई मंशाओं की जरूरत होती है जिनका पूरा होना माडल टाउन के लिये जरूरी है। उन मंशाजात की तकमील होना बहुत जरूरी है। कहा गया कि बोर्ड में पब्लिक के नुमाइन्दे नहीं लिये जा रहे हैं और गवर्नमेंट के ही लोग रखे जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास ही एक्सपर्ट ओपिनियन है और उसी के पास इनिशियेटिव है और वह इनिशियेटिव वहां के रहने वाले पब्लिक के लोगों के पास नहीं है इसलिये हाउस को समझ लेना चाहिये कि लोकल बोर्डों में और इस बोर्ड में क्या अन्तर है। हस्तिनापुर डेवलपमेंट बोर्ड का इनिशियेटिव सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और हस्तिनापुर को सरकार अपनी बनाई हुई तस्वीर के मुताबिक बनाना चाहती है और अपनी एक्सपर्ट ओपीनियन के आधार पर वहां सरकार उद्योग, व्यापार और व्यवसाय की रचना करना चाहती है और चूंकि यह बड़ा मामला है जिसमें गवर्नमेंट को ही अधिकतर फाइनेंस करना है और जब सरकार फाइनेंस करेगी तो वहां सरकारी नुमाइन्दे रहने ही चाहिये। एक साहब ने कहा कि गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है वह वापस लेगी। जरा सोचने की बात है कि कहीं ग्रांट वापस ली जाती है। वापस तो ऋण लिया जाता है, ग्रांट कभी वापस नहीं होती। परन्तु जो ऋण दिया जाता है वह वापस लिया जाता है। जो ऋण किसी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जायगा चाहे सूबे की गवर्नमेंट की तरफ से या केन्द्र की गवर्नमेंट की तरफ से वह वापस लिया जायगा। ऋण तो ऋण होता ही है।

[श्री खूबसिंह]

ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऋण दिया जाता है तो उसमें दो चीजें देखी जाती हैं कि वह ऋण जिस मकसद के लिये दिया गया है उसी मकसद में इस्तेमाल किया गया है या नहीं और दूसरे अगर वह नहीं किया गया है तो जिस संस्था को दिया गया है उसकी कितनी कैपेसिटी है । वह पे कर सकती है या नहीं और अगर कर सकती है तो कितना । अकसर देखने में आया है कि बहुत सा ऋण गवर्नमेंट का माफ कर दिया गया है या कुछ थोड़ा सा लौटाया गया है । तो होता यही है कि शुरू में गवर्नमेंट कुछ रुपया ऋण में देती है और दिया जाना चाहिये और उसमें से बहुत सा ऋण माफ कर दिया जायगा या कुछ वापस कर लिया जायगा, कुछ माफ कर दिया जायगा और इसीलिये तो गवर्नमेंट से ऋण लेना उत्तम है क्योंकि उसमें पूरा वापस नहीं करना पड़ेगा । जैसे कस्बे के सर्फाजात डेवलपमेंट के होंगे उसके हिसाब से यही अच्छा भी होगा कि गवर्नमेंट से ऋण लिया जाय । तो अब मैं हाउस का वक्त ज्यादा न लेकर यह अर्ज करूंगा कि प्रवर समिति में भेजे जाने की बात जब कही जाती है तब कोई छोटी मोटी तब्दीली लाना जरूरी समझा जाय तब करना चाहिये । लेकिन हमारे आपोजीशन के सामने सवाल ही दूसरा है । वह तो इस किस्म का बोर्ड चाहते हैं जिसमें तालीम, कस्बे का सैनिटेशन यानी आम तरीके से जो म्युनिसिपल बोर्ड्स जिस किस्म के होते हैं और उनमें जो अधिकार होते हैं उस किस्म के अधिकार वाला बोर्ड अपोजीशन चाहता है । अगर यह बात है तो गवर्नमेंट से कहे कि इस बिल को वापस ले लो और दूसरा बिल लाओ । लेकिन जो वाकयात हैं उनमें जरूरत नहीं है कि यह बिल प्रवर समिति के सामने भेजा जाय और खामखा के लिये देर लगाई जाय । मेरा ख्याल है कि बिल मुकम्मिल है, मुनासिब है और उसे प्रवर समिति के सामने भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पढ़ने के बाद और माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन और भाषण के सुनने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि यह संशोधन कैसे उपस्थित किया गया है । यह बिल जो उपस्थित है बहुत छोटा सा है यह किस अभिप्राय से प्रस्तुत किया गया है यह विचारणीय है । यदि माननीय सदस्य ने इसके उद्देश्य और कारण को पढ़ लिया होता तो वह अपने प्रस्ताव को उपस्थित नहीं करते, ऐसा मैं समझता हूं इसमें साफ लिखा हुआ है:---

> "पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के जनसमूह के अत्यधिक संख्या में आने के परिणामस्वरूप प्राचीन हस्तिनापुर को उनको बसाने के लिये विकसति करना आवश्यक होता गया । इत्यादि"

इससे साफ प्रकट होता है कि अभिप्राय क्या है । अब तक कोई विधेयक इस संबंध में इस सदन के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया था । इतनी बड़ी जमाअत ऐसे लोगों की एक मुल्क से जो कि हमारे ही देश का अंग था आ गये हैं उनके बारे में यह विधेयक लाया गया है । देश के बटवारे की जिम्मेदारी की बात हमारे माननीय सदस्य ने बतलाई । हमारे मित्र ने बड़ा भारी आक्षेप कांग्रेस सरकार पर किया है । उसका जवाब बसन्तलाल जी ने दे दिया है कि वे उस वक्त हमारे साथ थे जब मुल्क का बटवारा हुआ । उन्होंने कहा कि उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर नहीं है । लेकिन कांग्रेस सरकार ही नहीं उसके लिये वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के लोग । इस समय उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर थोपना उनके लिये शोभा नहीं देता । उस प्रश्न को वहां छोड़ देना ही अच्छा होता । बिला वजह इसे प्रसंग में लाया गया । उन्होंने एक ऐसे प्रसंग को एक ऐसी चीज को उभाड़ने का प्रयत्न किया है जो उचित नहीं था । उन्होंने यह आक्षेप किया है, जैसा कि उनके भाषण से मैं समझ पाया कि उसके लिये जो यह मंडल बनाया जाता है उसमें यह उचित था कि चुनाव की शर्त कर दी जाती, इलेक्शन कर दिया जाता । क्यों चुनाव कर दिया जाय, इसका

कोई कारण उन्होंने नहीं बतलाया यह भी कहा गया कि जो कर्ज सरकार देगी, प्रांतीय सरकार दे या केंद्रीय सरकार दे उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। मैं नहीं समझता हूं कि अगर मंडल को कर्ज दिया जायगा तो उसकी जिम्मेदारी सिवाय उसके और किस के ऊपर होगी। जिम्मेदारी तो उसी के ऊपर होती है कि जो कर्ज लेता है। उसके अतिरिक्त यह समिति जो बनाई गई है, मंडल जो बनाया गया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसका कांस्टीट्यूशन कैसे होगा, कैसे मंडल बनाया जायगा, मंडल का कार्य क्या होगा। मंडल का कार्य होगा उस नगर को ठीक तौर से विकसित करना और वह समाप्त भी कर दिया जायगा जिस वक्त गवर्नमेंट उसको समाप्त करना चाहेगी। यह कोई म्युनिसिपल ऐक्ट नहीं बनने जा रहा है या टाउन एरिया ऐक्ट नहीं बनने जा रहा है जो परमानेंट रहेगा, जो हमेशा के लिये रहेगा। यह तो जितने समय तक हमको हस्तिनापुर नगर का विकास करना है अथवा उसका निर्माण करना है उतने समय तक के लिये ही ऐक्ट रहेगा। यह तो एक अस्थायी कानून बनाया जा रहा है और इसलिये यह कहना कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और कुछ समय बरबाद किया जाय मैं समझता हूं कि यह आपका उचित संशोधन नहीं है और मेरी यह प्रार्थना होगी माननीय सदस्य महोदय से कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें और जैसा बिल प्रस्तुत किया गया है उसको पास होने दें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो विरोधी दल की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है उससे मैं यह समझता हूं कि उन्होंने हस्तिनापुर की परिस्थिति को समझा ही नहीं है और न वहां पर देखा ही है। हस्तिनापुर के आस-पास जो खादर था उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बड़ा खर्चा करके तुड़वाया है और बसाया है और हजारों नहीं बल्कि लाखों एकड़ जमीन जो पहले खराब पड़ी थी उसमें वहां के विस्थापितों को, शरणार्थियों को आबाद किया है और वहां पर बहुत सी सड़कें बनाई हैं। साथ ही जो प्राचीन स्थान थे हस्तिनापुर के वहां भी बहुत सी इमारतें बना दी हैं, बहुत से दफ्तर कायम कर दिये हैं मगर वह नगर अभी तक विकसित नहीं हुआ है। वहां पर नगर को बसाने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लाखों रुपया इस क्षेत्र को विकसित करने में खर्च किया है। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया अभी तक इसका प्रबन्ध अपने द्वारा कर रही थी अब वह उसका प्रबन्ध राज्य सरकार, प्रदेशीय सरकार के सुपुर्द कर रही है।

यहां पर जो आज विरोधी दल की ओर से एतराज किया गया है वह इस पर नहीं किया गया कि हस्तिनापुर का विकास न किया जाय इसके साथ तो वह सहमत हैं कि विकास तो अवश्य किया जाय परन्तु उन्होंने जो तरीका रखा है इसमें कि एक विकास मंडल बनाया जाय पांच सदस्यों का जिसमें दो प्रतिनिधि इस प्रदेश की सरकार के हों, दो प्रतिनिधि केन्द्र के हों और एक अध्यक्ष हो, उनको इस सिस्टम पर, इस तरीके पर एतराज है। उन्होंने कहा है कि इसका चुनाव कर दिया जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव किसमें करेंगे? जहां पर यह नगर आबाद किया गया है, जहां पर इतनी इमारतें बनाई गई हैं वहां पर आबादी बहुत है ही नहीं, करीब-करीब नहीं के बराबर है तो किसमें से वह चुनाव करेंगे और शरणार्थी जिन्होंने वहां पर खेती कर रखी है, वह वहां से पांच दस मील पर आबाद हैं, वह कैसे विकास कार्य में लग सकते हैं, वहां निर्वाचन तो हो ही नहीं सकता। निर्वाचन करेंगे कौन? इसलिये विरोधी दल के सदस्य ने जो बात रखी है वहां की परिस्थिति को बिल्कुल समझा नहीं है।

वहां तो परिस्थिति यह है कि जो वहां पर ढांचा बना दिया गया है, इमारतें बना दी गई हैं वहां का विकास करना है और उसकी जरूरियात को पूरा करना है। आबादी बढ़ाने के लिये सबसे बड़ी जरूरी चीज है वहां पर व्यवसाय चले। चूंकि व्यवसाय का काम म्युनिसिपैलिटी के जरिये नहीं हो सकता था इसलिये सरकार को आवश्यकता पड़ी कि

[श्री रतनलाल जैन]

ऐसा विधेयक लाये और लाया गया, जिसकी आवश्यकता थी। इसलिये उसके लिये एक मंडल बनाया जा रहा है। मंडल के लिये आवश्यक यह है कि उसमें ऐसे सदस्य हों जो एक प्रकार की इसमें विशेषता रखते हों, जिनको इस बात का अनुभव हो कि किस तरह से नगर आबाद कर सकते हैं, किस तरह से जो विस्थापित लोग हैं उनको यहां लाया जाय और उनको इस तरह की प्रेरणा दी जाय कि जिस क्षेत्र के लिये केन्द्रीय सरकार ने लाखों रुपया अपना खर्च कर डाला है वहां आकर बसें और उस स्थान का विकास हो। इसलिये इस विषय के जानने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता थी और यह विशेषज्ञ नामिनेशन के जरिये ही आ सकते हैं। इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि वह नामजद करे। मैंने अर्ज किया कि वहां पर आबादी है ही नहीं जहां हस्तिनापुर बसाया जा रहा है। इसलिये निर्वाचन का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह एक सीधा-सादा विधेयक है। इसमें जो विकास मंडल है उसको तमाम अधिकार दिये गये हैं, वह तमाम अधिकार जो कि म्युनिसिपैलिटी को प्राप्त हैं। उसमें साथ-साथ यह भी अधिकार है कि किस तरह से नगर को आबाद करने के लिये, उनको व्यवसाय में लगाने के लिये प्रेरणा दी जाय, उन्हें कर्जा दिया जाय, उनकी मदद की जा सके। यह तमाम इसके अन्दर है। तो इसके लिये जो तरीका सरकार ने रखा है इसके अलावा कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। इसलिये मैं अपने विरोधी दल के सदस्य से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और जैसा बिल आया है उस पर विचार किया जाय और फिर इसकी जो धारायें आयेंगी उनमें अगर कहीं भी संशोधन समझते हों तो संशोधन को रखें और उस पर विचार किया जाय। अगर उनकी बात ठीक होगी तो मानी जायगी। मैं तो यह समझता हूं कि जो विधेयक लाया गया, जिस परिस्थिति में लाया गया वह ढंग यही हो सकता था और हो ही नहीं सकता था। इसलिये मैं इस प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का अमूमन मैं जहां तक सोचता हूं ज्यादातर सम्बन्ध पश्चिमी जिले के लोगों का होना चाहिये और मैं मुनासिब नहीं समझता था कि इस विधेयक पर बोलूं न मैं तैयार ही था। लेकिन यहां आने के बाद जब मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना और उनके अन्तिम वाक्य सुने जहां उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति की तो दो वाक्य उन्होंने कहे वह यह कि यह विधेयक बहुत छोटा-मोटा है, सीधा-सादा है। सीधा का अर्थ तो मैं समझता हूं लेकिन साधा का अर्थ समझने से मजबूर रहा। छोटा तो समझता हूं पर मोटे से क्या तात्पर्य। विधेयक की उपयोगिता को समझता हूं फिर भी विधेयक नहीं समझ पाया। इसलिये विधेयक को पढ़ने की चेष्टा की और जब पढ़ा तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में उधर के बैठने वाले कई माननीय सदस्यों के भाषण मुझे सुनने को मिले। अच्छा होता माननीय सदस्य गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की चेष्टा न करते। जिसको हमारे साथियों ने दबा देने की कोशिश की है उसको माननीय व्रजविहारी मिश्र गड़े मुर्दे को उखाड़ कर सदन से जाने कहां चले गये। अब चूंकि वह इस सदन में नहीं हैं, इसलिये मैं इसे छोड़ता हूं। उनके सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता। इस विधेयक के सम्बन्ध में अभी-अभी हमारे रतनलाल जी जैन ने अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने हमारे साथियों पर और हम पर यह आरोप लगाया है कि हमने इस विधेयक का अर्थ ही नहीं समझा है। शायद उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह समझा हो। लेकिन मैंने बहुत चेष्टा की उनके भाषण को अच्छी तरह सुनने की जिसमें कि मैं भी इस विधेयक को समझ सकूं, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ही इस विधेयक को नहीं समझा है।

मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक पास कराकर माननीय मंत्री जी एक डिक्टेटराना तरीके पर एक सीमित एरिया में उसकी आजमाइश करना चाहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया या और जो आज की लोककल्याणकारी अथवा जनतांत्रिक व्यवस्थायें हैं उनसे ऊबकर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हस्तिनापुर में एक ऐसा क्षेत्र वह ले लें जहां पर कि उनके डिक्टेटराना हुक्मों की एक आजमाइश हो और मुझे तो डर है कि यदि मंत्री जी वहां सफल हुये तो सारे प्रान्त के अन्दर बड़े-बड़े और छोटे-छोटे कस्बों में इसकी आजमाइश की जायगी और हमारे प्रान्त की जनता जो नगरों में रहने वाली है, वह पीसी जायगी। इसलिये मैंने इसका विरोध करना उचित समझा है और यह उचित समझा है कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके एक अंश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधेयक में ५ आदमियों का एक मंडल बनेगा। मंडल में दो तो प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार के होंगे, दो राज्य सरकार के होंगे और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अध्यक्ष नियुक्त करेगी और वह मंडल समिति नियुक्त करेगी और उसको वह अपना अधिकार देगी, जिसके सम्बन्ध में वह कार्य करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह मंडल को जब चाहे समाप्त कर दे, उसे डिजाल्व कर दे और मंडल को अधिकार है कि जो समिति उसके अन्तर्गत, उसके आदेश पर बनी है, उसे वह जब चाहे समाप्त कर दे। राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगी प्रशासक को पदच्युत करने का अधिकार न मंडल को है और न मंडल उसे पदच्युत करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है। सारी ताकत राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार सिर्फ कहने के लिये केन्द्रीय सरकार का नाम ले लेती है। अगर उद्देश्य और कारण को देखा जाय तो उसमें यह है कि "जब तक नगर पूर्ण विकसित न हो जाय केन्द्रीय सरकार का मंडल में प्रतिनिधित्व आवश्यक है।" इसके माने यह हैं कि नगर को पूर्ण विकसित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, इसलिये वह केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि लेने की बात करती है, नहीं तो पूरी ताकत राज्य सरकार के हाथ में है। इसमें एक बहुत बड़ी विडम्बना है और एक बहुत बड़ी हुकूमत माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेकर करना चाहते हैं। "सद्भावना से किये गये किसी काम के विरुद्ध किसी कर्मचारी के विरुद्ध विधिक नहीं उपस्थित किया जा सकेगा।" यह भी इस विधेयक में है। अब अगर इस विधेयक में सद्भावना की व्याख्या होती, उपाध्यक्ष महोदय, तो शायद मुझे अवसर न होता कि मैं सदन के सामने इसे लाता और सदन का अमूल्य समय लेता। लेकिन सद्भावना से किये गये किसी कार्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विधिक नहीं उपस्थित किया जा सकेगा, इस वाक्य द्वारा पूरा अधिकार दिया गया है वहां के कर्मचारियों को, कि वह जिस तरह भी मनमानी ढंग से चाहे, वहां के निवासियों का शोषण कर सकें। इस विधेयक में है कि किसी के घर में कुछ घंटे पहले सूचना देने के बाद परीक्षण वगैरह करने के लिये कर्मचारी जा सकते हैं। तो फिर सद्भावना का अर्थ यह लगाया जाय कि कोई भी अधिकारी हमारे घर में बिना किसी सूचना के सद्भावना के नाम पर मदाखलत कर सकता है और हमारे घर से लोटा, थाली, सोना, जेवर आदि लेकर चम्पत हो सकता है और वह भी उसके दृष्टिकोण से सद्भावना से किया गया कार्य हो सकता है। तो फिर हम यदि यह किसी तरह से साबित न कर सके कि यह कार्य सद्भावनापूर्ण नहीं था तो हम उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं चला सकते हैं। माननीय मंत्री जी वहां के अधिकारियों को मनमानी कार्य करने का अधिकार देकर वहां के लोगों को सताने और उनको चूसने की व्यवस्था इस विधेयक द्वारा करना चाहते हैं।

इसमें इस विधेयक के किसी भी कानून की अवहेलना होने पर यदि मंडल निश्चय करता है कि उस पर ५०० रुपये जुर्माना हो तो उसके खिलाफ कहीं भी अपील की गुंजायश नहीं है, जहां तक मैंने इस विधेयक को समझा है। यह हिटलरशाही तरीका नहीं

[श्री रामेश्वर लाल]

है तो और क्या है ? कहा जाता है कि विस्थापितों की वजह से कितनी संख्या बढ़ गई है। इसको हमारे मंत्री जी समझते हैं और हस्तिनापुर में उनकी संख्या के बारे में रतनलाल जी बहुत चिंतित हैं। लेकिन हर जगह विस्थापितों की वजह से २५ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई है। उसकी चिन्ता हमारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को बहुत ज्यादा है। इसके बारे में मुझे याद है जब मैंने एक सवाल का जवाब चाहा था कि देवरिया में विस्थापितों को पुनर्वासन भत्ता मिला या नहीं तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इसका संबंध केन्द्र से है और केन्द्र ही इसका उत्तर देगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। पुनर्वास भत्ता उनको आज तक नहीं मिला है। देवरिया से लोग लखनऊ आकर तड़पते हैं। दिल्ली में जाकर तड़पते हैं और रिहेबिलिटेशन दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन उनको कोई भत्ता नहीं देता है। हमने देखा है कि उनसे सौदा किया जाता है कि अगर दस हजार रुपया तुम्हारा होता है तो उसमें से एक हजार रुपया हमें दो तो हम तुमको रुपया दिलवा देंगे। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार शरणार्थियों की ओर से कितनी सचेत है। उनका सवाल लेकर जो हस्तिनापुर का बिल सदन में उपस्थित किया गया है वह इसलिये कि हमारे मंत्री महोदय हिटलराना तरीके का नमूना पेश करना चाहते हैं। एक एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं और अगर वह इस अपने एक्सपेरीमेंट में सफल हुये तो फिर वह प्रान्त की सारी नगरपालिकाओं को अपने हाथ में ले लेंगे। यह चीज भविष्य के लिये हमारे देश के लिये और हमारे राज्य के लिये बहुत बुरी बात होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि श्री गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव को मानकर इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, जहां पर इस पर पुनः विचार हो।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हस्तिनापुर सन् १९४७ ई० से पहले दो बार देखने का अवसर मिला है और १९४७ के बाद भी अभी पारसाल जनवरी के महीने में मैंने उसको देखा है। सन् १९४७ ई० से पहले और बाद की दोनों तस्वीरों को जिसने देखा है उसकी समझ में इस विधेयक का उद्देश्य साफ तौर से समझ में आ सकता है। हस्तिनापुर एक बहुत ही पुराना महत्व का स्थान रहा है। लेकिन बाद में कुछ समय के हेरफेर से यह बिल्कुल उजाड़ हो गया और सिवाय एक दो मन्दिर के और उनसे सम्बन्धित एक आध धर्मशाला के और कोई चीज वहां बाकी नहीं रही थी। वह एक मलेरिया का घर बन गया था और कोई भी आबादी वहां बाकी नहीं रही थी। कहीं पर कुछ गांव बाकी रह गये थे।

सन् १९४७ ई० के बाद जब शरणार्थियों को बसाने का प्रश्न हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सामने आया तो केन्द्रीय सरकार की निगाह इस महत्वपूर्ण स्थान पर गई और केन्द्रीय सरकार ने लाखों और करोड़ों रुपया लगा कर इसको दुबारा जीवित करने का प्रयत्न किया। आपने देखा होगा कि उस समय वहां जाने तक का कोई मार्ग नहीं था, केवल मवाने तक टूटी सड़क थी और वहां से यह सात मील था और कोई मार्ग नहीं था लेकिन अब आप देखेंगे कि सरकार की कोशिश से वहां मेरठ से हस्तिनापुर जाने के लिये पक्की सड़क बन गई है। वहां पर डेरी कायम हो गयी। वहां पर लाखों बीघे जमीन सेंट्रल ट्रैक्टर के जरिये तुड़वायी गयी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फार्म खोला गया। वहां पर मलेरिया को रोकने के लिये एक अस्पताल भी बना और शरणार्थी लोगों के लिए मकान बनाये गये। वहां पर एक तरह से बाजार भी बनाया गया—यह सब चीजें होने के बावजूद भी वहां पर आज तक कोई व्यवसाय नहीं हो सका और वहां के लोग जो वहां पर आकर बसे हैं, व्यवसाय न होने के कारण वहां से जाने के लिये तैयार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये गवर्नमेंट के सामने यह सवाल आया कि हस्तिनापुर में किस प्रकार व्यवसाय की व्यवस्था की जाय। वहां पर एक डेवलपमेंट बोर्ड बना जिसके प्रधान गैरसरकारी सदस्य जो आज राज्य सभा के सदस्य हैं, श्री सुमंत प्रसाद जैन थे। उनके हाथ में उसका प्रबन्ध दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी, रेड टेपिज्म के कारण किस प्रकार से स्लो चलती है। अगर किसी चीज की उन्नति करनी है तो रेड टैपिज्म के कारण बड़ी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। वहां पर जब तक कोई स्टैटुटरी बाडी कायम नहीं होती तब तक वहां का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार के सामने एक प्रश्न था कि या तो इसको म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया माना जाय या ऐसी स्टैटुटरी बाडी बनायी जाय जैसी आपके सामने बिल के अन्दर रखी गयी है। अगर म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया या पंचायत जैसी कोई इकाई बनाते तो उससे काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटी को अधिकार दिये गये हैं वह काफी नहीं हो सकते। आपने कहा कि एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं, तो ऐसे तजुर्बे तो जो नगर बहुत दिनों से बसे हैं और विकसित हैं, उन पर भी इस प्रकार के तजुर्बे करने की जरूरत होती है। क्या आपको मालूम नहीं कि इस लखनऊ नगर के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेटर कायम है बावजूद इसके कि लखनऊ हमारा कैपिटल शहर है? हमने देखा कि इस नगर की दशा आज से पांच साल पहले कैसी थी, यहां पर सड़कों, पानी और बिजली का प्रबन्ध खराब था। यहां पर सड़कें इस प्रकार की थीं कि यह नगर कैपिटल कहलाने का हक नहीं रखता था। उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी को सुपरसीड करके ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। उसके बाद यहां की जो व्यवस्था हुई वह आपके सामने है। इसलिये आपका यह कहना कि स्टैटुटरी बाडी बना कर एक नयी व्यवस्था करने जा रहे हैं और उसका इम्तहान करने जा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। इसका समूचा प्रतिबन्ध म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट और टाउन एरिया ऐक्ट में मौजूद है। जब गवर्नमेंट चाहे किसी भी लोकल बाडी को सुपरसीड करके अपने हाथ में ले सकती है और ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती है और अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य कर सकती है। इसलिए इस स्टैटुटरी बाडी को बना कर वह इम्तहान कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि माननीय रतनलाल जैन जी ने कहा, वहां की परिस्थिति बिलकुल प्रतिकूल है। वहां आदमी तो बस गये लेकिन वहां पर व्यवसाय न होने के कारण उनकी रोजी नहीं चलती। वहां पर डेरी है लेकिन चूंकि वहां दूध के खरीदने वाले नहीं हैं। इसलिये उसकी कोई कीमत नहीं। बहुत मुश्किल से दूध बिकता है। मैंने वहां पर स्ट्रा हैट्स बनते हुये देखे। बड़े सुन्दर होते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर व्यापार विकसित नहीं हो सका। इसलिये वहां की इंडस्ट्री खत्म हो रही है। मैंने वहां मोढ़े बनते देखे, बड़े सुन्दर थे। कोई भी गांव या नगर उस वक्त तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां व्यवसाय न हो और वह साधन और सुविधायें न मौजूद हों, जिससे लोग अपना जीवनोपार्जन कर सकें। जब तक वह साधन नहीं होंगे तब तक किसी नगर या कस्बे का विकसित होना असम्भव है। इसलिये अगर वहां पर टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी को लाते तो वह विकसित नहीं हो सकता था। वहां पर अभी तक गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा और बहुत रुपया अभी खर्च करना पड़ेगा। अभी वहाँ पर कई प्रश्न गवर्नमेंट के सामने हैं। वहां पर गन्ना होने लगा है लेकिन जब तक वहां मिल कायम न हो जाय गन्ने की समस्या हल नहीं हो सकती। प्राइवेट इंटरप्राइज़ के लिये वहां पर मिल कायम करना असम्भव है। कोई आदमी सात लाख रुपये लगाये और फिर मिल लगाये तो यह किसी भी प्राइवेट आदमी के बस की बात नहीं है। यह उसी वक्त हो सकता है जब कोई स्टेट्टरी बाडी कायम हो जिसमें गवर्नमेंट का हाथ हो और वह रेड टेपिज्म के उपर हो। तो उसी हालत में उस नगर का विकास हो सकता है। इसलिये बजाय इसके कि आपने जो संशोधन पेश किया है कि प्रवर समिति के सुपुर्द इसे किया जाय अगर यह संशोधन पेश करते कि इस अधिनियम की मियाद पांच वर्ष के लिये रख दी जाय और उसके बाद में इसको म्यूनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया का रूप दे दिया जाय तो वह बात समझ में आ सकती थी। लेकिन यह कहना कि इसको रद्द कर दिया जाय इसी समय

[श्री केशव गुप्त]

म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया बना दिया जाय तो मैं कह सकता हूं कि यह शरणार्थियों के हित में नहीं है जो वहां बसे हुये हैं और जो वहां कारोबार करना चाहते हैं। अगर इसी समय म्युनिसिपल ऐक्ट या टाउन एरिया बना दिया तो जो सुन्दर से सुन्दर इमारतें और व्यवसाय गवर्नमेंट ने जारी किये हैं वे बंद हो जायेंगे और वहाँ पर जो आबादी हुई है जो कि अब भी तंग आकर उखड़ना चाहती है वह और उखड़ जायगी और वैसा ही उजाड़पन हो जायगा जैसा कि सन् ४७ से पहले था। इसलिये जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। ऐसी मशीनरी हो जो आसानी से चल सके लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। जितना रुपया भी व्यय होगा वह गवर्नमेंट का होगा चाहे सेंट्रल का हो या राज्य सरकार का। वहां पर पावर हाउस बन चुका है, लेकिन बिजली के वितरण का प्रबन्ध नहीं हो सका है। ट्यूबवेल बन चुका है लेकिन पानी के वितरण का प्रबन्ध नहीं हो सका है। डेरी बन चुकी है, एप्लायंसेज आ चुके हैं लेकिन दूध का इस्तेमाल कैसे हो इसका प्रबन्ध नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि प्राइवेट एंटरप्राइज और पब्लिक एंटरप्राइज में बड़ा फर्क होता है। इसीलिये यह बिल के अन्दर यह चीज रखी गयी है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का आधिपत्य बना रहे और ऐसी मशीनरी कायम हो जाय जिसके जरिये से रेड टेपिज्म जो है वह खत्म हो जाय और उनके हाथ में रुपया दे दिया जाय, जिसका वह सदुपयोग करें लेकिन वह गवर्नमेंट की स्वीकृत से हो। इस प्रकार की मशीनरी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त तक जब तक कि वहां की हालत न सुधरे वहां म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया बनाना ऐसी स्थिति में मुनासिब न होगा। अगर आप वहां हालत देख आयें तो देखने के बाद जो स्टेटुटरी बाडी वहां इस बिल के जरिये बनाई जा रही है आप भी यही कहेंगे कि यही वहां के अनुकूल है और वहां पर इस समय म्युनिसिपल बोर्ड बनाने से या टाउन एरिया बनाने से नगर का जो विकास है वह बन्द हो जायगा। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि मंडल में हों वे सरकारी कर्मचारी ही हों। हो सकता है कि वह नान-आफिशियल्स हों लेकिन वे वही होने चाहिये जिन पर गवर्नमेंट का पूरा भरोसा हो क्योंकि यह बहुत बड़े रुपये का मामला है। यह इस तरह से किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया बनता है तो वह टैक्स लगाती है, रुपया टैक्स के जरिये वसूल करता है जनता से। इसलिये जनता के हाथ में उसका खर्च होता है। उसमें राज्य सरकार की केवल ग्रान्ट नाम मात्र होती है, ज्यादा रुपया नहीं होता, लेकिन यहां जो ५, ७ करोड़ रुपया लगाना है वह सब सरकार लगायेगी और उसका उस पर कंट्रोल न हो, यह बात समझ में नहीं आती। ऐसी नान-आफिशियल बाडी के हाथ में रुपया दे दिया जाय जो चाहे जिस तरह से खर्च करे यह बात समझ में नहीं आती। इसलिये विरोधी दल के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बिल का स्वागत करें और प्रवर समिति के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसे वापस ले लें।

मैं अन्त में आपसे यह भी कह देना चाहता हूं कि हमने भी हमेशा लोकतंत्र के हितों के लिये लड़ाई की है। और हम भी लोकतंत्र हितों की रक्षा में हमेशा आगे रहे हैं। आपके समान ही, अगर आपसे ज्यादा नहीं, आपसे आगे रहे हैं और आगे रहेंगे। अगर किसी समय यह भी देखेंगे कि सरकार के द्वारा लोकहित की रक्षा नहीं हो रही है और उसका गला घोटा जा रहा है तो मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ ही आवाज उठाने के लिये तैयार होंगे। लेकिन हर जगह यह कह देना कि सरकार लोकतंत्र के हितों का गला घोंट रही है यह सही नहीं है। अपोजीशन का काम यह होता है कि यह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे और वह वास्तव में इस बात को देखे कि सरकार की कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। जो सही बात हो उसका समर्थन करना चाहिये और जो गलत बात हो उसकी आलोचना करना चाहिये। लेकिन हर बात

की आलोचना करना यह विरोधीदल के लिये कोई शोभा की बात नहीं हो सकती है। आपने देखा कि यही लोकतंत्र ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी चल रहा है। वहां पर फ्रांस के साथ संधि का प्रयत्न हो रहा था। आपने देखा होगा कि वहां पर जो विरोधी दल था उसने गवर्नमेंट का साथ दिया और अपने मत को उनके मत के साथ उसने मिलाया क्योंकि उसमें देश का हित निहित था। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हर बात को जो सरकार की तरफ से आये उसको आलोचना के रूप से न देखें बल्कि जो वास्तव में सही हो उसका समर्थन करें और आपका और मेरा सब का इस सदन में यह कर्तव्य है कि उसका समर्थन करें। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको व्यावहारिक रूप से देखकर जो आपने प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है उसको वापस लेने की कृपा करें और इस बिल का हृदय से समर्थन करें। यही मुझे आपसे निवेदन करना था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गजेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं माननीय केशव गुप्त जी के विचारों से पूर्ण सहमत हूं कि हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक नगर का पूर्ण विकास होना चाहिये। मैं उनके इस सिद्धांत की मर्यादा से भी पूर्ण सहमत हूं कि लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार विरोधी दल और शासकदल को चलना चाहिये। लेकिन मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि उसी मर्यादा के अनुसार आज यह गजेन्द्रसिंह जी का प्रस्ताव सदन के सामने आया है। आखिर हम इस विधेयक को क्यों प्रवर समिति में ले जाना चाहते हैं? इसके मायने यह नहीं है कि इस बिल का हम विरोध करते हैं। हम इसके सिद्धांतों से सहमत हैं और उनका समर्थन करते हैं। हम इस बात को भी मानते हैं कि हस्तिनापुर में विस्थापितों की भलाई के लिए वहां पर एक डेवलपमेंट बोर्ड की आवश्यकता है। हम इस बात को भी मानते हैं और इस सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं लेकिन इसके बाद यह कहते हैं कि वहा पर यह बोर्ड किस प्रकार बने; इसका विधान क्या हो। इस बोर्ड के बनाने में वहां के विस्थापितों को अपनी आवाज उठाने का अवसर हो या न हो, इसके संबंध में मतभेद है।

मेरी शिकायत माननीय मंत्री जी से एक और भी है कि यह विधेयक बहुत बाद को आया। सन् १९४७ से हस्तिनापुर बन रहा है और अब सन् १९५४ है और वह भी ५५ से शुरू होने वाला है। तो इन सात सालों में हस्तिनापुर में विकास होता रहा। तो पहले यह बिल यहां पर क्यों नहीं आया? हमने तो २ दिन पहले भी कहा था कि इस पर विचार किया जाय लेकिन कहा गया कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये अभी संशोधन तैयार नहीं हैं। वह तैयार हो जायं तो तब उसके ऊपर विचार हो। उन संशोधनों को सरकार अभी तैयार कर रही है। सरकार को स्वयं यह पता नहीं है कि अभी उसको कौन-कौन संशोधन लाने हैं। अभी वह निश्चय नहीं कर पायी है कि क्या-क्या इसके अन्दर संशोधन होने हैं। मैं तो सरकार की सहायता करना चाहता था यह प्रस्ताव पेश करके कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय क्योंकि सरकार को और अवसर मिल जायगा और जो भी संशोधन उसको करना होगा वह कर सकेगी। तब सरकार यहां पर विचार करने के बाद यह विधेयक लायेगी तो उससे बार-बार संशोधन करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी परसों तक माननीय मंत्री जी ने कहा था कि संशोधन तैयार हो रहे हैं, इसलिये चाहता हूं कि स्थगित हो जाय तो प्रवर समिति में ले जाने की बात तो माननीय मंत्री जी की सहायता करना था कि उनके संशोधन भी आ जाते और जो कुछ दूसरे माननीय सदस्यों के थे उन पर भी विचार हो जाता। मेरी शिकायत यही है कि वहां पर जो कार्य किये गये, वे सब अवैधानिक रूप से किये गये। मैं आपका और श्री केशव गुप्त जी का ध्यान इस विधेयक की धारा ४२ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि आज तक हस्तिनापुर में जो मंडल ने काम किये हैं वे सब वैधानिक माने जावेंगे। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार ने बिना इस विधान सभा के अधिकार दिये हुये पहले से वहां एक मंडल बना लिया है।

श्री हुकुम सिंह—मैं, श्रीमान् की आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि वह हमारा नहीं बनाया है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का बनाया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसीलिये तो मैं कहता हूं कि आप लेजिस्लेशन न कीजिये। यह एक और पोल आपने अपनी स्वयं बतला दी है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के बनाये बोर्ड पर हमारी राज्य सरकार लेजिस्लेशन करने जा रही है

४२ वें खंड में लिखा है कि एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक संस्था द्वारा, नगर के निर्माण और विकास के प्रयोजनार्थ की गई सब बातें तथा किये गये सभी कार्य, अथवा की गयी समझी जाने वाली सभी बातें अथवा कार्य उक्त संस्था के संगठन में किसी दोष अथवा अवैधता के रहते हुये इस अधिनियम के अधीन संगठित मंडल द्वारा वैध रूप से की गयी बातें अथवा किये गये कार्य समझे जायेंगे मानों यह अधिनियम उस समय प्रचलित था और मंडल उस समय संगठित था जब ऐसी बातें अथवा कार्य किये गये थे।

तो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट आपने दिया है। अवैधता भी साफ लिखी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम उन सब लैप्सों के लिये जिम्मेदार होना चाहते हैं जो राज्य सरकार द्वारा बनाया मंडल न हो, मैं तो उसे मंडल ही कहूंगा चूंकि उसकी वैधता सरकार ने स्वयं नहीं मानी है, और हम उस पर क्यों कानून बनाते हैं, मैं बहुत खुश होता यदि हस्तिनापुर मंडल द्वारा किये हुये कार्यों की सूची और रिपोर्ट आज हमारे सामने होती। हमें पता नहीं है कि वहां कितने मकान बनाये गये, राज्य सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने कितना-कितना रुपया दिया इत्यादि। और हमसे कहा जाता है कि हस्तिनापुर के विकास का नाम लेकर आप आंख मींच कर उसको पूरा कर दीजिये। मैंने ३ दिन पहले माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट को एक नोट दिया था और निवेदन किया था कि हमारे नियम ९६ के अनुसार हमारी असेम्बली के, कि वह सदन की मेज पर इन सब आंकड़ों को रखें कि हस्तिनापुर के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर उस नोट का क्या हुआ। हमको असेम्बली के नियम के अनुसार वह चीज जानने का अधिकार है। हमें यह भी नहीं मालूम कि उस मंडल में कोई सदस्य इस विधान सभा का भी है या नहीं, कौन-कौन वहां सदस्य हैं, कोई हमारी राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी वहां है या नहीं। सबसे बड़ा सिद्धांत जिसका इस विधेयक में हनन हो रहा है और जिस पर हम चाहते हैं कि प्रवर समिति विचार करे, वह यह है कि हम एक ओर तो इस विधेयक द्वारा मंडल को अधिकार देना चाहते हैं कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अनुसार जितने टैक्स लगाये जा सकते हैं वे सब मंडल लगा सकता है। टैक्स तो मंडल सब लगा सकता है, जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में निर्धारित हों लेकिन टैक्स देने वाली जनता का एक भी नुमाइन्दा उसमें नहीं होगा। माननीय गुप्त जी ने जैसा बताया कि प्रजातंत्र तो यह कहता है कि "नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रेजेंटेशन" यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्सेशन नहीं होगा, लेकिन आज हस्तिनापुर मंडल में यही होने वाला है यानी टैक्स देने वालों का उस मंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह उन सारे टैक्सों को लगा सकेगा जो म्युनिसिपल ऐक्ट द्वारा लगाये जा सकते हैं। आज आप सदन को विकास की भूल-भुलैया में डाल कर एक ऐसा कानून पास करा लेना चाहते हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाता है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि एक तरफ तो सदस्य और अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं और दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा हो। गुप्ता जी ने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा हो और सदस्य और प्रेसीडेंट भी हों लेकिन यहां मंडल में वह भी काम करेगा और एक एडवाइजरी बाडी भी काम करेगी। जहां भी ऐडमिनिस्ट्रेटर है वहां वह सीधे गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर भी फंकशन कर रहा हो और प्रेसीडेंट और मंडल भी फंकशन कर रहे हों। और फिर उस एडमिनिस्ट्रेटर को भी सरकार नियुक्त करेगी तथा मंडल के सदस्यों और अध्यक्ष को भी सरकार ही नियुक्त करेगी तथा

उसको जो अधिकार होंगे वे सब लोकल बाडीज के होंगे। मेरे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में होबसन की एक किताब है जो इंगलैंड की पद्धति के अनुसार सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है। बहुत ढूंढने पर भी मुझे कहीं ऐसा डेवलपमेंट बोर्ड नहीं मिला जिसमें सब सदस्य और अध्यक्ष गवर्नमेंट के नामीनेटेड ही हों। माननीय मंत्री जी कहीं पर भी ऐसी कोई लोकल बाडी दिखा दें जहां पर सब के सब सदस्य गवर्नमेंट के नुमाइन्दे हों। खैर, कमेटी को ही ले लीजिये उसमें कहा गया है कि लोकल बाडीज में एक भी आदमी नामीनेटेड नहीं होना चाहिये।

जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, मैं भी मानता हूं कि उसके सुपरसीड करने का अधिकार होना चाहिये लेकिन पहले आप उसको परख तो लीजिये, पहले चुने हुये मंडल को बनाइये तो, और देखिये कि चुने हुये अध्यक्ष ईमानदार हैं या बेईमान। और क्या वे उनको जो काम करने के लिये फंड्स दिये जाते हैं, उनका वह बुरा इस्तेमाल करते हैं या गबन करते हैं, जैसा कि सरकार द्वारा बनाये गये मंडल ने भी किया मालूम होता है। लेकिन यह पहले से ही सोच लेना कि जो चुना हुआ मंडल हो चाहे वह विस्थापितों का हो या न हो, तो वह गैरकानूनी काम ही करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पायेगा। हमें पहले उनको मौका देना चाहिये हस्तिनापुर के विस्थापितों को कि वे अपना मंडल बनायें। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि जायं, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनिधि भेजे जायं तो हमें कोई एतराज न होगा लेकिन चुने हुये लोगों का बोर्ड बनाया जाय लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि न हों यह घबड़ाने वाली बात है, यह बात न्याय के विपरीत है। इसलिये हम चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जा कर लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की जाय और सौ फीसदी के जो अधिकार सरकार ने लिये हुये हैं, उनको समाप्त किया जाय और यह नियम रक्खा जाय कि 'नो टेक्सेशन विदआउट रिप्रजेंटेशन।' यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई भी टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस सिद्धांत की रक्षा की जाय। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी वांछा है।

इसके अतिरिक्त एक बात और है कि जो मंडल बनने जा रहा है उसके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल जो रहेगा वह भी सरकार की इच्छा पर निर्भर है। अगर राज्य सरकार उसको ६ माह में खत्म करना चाहेगी तो वह ६ माह में ही खत्म हो जायगा। यह कोई निश्चित बात नहीं है कि वह तीन साल तक रहे ही, या दो साल रहे। उसका रहना या न रहना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इससे अच्छा तो श्रीमन्, यह होता कि ऐक्ट वगैरह की बात छोड़ दी जाती और राज्य सरकार डिस्क्टि यूनिट या ऐसे ही कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर ऐडमिनिस्ट्रेशन करने के लिये नियुक्त कर देती और कह देती कि एक एडमिनिस्ट्रेटर ही सारा काम चलायेगा। इस प्रकार से एक विधेयक लाकर एक लोकतांत्रिक सिद्धांत का मजाक बनाना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से भी उचित नहीं है और आप देखें, श्रीमन्, कि सरकार विस्थापितों के विकास के बारे में इतनी काफी परेशान है और विकास की बात ही ले ली जाय तो निलोखेड़ी में भी तो विस्थापित हैं, फरीदाबाद में भी तो विस्थापित हैं। तो आखिर उनके लिये ऐक्ट किसने बनाया? आप जानते हैं कि वहां के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐक्ट बनाया तो हस्तिनापुर के लिये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिये था। इसके अलावा अपने ही प्रांत के अन्दर रुद्रपुर के अन्दर भी तो विस्थापित हैं जहां कि डेवलपमेंट बोर्ड है इसके अलावा और भी तमाम पश्चिमी जिलों में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर हजारों की आबादी विस्थापितों की है और काफी रुपया खर्च करके उनको बसाया गया है। क्या वहां पर म्युनिसिपैलिटी बनायी गयी है इसके अलावा और भी यू० पी० के अन्दर बहुत सी विस्थापितों की बस्तियां हैं, क्या वहां के लिये कोई म्युनिसिपैलिटी या कोई बोर्ड बनाया गया है? मैं इस बात को मानता हूं कि इस तरह के विधेयक लाकर सारी शक्ति को अपने हाथ में लेना यह सही विधेयक की भूमिका नहीं है। सारी शक्ति को सरकार अपने हाथ में केंद्रित करके उसे लोकल बाडी का नाम देना यह एक मिथ्या संज्ञा देना है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसलिये मैं अदब के साथ आदरणीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे प्रवर समिति में ले जाने की बात को वह गलत भावना से न देखें बल्कि सही सिद्धांत के बारे में एक सही दृष्टिकोण से देखें। एक आदरणीय मित्र ने शिकायत की कि प्रवर समिति में जाने पर वहां से आने में रिपोर्ट को डेढ़ महीने लग जायेंगे। मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी चाहें और प्रवर समिति के सदस्य भी चाहें तो ४ दिन के अन्दर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आ सकती है। हम रोज दो तीन घंटे बैठें और जरूरत पड़े तो रात के १२ बजे तक बैठें क्योंकि इसके पहले भी कई बार हम देर तक बैठ कर काम किये हैं, तो इस तरह से बहुत जल्दी काम खतम हो सकता है और प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने जल्दी से जल्दी आ सकती है। पिछले ढाई साल के बीच में हमने देखा है, और कम से कम दो तीन बार की तो मुझे याद है कि हमने जल्दी-जल्दी प्रवर समिति की रिपोर्ट तैयार करके सदन के सामने पेश की है। मैं, आपकी आज्ञा से, श्री गजेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव के अन्दर इस बात को स्पष्ट कर दें कि चार दिन के अन्दर हस्तिनापुर विकास मंडल विधेयक के संबंध में प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आ जायगी। मुझे आशा है कि श्री गजेन्द्र सिंह जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे तो ४ दिन के अन्दर प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ जायगी और विधेयक के सिद्धांत के अनुसार वास्तव में वह लोकल बाडीज भी कही जा सकेगी जिसके अन्दर जनता के भी प्रतिनिधि होंगे, केन्द्रीय सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। अन्त में, मैं आदरणीय सदन से यह प्रार्थना करता हूं और जोरदार शब्दों में इस बात का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपने विरोधी बन्धुओं को बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने उस ऐतिहासिक स्थान हस्तिनापुर के निर्माण का बेड़ा उठाया है जो किसी समय धर्मराज युधिष्ठर की राजधानी थी। आज उस ऐतिहासिक स्थान का निर्माण कराने का बेड़ा हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने उठाया है तो लाल टोपी वाले कहते हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। मुझे तो बड़ा दुख है और मुझे एक जुमला याद आता है जो मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि नारायण दत्त जी प्रवर समिति पर फिदा हैं और प्रवर समिति श्री नारायण दत्त जी पर फिदा है; बिना प्रवर समिति के काम नहीं चल सकता। क्या जरूरत है हर जगह प्रवर समिति की? आज तो केवल एक मंडल का प्रश्न हमारे सामने है, वहां कोई हम नाट्य मंडली नहीं बना रहे हैं वह तो मंडल है, वह मंडल ही बन कर रहेगा। छोटे-मोटे बिल की बात कही गई, मंत्री जी ने कहा कि यह एक छोटा सा बिल है तो छोटे-मोटे बिल पर श्री रामेश्वर लाल जी को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने अपनी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया कि जिस से हम तो अचम्भित हो गये कि वे क्या कह रहे हैं, किस दुनियाट में जा रहे हैं। यह एक छोटा सा बिल है और छोटी सी बात है वहां आज म्युनिसिपैलिटी का कानून तो लागू हो नहीं सकता, वह तो दस हजार की आबादी पर ही हो सकता है जिनके पास रहने का, खाने का और कपड़े का ठिकाना नहीं है उन विस्थापितों के लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है। गवर्नमेंट ने उन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। जितने यहूदी अरब में बसे उतने विस्थापितों को इस सरकार ने वहां बसाया है उनको खाने को अनाज, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान दिये हैं, जो भूखे नंगे थे सरकार ने हमारी रोजी काट कर उनको दी और उनको सहारा देकर खड़ा किया। अब वह दिन दूर नहीं है कि वह हस्तिनापुर फिर अपनी हस्ती प्राप्त करेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार उनको ऋण दे रही है और उनसे वसूल करेगी। सरकार ऋण नहीं दे रही है वह सबसिडी दे रही है। वह इस तरह की बातें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं और मुंह की खाते हैं। अपने घर को नहीं देखते कि हमारे यहां क्या हो रहा है। हम नये टाउनशिप का आदर्श अपने सामने रख रहे हैं। तिवारी जी ने कहा कि प्रवर समिति में भेज दिया जाय, एक साल के लिये प्रवर समिति में भेज दिया वहां वह आधी रात तक काम कर सकते हैं और उलझ सकते हैं। ऋण जो सरकार दे रही है वह सरकार देने वाली भी है, लेने वाली भी है। वहां अस्पताल की जरूरत है, दवा की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, वह सब तरह के डेवेलपमेंट सरकार कर रही है और वहां एक माडल टाउन बना रही है। परन्तु हमारे मित्र उस में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। उनको तो सरकार को और मजबूत करना चाहिये। गजेन्द्र सिंह जी ने बजट के लिये कहा, तो सरकार अपने कंट्रोल में उसे न रखें तो और क्या करे किसके सुपुर्द करे, गवर्नमेंट का चेक होना जरूरी है। आडिट होना चाहिये ; यह नहीं कि वैसे ही मनमाने तौर पर पैसा खर्च होता रहे और सरकार का कोई कंट्रोल ही न रहे। वह यह भी कहते हैं कि सरकार पानी की तरह रुपया बरबाद करती है और साथ में यह भी कहते हैं कि सरकार का चेक न रहे ! अगर बोर्ड ठीक से विकास का कार्य न करेंगे तो वह सुपरसीड हो सकते हैं। मैं, आपकी आज्ञा से, कहूंगा कि यह छोटा सा बिल बहुत सुन्दर है। श्री नारायण दत्त जी को हमेशा उद्योग मंत्री ठाकुर हुकुम सिंह जी से बड़ी शिकायत रहती है; क्या खोलवाना चाहते हैं, क्या उनकी बुद्धि का पट खोल दें मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इतनी शिकायत उनसे है। मैं उद्योग मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि हलद्वानी में कुछ उद्योग-धंधे खोल दें तो नारायण दत्त तिवारी जी की शिकायत उनसे कम हो जाय। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सरकार का है वह डेवलपमेंट के लिये है और भलाई के लिये है और उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने उन असहायों के लिये यह सुन्दर और हितकर चीज रखी है ताकि जो हमारे विरोधी हैं उनका मुंह बन्द हो जाय और वे जो गालियां हमको देते रहते हैं उनको पता चले कि यह गवर्नमेंट जनहित में ही काम कर रही है। उनको यह पता चल जाय यह गवर्नमेंट आफ दि पीपुल है और और बाई दि पीपुल है और फार दि पीपुल है और उसे हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो नहीं था कि मैं बोलूं। परन्तु जब हमारे पूर्व-वक्ता महोदय ने यह कहा कि 'यह छोटा सा बिल है' तो मुझे कुछ कहने का साहस हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे मंत्री जी ने इस विधेयक को उपस्थित किया था तो उसी समय कहा था कि केन्द्रीय सरकार का बोर्ड पहले से ही वहां कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें जो धारा ४२ है उसमें यह लिखा हुआ है—"एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन मंडल के संगठन से पूर्व किसी समय राज्य सरकार द्वारा संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक संस्था द्वारा नगर के निर्माण और विकास के प्रयोजनार्थ की गयी सब बातें तथा किये गये सभी कार्य, अथवा की गयी समझी जाने वाली सभी बातें अथवा कार्य उक्त संस्था के संगठन में किसी दोष अथवा अवैधता के रहते हुये ....." आदि-आदि। तो इसमें राज्य सरकार के नियुक्त करने के लिये लिखा हुआ है और आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए बोर्ड के सदस्य हैं तो अब इन दोनों बातों में कौन सी सत्य है ? जो वह कहते हैं वह सत्य है या जो विधेयक में है वह सत्य है ? अब यह कहा जाता है कि जो खर्च हुआ है उसकी वैधता दी जाय। इस समय जो मंडल बन रहा है उसके लिये समय निर्धारित नहीं है कि वह कितने समय के लिये होगा, एक साल के लिये होगा या अधिनियम जितने समय के लिये बन रहा है उतने समय तक के लिये होगा।

दूसरी बात है कि मेरे पूर्व-वक्ता माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि उसमें विशेषज्ञ रखे जायंगे। पता नहीं उन्होंने अपनी कल्पना से यह बात कही है या उसका कुछ आधार है क्योंकि मैंने इस बिल को आदि से लेकर अन्त तक पढ़ा लेकिन उसमें कोई विशेषता राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये हुये सदस्य में नहीं जान पड़ी।

[श्री जोरावर वर्मा]

यह मंडल विस्थापितों के लिये बनाया जा रहा है। विस्थापितों की क्या-क्या समस्यायें हैं, तब तक नहीं जानी जा सकतीं जब तक उसमें उनका कोई व्यक्ति न हो। अधिक उचित तो यह होता कि माननीय मंत्री जी उसमें यह प्राविजन करते कि जो दो प्रतिनिधि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के हैं उनमें से कम से कम एक-एक सदस्य ऐसा हो जो विस्थापितों में से हो। और यदि ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि राज्य सरकार अपने वोटों के लिये विस्थापितों को एक्स्प्लायट शोषण करे क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जिनके हित की बात कही जाती है उनका तो हित नहीं हो पाता लेकिन कहने वाले लोग अपना हित साधन करते हैं। हरिजनों की चर्चा अभी हमारे माननीय सदस्य ने की और कहा कि १० करोड़ हरिजन इस देश में रहते हैं। पता नहीं किस हिसाब से वे ऐसा कहते हैं। इस देश में ३५ करोड़ जन संख्या है जिसमें १० करोड़ हरिजन हैं तो इसके माने यह है कि करीब एक-चौथाई हरिजन हुए जन संख्या के। मैं यह नहीं समझ पाया कि वह क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यही समस्या हरिजनों की भी है कि उनके हित के लिये बहुत से कार्य किये जाते हैं लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि उन कार्यों को करने में हरिजनों का एक भी आदमी नहीं रखा जाता और इसका प्रतिफल यह होता है कि उनका कोई हित नहीं हो पाता और मैं समझता हूं कि इसी तरह से विस्थापितों का हित तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उनका प्रतिनिधि उस बोर्ड में न हो।

एक बड़ी बात इसमें यह है कि वहां की जो प्रापर्टी होगी उसको वह मंडल हस्तान्तरित कर सकेगा, पट्टे पर उठा सकेगा। तो इसमें यह निर्देश नहीं किया गया है कि वह प्रापर्टी विस्थापितों को ही दी जायगी। कहीं ऐसा न हो जाय कि इस प्रापर्टी को यह मंडल के पांचों सदस्य ही अपने निजी उपयोग में लायें। इसमें जो व्यापार के सम्बन्ध में प्राविजन दिया गया है उसमें भी यह निश्चित नहीं है कि विस्थापितों को प्रिफरेंस दिया जायगा या नहीं। कहीं ऐसा तो न होगा कि यह हमारे मंडल के पांच सदस्य ही उस सब पर मोनोपोली एकाधिकार कायम कर लें? उनको जो पद दिया जा रहा है उसका वह दुरुपयोग तो कहीं न करने लगें? तो इस प्रकार से जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कि समझ से परे हैं। जैसा कि श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि इसमें धारा १४ के अनुसार टैक्सेशन के बारे में प्रोवीजन दिया हुआ है कि मंडल म्युनिसिपल ऐक्ट के अनुसार टैक्स लगा सकेगा। मैं यह नहीं समझ सका कि यह ऐक्ट जब म्युनिसिपल ऐक्ट से गाइड होता है तो इस विधेयक को अलग से माननीय मंत्री जी ने क्यों प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को अलग से प्रस्तुत करने का उनका तात्पर्य यह है कि सरकार ने अब तक जो अन-अथाराइज्ड एक्सपेंडिचर किया है जो रुपया अपव्यय किया है, दुरुयोग किया है, उसको वैधानिकता दी जाय और इसी के लिये उन्होंने यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है कि अब तक हमने जो नाजायज खर्च किया है उसकी यह विधान सभा मंजूरी दे दे कि हमने जो किया है वह ठीक किया है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी को चाहिये तो यह था कि इस बिल को इंट्रोडयूस करने से पहले वहां की क्या परिस्थिति है, छः सात साल से वहां क्या कार्य हुआ है और किस तरह पर कार्य चल रहा है, यह सब इस सदन के सामने लाते और तब मैं समझता हूं इस पर अच्छी तरह से यहां सदन में विचार किया जा सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री गजेन्द्र सिंह जी ने इसमें यह अमेंडमेंट किया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अगर उधर के किसी सदस्य द्वारा यह इंगित हो जाता कि वह स्वीकार कर लिया जायगा तो मैं उसका समर्थन करता लेकिन मुझे ऐसा मालूम नहीं होता कि वह इस संशोधन को स्वीकार करेंगे इसलिये मैं यह चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि

जो यहां सुझाव दिये गये है उन पर वह आगे विचार कर लें। यह जो बिल पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे विस्थापितों का कोई विशेष हित होने वाला नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध तो नहीं करता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि अच्छा हो यदि वह तिवारी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और यह बिल चार या छः दिन के लिये किसी समिति के सामने जाय और उसमें आवश्यक सुधार हो जायं, तब यह सदन के सामने विचारार्थ आये।

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत है और इस पर जो संशोधन है, सरकारी पक्ष के सदस्यों ने कई तरीके से उस पर अपना मत व्यक्त किया है। थोड़े ही में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी को भ्रम हो कि विस्थापितों की प्रगति में हम तनिक भी बाधक हैं तो वह भ्रम कृपया दूर हो जाना चाहिये। एक मिनट के लिये भी हम यह नहीं बरदाश्त कर सकते कि किसी भी काम से विस्थापितों की प्रगति में बाधा पड़े। सरकारी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने ऐसे भाव व्यक्त किये मानो कि विरोधी पार्टी के जो सदस्य हैं वह चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से, ग्रामीण-क्षेत्र से विस्थापित भाई आये हैं हम उनकी उन्नति ही नहीं चाहते हैं। तो यह हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी अगर सरकारी पक्ष के किसी सम्मानित सदस्य के दिमाग में हमारे बारे में ऐसी धारणा हो। हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं अगर वह कुछ २,४,६ वर्ष पहले के जमाने में अपने को ले जायं तो यह पायेंगे कि कई बार हमने जो देश के बटवारे से आबादी का इधर से उधर आना जाना हुआ और जो मुसीबतें बरपा हुईं, उसको नेशनल कैलेमिटी राष्ट्रीय संकट माना और यहां तक भी सुझाव दिया गया है सरकार को कि चूंकि यह नेशनल कैलेमिटी है इसलिये सारे देश के अन्दर रहने वाले जो लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि इनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझें और उसको दूर करने के लिये जो कुछ भी बलिदान करना पड़े, चाहे किसी भी रूप में, करने के लिये तैयार रहें। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि कोई अन्य आदमी बोले होते तो मैं उसका उत्तर देना उचित नहीं समझता, मगर कुछ पुराने लोग जो इस समय सरकारी पक्ष में हैं, उन्होंने इस बात को ऐसे तोड़ मरोड़ कर रखा गोया सोशलिस्ट पार्टी या उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (हम लोग जो थे) वह बटवारा चाहती थी। ऐसी बात नहीं है। इतिहास को विकृत करके रखना यह किसी की मर्यादा की बात नहीं है। सबको स्पष्ट मालूम होगा, जो उस समय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर रहे होंगे, कि तमाम कांग्रेस सोशलिस्ट ने अपना मत नहीं दिया था और कह दिया था कि भारत के बटवारे में हम हिस्सा नहीं बटायेंगे। फिर इतिहास को विकृत करके रखना शोभनीय नहीं है। चूंकि यह कहा गया इसीलिये मुझे कहना जरूरी हुआ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---बटवारे के पक्ष में हम भी नहीं थे।

श्री राजनारायण---अगर आप नहीं थे तो मैं आपकी बात को मानता हूं। क्योंकि जहां अब आप हैं, वहां उस समय आप नहीं थे। तो, श्रीमन्, जो आधारशिला है इस विधेयक के प्रस्तुत होने की उसी पर मैं भी अपने को बांधना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि मंत्री जी भी अपने को बांधें। इधर-उधर शब्दों को गढ़ने और वाक्य रचना करने से विस्थापितों को न तो फायदा होगा और न हमारा ही लाभ होगा। यह जो विधेयक आया है इसके मुताल्लिक यह कहा गया कि "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग का उत्थान करने का अधिकार नहीं देता है जो इस स्थिति में आवश्यक है।" यदि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट इस बात की गुंजायश कर देता तो सरकार की ओर से ऐसा विधेयक प्रस्तुत न होता। यही इसका मतलब है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस सदन में जो सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं वह म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट को अपने सामने रख लें और देखें कि क्या म्यूनिसिपल बोर्ड के ऐक्ट

[श्री राजनारायण]

के अन्दर कुछ गुंजाइश इस बात की है। मैं उसी को, श्रीमन्, पढ़ना चाहता हूं। जो हमारे पास विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश, का लोकल ऐक्ट है उसके पेज १३२४ पर लिखा हुआ है Discretionary functions of the Board—और उसमें, श्रीमन्, "Taking measures to promote trade and industry" यह लिखा हुआ है।

श्री हुकुमसिंह—क्लाज कौन सा है?

श्री राजनारायण—आठवां क्लाज है। इसमें यह लिखा हुआ है।

श्री हुकुमसिंह—सेक्शन बता दीजिए?

श्री राजनारायण—सेक्शन ८ देखिए। इसमें है "टेकिंग मेजर्स टु प्रोमोट ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री।" अब इसका क्या मतलब हुआ? इस प्रोमोट में उत्थान आता है या नहीं आता है, यह तो माननीय मंत्री जी समझ सकते हैं। अंग्रेजी भाषा न तो उनकी मातृभाषा रही है और न हमारी रही है और इस सरकार के सदस्यों के सामने तो, श्रीमन्, मैं अपने को अंग्रेजी भाषा समझने में अयोग्य ही पाता हूं क्योंकि वहां बड़े-बड़े पंडित रहते हैं जो कैजुअलिटी का मतलब मृत्यु ही माना करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता था, श्रीमन्, कि उसमें अगर देखेंगे तो इतनी वाइड पावर्स हैं कि सरकार तो म्युनिसिपल बोर्ड को कोई खास तौर के रोजगार करने की हिदायत भी कर सकती है। यह सरकार ने अपने हाथ में शक्ति ले रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा काम है जो म्युनिसिपल बोर्ड के जरिये सरकार नहीं करा सकती है। अभी हमारे बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए हैं। वह क्या-क्या आफत ढा रहे हैं, यह सब को पता है। तो मैं केवल भाषा में ही नहीं जाना चाहता हूं। लकीर का फकीर न तो मैं होना चाहता हूं और न किसी दूसरे को होने देना ही पसन्द करता हूं। आज दुनिया में विभिन्न मत फैले हुए हैं, उसमें से हमको चुनाव करना है। अपनी-अपनी इच्छा के मुताबिक सब लोग सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं (मौलिक ढंग पर)। कौन सी चीज हम निकाल दे रहे हैं यह समझ सकना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहता था कि जब इतना बड़ा व्यापक अधिकार पुराने म्यूनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के मातहत ही था और इसी अधिकार के न होने से माननीय मंत्री जी कहते हैं उद्देश्य और कारण में कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा प्रवर समिति में इसे ले जाने का संशोधन उपस्थित करना अनुचित है। हम प्रवर समिति में इसे ले जाने का जो संशोधन रख रहे हैं उसके लिये यदि कोई सदस्य यह कहता है कि हम देर करने के लिये यह रख रहे हैं, इसलिये रख रहे हैं कि इसमें डेढ़ महीना या डेढ़ साल और लगे तो यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है और अपनी बुद्धि का कितना बड़ा दिवालियापन है इसे उनको समझना चाहिए। एक दूसरे पर लांछन लगा देने से किसी समस्या का हल नहीं होता। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत सी बातें माननीय नारायणदत्त जी ने और माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने कह दी हैं इसमें क्या क्या खामियां हैं—टैक्स लग रहा है, एक मंडल की स्थापना हो रही है और साथ ही हमारे केशव जी ने एक बड़ी नायाब चीज कह दी। कहते कहते कह गये कि किस का मंडल बनेगा, किसका एलेक्शन होगा, एक ही वाक्य और जोड़ देते कि किसके लिये वह मंडल बनेगा, आखिर किसी के लिये ही तो वह मंडल बनेगा, विकास होगा तो जिसके लिये मंडल बन सकता है, उसी के जरिये एलेक्शन भी हो सकता है। जिनका विकास करने जा रहे हैं, उन्हीं के प्रतिनिधियों का एलेक्शन भी हो सकता है। यदि वह प्रतिनिधि समुचित रूप से कार्य न करते हों तो उसके ऊपर अंकुश अगर सरकार लेना चाहती है थोड़े समय के लिये तो ले। मगर हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इतने दिनों तक अंग्रेजी हुकूमत हमारी छाती पर लदी रही और बराबर यही कहती रही कि हम तो हिन्दुस्तानियों की तरक्की के लिये हैं फिनलैण्ड-पोलैण्ड पर रूस ने आक्रमण कर दिया

और उनकी तरफ से यही कहा गया कि अगर हम आक्रमण न करते तो कोई दूसरा ले लेता। तो कौन सी वह कसौटी है जिस पर हम जनतांत्रिक प्रणाली को कसेंगे ? हर बात के लिये सफाई दी जा सकती है, हर बात के लिये कहा जा सकता है कि हम तुम्हारी तरक्की के लिये ऐसा कह रहे हैं मगर जिसकी तरक्की होना है उस पर आपका इतना भी इत्मीनान नहीं है। जब आप उनका इत्मीनान नहीं रखेंगे जब कि जनतंत्र प्रणाली का इतना विकास हुआ है तो फिर कब इत्मीनान रखेंगे। अगर इसकी अगुआई हिन्दुस्तान नहीं करेगा तो कौन करेगा, अगर भारतीय इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ?

मैं अपने मित्र शिवनारायण जी से तथा अन्य मित्रों से कहूंगा कि भावुकता में आने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्थिति को समझें, बड़ा भारी खतरा है। अगर सरकारी पक्ष के लोगों के दिमाग में सफाई हो गई हो कि अब जनतंत्र के नाम पर केन्द्रीयकरण की शक्ति को उपयोग में लाकर काम चलाया जा सकता है तब तो बात दूसरी है, फिर जनतंत्र का आप नाम मत लीजिये। लेकिन यदि आप जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो फिर उसकी कुछ तो मर्यादा होनी चाहिये और उसका उल्लंघन करना आपको शोभा नहीं देता है और हमको भी ठेस लगती है।

हम कहां से कहां जा रहे हैं। हमने जो कुछ महात्मा गांधी जी के सहयोग से और उनके नेतृत्व में प्राप्त किया था वह खोता चला जा रहा है क्योंकि सफाई नहीं थी। आज भी कहा जा सकता है और कोई भी तानाशाही की योजना चलाने वाली सरकार इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगी इसके अलावा और कौन से शब्द लायेगी। वह कहेगी कि हम सारी ताकत इसलिये अपने हाथ में ले रहे हैं, हम मंडल के सभी सदस्यों के नियुक्त करने का अधिकार इसलिये अपने हाथ में ले रहे हैं कि वहां के लोग आपस में लड़ते हैं, वह अपनी तरक्की नहीं समझ सकते हैं, अपने उत्थान को नहीं समझ सकते हैं, वह पिछड़े लोग हैं, वह बैकवर्ड लोग हैं। यही बातें कह कर ही तो डिक्टेटरशिप स्थापित होती है, वरना कैसे आती।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमने माननीय मंत्री जी की सेवा में जो थोड़ी सी बातें थीं उनको रख दिया है। अब मैं फिर से निवेदन करूंगा जैसा कि नारायण दत्त जी ने कह दिया है कि हम हठबाध्य नहीं हैं। अगर मंत्री जी कोई ऐसी बात रखें जिससे हमें मालूम हो कि जिनका विकास हो रहा है उनकी राय भी ली जायगी तो हमें कोई शौक नहीं है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय। बल्कि हम तो चाहते थे कि यह विधेयक वहां जाय ताकि मंत्री जी के स्वस्थ मस्तक से सरस समीर जब स्पर्श करे तो वह इस विधेयक को अच्छी तरह से समझें और जो बात हम पेश कर रहे हैं उस पर उदारता और व्यापकता से विचार करें।

श्रीमन्, मैं कितने ही उदाहरण आपके सामने देता। मेरे मित्र श्री मदन मोहन उपाध्याय जी इस समय नहीं हैं। हमारे यहां एन० ई० एस० ब्लाक्स खुल रहे हैं। जिस क्षेत्र के लोगों का विकास होना है उस क्षेत्र की जनता से कतई राय नहीं ली जाती है। लेकिन जो लोग उससे संबंधित नहीं हैं वह अपनी राय देते हैं कि फलां जगह फलां काम होना चाहिये। इन बातों से अव्यवस्था फैल रही है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारा विकास माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं तो आप हमारा इत्मीनान भी रखें क्योंकि "हित अनहित पशु-पक्षी जाना पहचाना" यानी हित अनहित तो पशु-पक्षी भी पहचानते हैं। जिनका विकास होना है, जिनकी उन्नति होनी है, जिनके हित की बात होना है, जिनका उदय होना है, वह उसको पहचान सकेंगे। इसी भावना को लेकर श्री गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव की गुरुता और गम्भीरता को मंत्री जी देखें और अगर वह कोई बात कहेंगे तो माननीय गजेन्द्र सिंह जी कोई हठवादी वाध्य या रूढ़िवादी नहीं हैं वह उनकी बात को सुनकर चाहे तो अपने प्रस्ताव को वापस ले लें या वोट करायें, बशर्ते कि हमारे मंत्री जी समझें कि जिनका विकास होना है उनके

[श्री राजनारायण]

मत का तथा उनकी भावना का समादर कैसे करेंगे? यह एक छोटा सा सवाल है। इसका जवाब माननीय मंत्री जी दे दें। म्युनिसिपल बोर्डों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये जो व्यापार वगैरा की गुंजायश थी उसके बारे में भी उनका उत्तर आ जाना चाहिये। हम बैठ कर विचार करें, एक दिन, दो दिन, रात-रात भर बैठ कर विचार करें क्योंकि यह विस्थापितों का सवाल है।

हम चाहते हैं कि उनकी समस्या सुलझे। नारायणदत्त जी ने बड़ी सफाई से कहा कि हम सात वर्ष तक देर होने के कारण अपने ऊपर कलंक ही समझते हैं। एक बात का जवाब श्रीमन्, यद्यपि इससे बहुत प्रसंग नहीं रखता, तथापि मैं दे देना चाहता हूं। हमारे मित्र सरकारी पक्ष के जो खड़े होते हैं, तो वह समझते हैं कि शायद विरोधी पक्ष एकांगी है, अपने में एब्सोल्यूट, पूर्ण है। वह जब बोलते हैं तब यह कहते हैं कि विरोधी पक्ष को कैसे रहना चाहिये। वह नहीं समझते कि हम किसके विरोधी हैं। यह जो विरोधी पक्ष है, जो आज वर्तमान सरकार है उसी सरकार के विरोध में खड़ा है। अगर सरकार इससे अच्छी हो और सरकार जनतंत्र की प्रणाली पर चलने में तत्पर रहे तो तदुपरान्त विरोधी पक्ष में भी, उसकी गतिविधि में भी, परिवर्तन होगा। सरकार अपने लिये तो सारे अधिकार लेना चाहती है, वही डिक्टेटोरियल तरीका अख्तियार करे जिस तरह से चाहे चले लेकिन विरोधी पक्ष के लिये कहती है कि तुम शांत हो कर चुप बैठो, हमारे 'जी हुजूर' की तरह काम करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट की दुहाई दी जाती है कि वहां फलां ट्रीटी ने साथ दिया था। मैं उस ओर के सम्मानित सदस्यों से कहता हूं कि वे क्या कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हैं बिटिश पार्लियामेंट का जिसमें किसी ट्रीटी में विरोधी पक्ष की सलाह न ली जाती हो।

एक सदस्य---हम आपको एकांगी नहीं, बहुमुखी समझते हैं।

श्री राजनारायण---आप तो जरूर ही समझते होंगे और आपके दिल के जजबात को मैं भी समझता हूं।

इसलिये श्रीमन्, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक देहात में मसल है कि अपना ढेढर भी देखो दूसरे की फूली भी देखो। यह नहीं कि अपना ढेढर तो देखते नहीं दूसरे की फूली देखते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से इस पर विचार करें। मैं अपनी ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विस्थापितों की तरक्की के लिये वह जो भी कदम उठायेंगे हम उसमें उनके साथ रहेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रस्ताव यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि इस विधेयक पर जो इस सदन में इस समय वादविवाद हुआ उसमें बेजा गर्मी नहीं दिखलायी गयी। बड़ी सावधानी के साथ दोनों पक्ष से बातें हुई। हां, हमारे मित्र देवरिया के जरा उत्तेजित जरूर हो गये थे, वह उनके लिये स्वाभाविक है। मैं उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। मैं कब्ल इसके कि कुछ और बातें अर्ज करूं, अपने मित्र राजनारायण जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पक्ष का यह कभी ख्याल नहीं रहता कि विरोधी पक्ष के लोग हमेशा गलत ही बात कहने के लिये खड़े होते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि यह पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों मिल कर एक अंग होता है अगर यह दाहिना अंग है तो वह बामांग है। बिना दोनों के कोई सम्पूर्ण बात होती नहीं। हमको इस बात का ख्याल हमेशा रहता है कि उस तरफ की बात बड़े ध्यान के साथ और गौर के साथ सुनें और अगर कोई ठीक बात हो तो उसको ग्रहण करने में हमें जरा भी दरेग कभी नहीं होता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सब इस बिल के सिद्धांतों से, (उस तरफ के भी माननीय सदस्य) सहमत हैं और उसका स्वागत करते हैं। मुझे एक बात से और भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे

जोरावर जी ने बड़ी जोर आजमायी की लेकिन आखिर में इस बिल का विरोध नहीं कर सके हालांकि बातें बहुत कहीं। किन्तु न तो नारायण दत्त जी की ताईद की और न ही मेरे बिल का विरोध किया। मेरे दिल पर यह इम्प्रेशन हुआ कि जहां तक इस विधेयक के उसूलों का ताल्लुक है वे सर्वमान्य हैं और प्रवर समिति को भेजने का जो संशोधन आता है उससे भी यह बात साबित होती है कि इसके सिद्धांतों को मान कर ही ऐसे प्रस्ताव को लाया जाता है। मैंने, श्री गजेन्द्र सिंह जी की पूरी स्पीच सुनी, नारायणदत्त और सब लोगों की स्पीचेज भी बड़े गौर के साथ सुनीं। श्री गजेन्द्र सिंह जी ने क्लाजवाईज यह बतलाया कि इसमें यह नुक्स है इसमें वह नुक्स है और नारायणदत्त जी ने भी कहा कि इसमें टैक्सेशन का प्राविजन रक्खा गया है। एक सिद्धान्त जो बहुत पुराना है "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन" यह इसमें रख दिया गया है, यह बड़ी गड़बड़ है। माना, बहस के लिये कि बड़ी गड़बड़ है लेकिन सब क्लाजेज में जो नुकायस बतलाये गये हैं इस बात की दलील नहीं है कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय। क्योंकि हमारे मित्रों ने खास कर श्री नारायणदत्त जी और श्री गजेन्द्र सिंह जी ने इन दफाओं के बारे में संशोधन दिये हैं और वह सब ऐजेंडे पर दर्ज हैं अगर कोई खराबियां हैं तो इन संशोधनों के जरिये से सुधार किया जा सकता है और सदन उन पर विचार करके अपने निर्णय दे सकता है और कोई बात ऐसी नहीं बतलाई गई जिससे मैं यह लाजमी समझूं कि प्रवर समिति को यह विधेयक भेजा जाना आवश्यक है। हालांकि जिन नुकायस का जिक्र किया गया उनको मैं नुकायस नहीं समझा, उन्हें जानबूझ कर रक्खा गया है लेकिन उनकी दुरुस्तगी हो सकती है तो फिर प्रवर समिति में भेज कर काम बढ़ाया जाय, १२ बजे रात तक नारायण दत्त जी को जगाया जाय और सब लोग उसमें जुटें, फिर विधेयक यहां आये, मैं समझता हूं कि यह सब व्यर्थ है और सदन में ही बैठ कर उन सब बातों पर ठीक तौर से विचार किया जा सकता है।

श्री राजनारायण जी ने एन० इ० एस० ब्लाक्स का उदाहरण दे कर कहा कि जहां वे खोले जाते हैं, जिनके फायदे के लिये खोले जाते हैं वहाँ के लोगों की सलाह नहीं ली जाती। मैं क्या कहूं कि कैसे उन्होंने कहा। एन० इ० एस० ब्लाक की हर जगह लोकल कमेटी हैं और उनसे परामर्श लिया जाता है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि यह मिसाल यहां कैसे लागू होती है।

श्री राजनारायण—जरूर आप ही तय करते हैं।

श्री हुकुमसिंह—हम पर ही जनता का विश्वास है तो हम न तै करेंगे तो आप तै करेंगे? बहुमत से हमें भेजा लिहाजा हम तै करेंगे। जिस समय हममें से विश्वास हट जायगा तब हम तै न करेंगे, आप तै करेंगे। यह बात कही गई कि यह बोर्ड ऐसा है लेकिन यह एतराज कब्ल अजवक्त था। जब क्लाजेज आते तो उस वक्त बहस की जाती तो वह ठीक मौका था और उस वक्त जवाब भी दिया जाता लेकिन चूंकि एक बात ऐसी कह दी गई कि इस बोर्ड को वहां के लोग नहीं चुनेंगे, इसमें चुनाव नहीं रक्खा गया है बल्कि नामिनेशन रक्खा गया है। अब हमारे मित्र कह सकते हैं कि जब आपने बोर्ड बनाया, जब शरणार्थी भाई वहां पर आये हजारों की तादाद में तो हस्तिनापुर को बसाने की गरज से बोर्ड बनाना जरूरी था तो पहले वहां पर चुनाव कर लिया जाता और बाद को बोर्ड बनाया जाता। तो इस प्रकार की बात एकदम नहीं हुआ करती है। यह सब बातें इतमीनान से हुआ करती हैं। हर जगह पर चुनाव की ही जरूरत नहीं हुआ करती है। अब भी आप सब भाई जानते हैं कि उन भाइयों की बहुत सी मुसीबत दूर करना है। जैसा कि खूबसिंह जी ने कहा कि अगर हम वहां पर चुनाव का इन्तजार करते तो वहां पर जो करने का हमारा उद्देश्य था वह खत्म हो जाता। अब राज्य सरकार और भारत सरकार इस चीज को हाथ में लेकर वहां पर उन्नति के कार्य करना चाहती है। अगर वहां पर रेलवे की जरूरत होगी तो उसको भी निकाला जायगा और सड़क की जरूरत हुयी तो सड़क भी बनायी जायगी। जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे हम सब उनको कर सकते हैं। अगर वहां पर म्युनिसिपैलिटी कायम कर दी जायगी तो फिर वहां पर उन लोगों के ऐसे सोर्सेज नहीं है कि जो उन सब कामों को किया जा सके

[श्री हुकुम सिंह]

जो वहां पर जरूरी हैं। अगर उसको राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है तो वह भारत सरकार की सहायता से इन सब कामों को कर सकती है। पहले शुरू में तो काफी दिक्कत हुआ ही करती है। यह अलफाज विधेयक में लिख दिये गये हैं कि यह विधेयक १९५९ तक के लिये ही है। वहां पर उन्नति के काम शुरू कर दिये जायेंगे। वहां पर डेवलपमेंट होने पर उसके बाद आप चाहें तो म्युनिसिपल बोर्ड बनायें और टाउन एरिया बनायें।

हमारे भाई राजनारायण जी ने एक बात कही म्युनिसिपल बोर्ड की धारा ८ में यह दिया हुआ है कि 'टू प्रमोट ट्रेड एन्ड इंडस्ट्री' लेकिन आपने यह भी कहा कि इसमें बिजनेस नहीं है। हमारी तरफ से जो उद्देश्य और कारण लिखे गये हैं उनमें यह है कि ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री यह तीनों चीजें उसके अन्दर हैं। अगर नहीं भी वह लफ्ज हो तो फिर उसमें हर्ज क्या है? वहां पर नई परिस्थिति थी और इस अजीबोगरीब परिस्थिति में हस्तिनापुर को बसाया गया है। लिहाजा अगर एक ऐसे ढंग से बोर्ड बनाया जाय तो फिर इसमें क्या हर्ज है?

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये से हम शुरू में व्यवस्था कर सकते हैं और इसीलिये यह विधेयक लाया गया है कि वहां पर उन्नति का काम शुरू किया जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय आपके जो सुझाव हों उन पर यहां पर विचार हो सकता है और तरमीम की शक्ल में वह सुझाव आ सकते हैं। सदन उनके ऊपर अपना विचार कर लेगा और इस बात का भी निर्णय कर लेगा कि वह संशोधन सही है या गलत है, वह उनको मानता है या नहीं मानता है उनके ऊपर बहस होगी। तो जो काम प्रवर समिति में जाकर होता वह यहां पर हो सकता है, अब जिस ढंग पर हमारे भाई रामेश्वरलाल जी ने बात की मैं तो वह ढंग कभी अख्तयार नहीं कर सकता हूं। हमने इस बिल को सीधा-सादा कहा था लेकिन हमारे देवरिया के भाई ने इसको डिकटेटराना कहा। यह कौन सी भाषा का शब्द है यह मैं समझ नहीं सका। वह इस प्रकार की भाषा बोलकर यहां से चले गये तो अब मैं पूंछूं तो किससे पूछूं, मेरी बड़ी परेशानी है? मैंने सीधा-सादा लब्ज इस्तेमाल किया लेकिन आपने डिक्टेटराना शब्द प्रयोग किया। इस प्रकार की बात यहां पर होनी चाहिये जो सब कोई समझ सकें। मैं इन शब्दों के साथ अपने भाई गजेन्द्रसिंह जी से जो बड़े समझदार और दानिशमन्द हैं, और मैं समझता हूंकि राजनारायण जी ने भी आज बड़ी सावधानी के साथ तकरीर की और मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, निवेदन करूंगा कि राजनारायण जी की अच्छी सलाह लेकर और सद्बुद्धि में आकर इसको वापस करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ को इस सदन द्वारा नियत प्रवर समिति के सम्मुख विचारार्थ भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हस्तिनापुर नगर विकास मन्डल विधेयक, १९५४ से सम्बद्ध पत्रों की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं नियम ९६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस नियम के अनुसार माननीय मंत्री जी से मांग की थी कि वह इस विधेयक के संबंध में कुछ आवश्यक कागजात इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें। ९६(१)

में है कि अगर सैलैक्ट कमेटी को कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं जाता है और सदन उसे लेना मंजूर करता है तो कोई भी कागजात जिनके आधार पर विधेयक बना है सदन की मेज पर रखे जाने चाहिये। तो मैं चाहूंगा कि विचार करने से पहले ये कागजात सदन की मेज पर रख दिये जावें।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कागज मेरे पास इस प्रस्ताव के पास होने के पहले आया था। रूल ९६ में दिया है कि जब कंसीडरेशन मोशन पास हो जाय तब ऐसी डिमांड की जाती है। लिहाजा मेरे मित्र की डिमांड कब्ल अजवक्त थी। यह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

'After the motion that a Bill be taken into consideration is passed. तो पास तो अभी हुआ है इसलिये दरख्वास्त वक्त से पहले थी।

रूल ९६ की रू से सिर्फ वही कागजात आप मांग सकते हैं जिनके आधार पर यह बिल बनाया है। इसमें जो विवरण दिया है उनके आधार पर यह बिल नहीं बना है। बिल बना है उस करेसपांडेंस की बिना पर जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच हुई है। वह है कानफिडेंशिमल। पैरा ९६ में दिया है कि

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House"

अब वह कानफीडेंशियल कैसे है यह भी मैं बतला दूं। एक दिन प्रश्नों के सिलसिले में गेंदा सिंह जी ने पूछा भी था कि कैसे कानफीडेंशियल है। तो मैं बतला दूं कि यह है सक्रेटेरियेट मैनुअल का पैरा ४७४। श्रीमन् की आज्ञा से मैं उसका रिलैवेंट हिस्सा पढ़ना चाहता हूं :

"The following rules regarding the publication of official papers should be strictly observed. Sub-clause (5). Communications from the Government of India are issued to the Government of India should not be made public either in the actual form in which they were issued or in the form of an abstract, without the sanction of the Government of India, unless in the case of communications from the Government of India they have been marked for distribution to the Press or have been directly published in the Gazette of India."

लिहाजा वह करसपांडेंस कानफीडेंशियल है और पैरा ९६ भी ऐसे कागजात की नकल देने के लिये मुझे वाध्य नहीं करता है, ऐसी सूरत में मेरे दोस्त उन कागजात के पाने के मुस्तहक नहीं हैं।

श्री नरायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि विचार के प्रस्ताव के पेश होने के पहले नोटिस दे दिया था। श्रीमन्, आपको याद होगा जब कि पिछले साल मैंने एक विधेयक के सिलसिले में इसी प्रकार की मांग की थी तो स्पीकर महोदय ने यह रूलिंग दी थी कि सरकार से किसी भी शख्स को एक दम कागजात नहीं मांगने चाहिये बल्कि दो तीन दिन पहले उनको गवर्नमेंट को चिट्ठी भेज देनी चाहिये। इसलिये मैंने स्पीकर साहब की रूलिंग को ही मान कर ऐसा किया था। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपनी मांग को दुहरा भी तो सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लेकिन श्रीमन्, यहां तो दूसरा ही प्रश्न उठा दिया गया है कि मुझे वह मांग स्पीकर साहब की रूलिंग के अनुसार भेजनी चाहिये थी या नहीं और क्या मेरा वह भेजना अनुचित था। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्रीमन् यह रूलिंग दे दें कि यह मुनासिब था या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपने मुनासिब किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—दूसरी बात यह है कि मैंने जो सूचना मांगी है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की करेसपांडेंस के बारे में नहीं है बल्कि मैंने तो यह पूछा था कि केंद्रीय सरकार ने हस्तिनापुर को कितनी आर्थिक सहायता दी, अब तक कोई हस्तिनापुर मंडल है या नहीं है, अगर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

है तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं, हस्तिनापुर की आबादी क्या है, वहां कितने मकान बने हैं, कोई मकान बेचे गये हैं या नहीं, या पट्टे पर उठाये गये हैं या नहीं ? इसमें कांफीडेंशियल डाक्यूमेंट होने की कोई बात नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये माननीय मंत्री जी को नियमों के उल्लंघन करने से वर्जित करें और जब तक वे ऐसा न करें तब तक विवाद स्थगित रक्खा जाय ।

श्री हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र समझते हैं कि जो भी कागज वे मांगें वे उनको मिलने चाहिये चाहे रूल उनको आथोराइज करे या न करे। रूल ९६ के अनुसार वे ही कागजात दिये जा सकते हैं जो बिल से संबंधित हों, जिसके बेसिस पर बिल बनाया गया हो । जो चीज ये मांग रहे हैं वे इस बिल का आधार नहीं हैं । यह विधेयक जो आया है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान जो करेसपांडेंस हुई है, उस पर है । वे उसको मांग सकते हैं लेकिन वह कांफीडेंशियल है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, अब मैं आपसे और आदरणीय सदन से चाहूंगा कि वह खुद हमें बतायें कि ऐसी हठवादिता सरकार की तरफ से हो तो विरोधी पक्ष को क्या करना चाहिये । माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में न जाने क्या हो गया है । उद्देश्य और कारणों में उन्होंने जो इस बिल का आधार रक्खा है, श्रीमन्, हम तो उसी को ही ठीक समझते हैं, उसी को उसका आधार मानते हैं और केन्द्रीय सरकार से जो इस राज्य सरकार की बातचीत हुयी उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं :

"पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के जन-समूह अत्याधिक संख्या में आ जाने के परिणामस्वरूप प्राचीन हस्तिनापुर को उनको बसाने के लिये विकसित करना आवश्यक हो गया ।"

"श्रीमन्, इस बिल को लाने की यह आवश्यकता है तो माननीय नारायण दत्त तिवारी ने जब यह मांग की कि उसमें कितने आदमी बसाये गये हैं या वहां पर कोई मंडल है या नहीं, इसमें क्या अनुचित मांग उन्होंने की । उन्होंने जो मांग की है वह पूर्णरूप से इससे संबंधित है । आगे उसमें लिखा हुआ है कि :

नये नगर के विकास की अपनी विशेष समस्यायें हैं, जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी की स्थापना से ठीक से नहीं सुलझ सकतीं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीयसरकार ने इस उपनिवेश की पर्याप्त आर्थिक सहायता की है, और कम से कम जब तक यह नगर पूर्ण विकसित न हो जाय केन्द्रीय सरकार का मंडल में प्रतिनिधित्व आवश्यक है । अब दूसरा कारण बताया जाता है कि चूंकि यहां पर म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट पहले से लागू था उसके मुताबिक भी वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना की जा सकती थी, मगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के मुताबिक सारी समस्या हल नहीं की जा सकती । मैं नहीं जानता कि बिल के अन्दर कौन सी ऐसी समस्या है जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के मातहत नहीं सुलझायी जा सकती है । मैंने पूरी रिपोर्ट खोल कर रख दी है । मुझे आश्चर्य होता है जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ट्रेड और इंडस्ट्री में बिजनेस नहीं है । इसमें लिखा हुआ है "एनी ट्रेड आर बिजनेस" और जब बिजनेस नहीं है तो इस विधेयक की कौन सी आवश्यकता पड़ी है । श्रीमन्, मैंने किताबें खोल कर रख दी हैं जिसमें यह है कि अगर प्रादेशिक सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है ।

तीसरी बात श्रीमन् यह है कि "इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस उपनिवेश की पर्याप्त आर्थिक सहायता की है, और कम से कम जब तक यह नगर पूर्ण विकसित न हो जाय, केन्द्रीय सरकार का मंडल में प्रतिनिधित्व आवश्यक है ।" यह इस उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है । अब अगर माननीय नारायण दत्त जी कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिली .....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे लायक दोस्त, जबकि आपने रूलिंग नहीं दी है तो क्या वे उसके ऊपर अपने भाषण दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री शिवनारायण—भाषण तो दे ही रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह आवश्यक है कि यह बतला दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी और कहां सहायता दी क्योंकि इस बिल के उद्देश्य और कारण में ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके लिये नारायण दत्त जी को पूरा हक है और किसी भी सम्मानित सदस्य को पूरा हक है कि उनको इसकी पूरी इन्फारमेशन (सूचना) दी जाय कि जैसा कि बतलाया गया है कि पहले से वहां एक विकास मंडल केंद्रीय सरकार द्वारा बना हुआ है, वह क्यों असफल हुआ, इस बात को बिना समझे हुये हम कैसे इस बिल के पक्ष में या विरोध में कुछ बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर काफी कह चुके हैं।

श्री राजनारायण—अब चौथी बात जो मुख्य है वह यह कि माननीय मंत्री जी का ख्याल यह है कि सारे विधेयक की आधारशिला यही है कि पुराने म्युनिसिपल ऐक्ट के मातहत बोर्ड की स्थापना करके इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर ऐसी बात थी तो फिर इस विधेयक के लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने तमाम पूरी किताब खोल कर रख दी है और अगर माननीय नारायण दत्त जी आंकड़े मंगाते हैं तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह कर्त्तव्य है कि उनको वे आंकड़े दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने नियम ९६ को अच्छी तरह से देख लिया है। इसके अनुसार माननीय सदस्य केवल उन पत्रों को मांग सकते हैं जो लिखा-पढ़ी सम्बन्धी हैं और जिनके आधार पर यह बिल पेश किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है और सदन को विश्वास दिलाया है कि यह लिखा-पढ़ी जो केन्द्रीय सरकार और इस सरकार के बीच में हुयी है वह कांफिडेंशियल है। तो इसके लिये तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है। हां, एक बात जरूर है.....

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बीच में आप न बोलें। इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह जरूर ही चाहिये कि अगर कोई माननीय सदस्य विधेयक के सम्बन्ध में वादविवाद के लिये कोई इन्फारमेशन मांगें तो उसको देना आवश्यक है, उसके पाने में सहायता देना उनका कर्त्तव्य है। इन तमाम चीजों को मैं मानता हूं लेकिन इस पर इस विवाद को स्थगित तो नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके यह इन्फारमेशन इनको देने की कृपा की जाय।

श्री मलखान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा था कि जो अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने रूलिंग पढ़ी कि कांफीडेंशियल पेपर किसी को नहीं दिखाया जा सकता उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह पढ़ा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इजाजत दे तो वह दिखाया जा सकता है। जब बिल इस हाउस में पेश हो रहा है तो माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखें कि जिन पेपर्स की बिना पर बिल पेश हो रहा है उसको लोग चाहते हैं। अगर वहां से नामंजूर हो जाय तब वे कह सकते हैं कि यह पेपर्स नहीं दिखाये जा सकते। इसलिये जैसा कि आप ने कहा वह बहुत ही मुनासिब कहा कि जो पेपर्स यहां जरूरी है, जो इन्फारमेशन जरूरी है वह जरूर देना चाहिये, आप ने यह मुनासिब ही कहा।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री महोदय इस पर विचार कर लें और यदि कल तक कोई इन्फार-मेशन वह दे सकते हैं तो वह दे दें।

श्री हुकुम सिंह—हमारे पास जो सामग्री है उसमें से हम जो दे सकते हैं वह दे देंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ दिसम्बर, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर।)

बलिया जिले में निम्नलिखित सड़कें निर्माण विभाग के अधीन हैं:

पक्की सड़कें	वर्गीकरण	लम्बाई मी० फ० फि०
१. बलिया स्टेशन रोड	..	२—५—२३५
२. गाजीपुर-बलिया	प्राविंशियल हाइवे	१७—४—२४०
३. लखनऊ-बलिया	प्राविंशियल हाईवे	४१—०—३१०
४. सरजू रेलवे एप्रोच सड़क	..	१—०—४००
५. बलिया-बांसडीह	एम० डी० आर०	१०—३—१००
६. सिकन्दरपुर-बिल्थरा	प्राविंशियल हाइवे	१४—१—२००
७. रसरा-नगरा-तुरतीपुर	..	२०—०—०
८. मधुबन-बिल्थरा	..	५—०—०
	योग ..	१११—७—१६५

नोट—(१) बलिया स्टेशन रोड में निम्नांकित सड़कें सम्मिलित हैं:

१—ट्रेजरी से के०एल०
२—एस० एस० सड़क
३—आर० एस० सड़क
४—के० एल० क्रास सड़क
५—सी० ई० सरक्यूलर सड़क
६—ए० ई० सड़क
७—सी० डी० सड़क
८—ए०बी०सी० सरकुलर सड़क
९—एफ०बी० ब्रान्च सड़क

नोट—(२) रसरा-नगरा तुरतीपुर के ६ मील तथा मधुबन-बिल्थरा के ४ मील के भाग अभी कच्चे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर।)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यों पर जुलाई, १९५४ ई० तक की प्रगति

जिला	क्रम-संख्या	कार्य की मद	वर्गीकरण	लम्बाई	मिट्टी का काम	पुल तथा पुलियां	सोलिंग एकत्रीकरण	सोलिंग कुटाई	इंटर एकत्रीकरण	इंटर कुटाई	टाप एकत्रीकरण	टाप कुटाई	सीमेंट कंक्रीट बिछाना	विशेष विवरण
		नवनिर्माण												
बस्ती	१	बांसी–नौगढ़	प्रा०मा०	९–६	९–६	९–४	९–२	८–२	८–०	६–२				
	२	नौगढ़-शोहरतगढ़	,,	१४–२	१४–२	१४–०	१४–२	१४–०	१४–०	१४–०				
		स्थानीय पक्की सड़कों का पुनः निर्माण												
	१	बस्ती–बांसी	प्रा०मा०	३२–२	एल० एन० आर०	–७	४–२	४–२	३२–२	३२–२	५–४	५–४		
	२	शोहरतगढ़ से नैपाल सीमा	,,	५–४	५–४	५–४	५–४	५–४	५–४	५–४				
	३	खलीलाबाद–मुखलिसपुर	एम०डी०आर	१२–२	एल० एन० आर०	०–७	१२–२	१२–२	१२–२	१२–२				
	४	खलीलाबाद-मेंहदावल	,,	१५–०	एल० एन० आर०	—	—	१५–०	१५–०	१०–७	१०–७			
	५	बस्ती-डुमरिया गंज-बढ़नी	,,	५०–४	५०–४	५०–४	४९–४	४७	४७	४३				
		सी०सी० ट्रैक्स												
	१	खलीलाबाद–मेंहदावल	,,	६–०	४–०	४–०	४–०	२–६					१–२	
	२	खलीलाबाद–मुखलिसपुर	,,	५–०	३–०	३–०	१–४	—					..	
	३	बस्ती–बांसी	,,	६–०	६–०	१–०	—	—					..	
	४	बस्ती–डुमरियागंज	,,	६–०	६–०	३–०	३–६	१–१					१–१	
	५	बस्ती–मेंहदावल	,,	६–०	६–०	—	६–०	२–०					१–३	

अनेर अनेश विधान सभा

६	वल्लरगंज मिल्स को मिलाती हुयी लिंक	,,	७–०	३–४	—	—	—	४–४
७	बलखानन–हरैया	,,	५–०	५–०	५–०	४–६	—	—
८	मुडेरवा से डंडवा	,,	६–०	५–०	६–०	—	—	
	ओ० डी० आर्स० तथा वी० आर्स०							
१	मेंहदावल–बनकटा–बंसी	ओ०डी०आर०	२०–०	२०–०	२०–०	एन०आर०		निर्माण विभाग द्वारा रक्खी गयी।
२	लालगंज–डंडवा	,,	४–०	३–०	०–३	,,		सरकार के आदेशानुसार जिला बोर्ड को वापिस कर दी गयी।
३	घनघटा–बिशनपुर	,,	५–०	५–०	०–५	,,		
४	दुधारा–बस्ती	,,	४–०	४–०	०–४	,,		
५	तलपुखा–बांसी	,,	८–०	८–०	०–८	,,		
६	बिशकाहार–इटवा	,,	९–०	९–०	०–८	,,		
७	हरैया–सेमरा	,,	६–०	६–०	०–६	,,		
८	डुबोलिया–कैप्टेनगंज	,,	८–०	८–०	०–८	,,		
९	घनघटा–सिरसी	वी० आर०	६–०	६–०	०–६	,,		सरकारी आदेशानुसार जिला बोर्ड बस्ती को वापस कर दी गयी।
१०	बंसखोर–कराही	,,	७–०	—	०–४	,,		
११	रुहौली–भानदुर	,,	८–०	८–०	०–५	,,		
१२	उसका–सोहांस	,,	६–०	६–०	०–६	,,		
१३	विरघीपुर–तिघारा	,,	६–०	६–०	०–६	,,		
१४	चंदापुर–अहरौलिया	,,	६–०	—	०–३	,,		
१५	डोमरियागंज–मल्हवर	,,	७–०	७–०	०–७	,,		
१६	नल्हिापुर–रजवापुर	,,	७–०	—	०–४	,,		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६पर।)

ब्रिज एन्ड प्लानिंग डिवीजन के कर्मचारियों का कार्य--

(१) सारे राज्य में बड़े पुलों के विस्तृत डिजाइन बनाना।

(२) बहुत से ऐसे पुलों की जांच करना जिनके डिजाइन इक्जीक्यूटिव इंजीनियरों द्वारा बनाये गये हों।

(३) जो पुल बन रहे हैं उनका निरीक्षण इस उद्देश्य से करना कि निर्माण कार्य ब्योरेवार डिजाइनों के अनुसार किया जा रहा है तथा निर्माण के समय कोई समस्या उपस्थित हो तो उसके लिये सहायता व सुझाव देना।

(४) नदियों के ऊपर बनने वाले पुलों के लिये जल सम्बन्धी (Hydraulic) आंकड़े इकट्ठा करना और उन्हीं के अनुसार डिजाइन बनाना।

(५) प्रत्येक जिले के राजमार्गों (Highways) की विस्तृत योजना (Master Plan) तैयार करने के लिये नाप जोख करना।

(६) प्रत्येक जिले के दूसरे दौरे का नियोजन।

(७) प्रगति प्रतिवेदन (Progress report) बनाना।

(८) जो सड़कें बनायी जाने वाली हों अथवा बन रही हों उनकी पंक्ति (alignment) बनाने का नियोजन।

पी०एस०यू०पी०ए०पी०--२४२ एल०ए०--१९५५--८५०।